Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 मार्च, मंगलवार, 2014

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 4 मार्च, 2014

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6)26
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)27
शोक प्रस्ताव	(6)41
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(6)41
वाक आऊट	(6)42
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उन पर वक्तव्य	(6)43
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(6)71
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(6)72
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(6)72
विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना	(6)74
(i) सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की 42वीं रिपोर्ट	
(ii) पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की 70वीं रिपोर्ट	
(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 60वीं रिपोर्ट	

मूल्य :

543

(iv) वैल्फेयर ऑफ एस.सी., एस.टी. एवं बी.सी. कमेटी की 37वीं रिपोर्ट

(v) गवर्नमैंट ऐश्योरेंसिज कमेटी की 43वीं रिपोर्ट

(vi) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 42वीं रिपोर्ट

(vii) पेटीशंस कमेटी की चौथी रिपोर्ट

(viii) कमेटी ऑन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज की प्रथम रिपोर्ट

(ix) कमेटी ऑन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज की दूसरी रिपोर्ट

(x) कमेटी ऑन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज की तीसरी रिपोर्ट

(xi) कमेटी ऑन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज की चौथी रिपोर्ट

(xii) सबजैक्ट कमेटी ऑफ पब्लिक हैल्थ, इरिगेशन, पॉवर एण्ड पब्लिक वर्क्स (बी. एण्ड आर.) की प्रथम रिपोर्ट

(xiii) कमेटी ऑन एजूकेशन, टैक्नीकल एजूकेशन, वोकेशनल एजूकेशन, मेडिकल एजूकेशन एण्ड हैल्थ सर्विसिज की प्रथम रिपोर्ट

(xiv) कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एण्ड एम्पॉवरमैंट, वूमैन एण्ड चाइल्ड डिवैल्पमैंट एण्ड वैलफेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड बैकवर्ड क्लासिज की प्रथम रिपोर्ट

(xv) कमेटी ऑन फूड एण्ड सप्लाइज की प्रथम रिपोर्ट

सरकारी संकल्प (6)79

विधान कार्य (6)81

1. दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 2014

श्री अनिल विज, एम.एल.ए. की भर्त्सना का मामला (6)84

विशेषाधिकार समिति को मामला निर्दिष्ट करना (6)94

सदस्य का निलम्बन (6)95

मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा (6)96

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन (6)98

विधान कार्य (पुनरारम्भण) (6)99

सरकारी संकल्प (6)100

विधान कार्य (पुनरारम्भण) (6)105

2. दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2014

3. दि हरियाणा राइट टू सर्विस बिल, 2014

वैयक्तिक स्पष्टीकरण (6)111

प्रो. सम्पत सिंह द्वारा

विधान कार्य (पुनरारम्भण) (6)111

4. दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमैनिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डैफिशियंट म्यूनिसिपल एरियाज (स्पैशल प्रोविजंज) अमैंडमैंट बिल, 2014
5. दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरीफरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2014
6. दि हरियाणा डिवैलपमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2014
7. इन्दिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर (अमैंडमैंट) बिल, 2014
8. दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, (अमैंडमैंट) बिल, 2014
9. दि हरियाणा म्यूनिसिपल स्ट्रीट वैंडर्स (प्रोटैक्शन ऑफ लिवलीहुड एण्ड रैगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वैंडिंग) बिल, 2014
10. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, (अमैंडमैंट) बिल, 2014
11. दि पंजाब आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रेक्टिशनर्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2014
12. दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2014
13. दि हरियाणा (अबॉलिशन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ पे स्केल बिटविन टैक्निकल एण्ड नॉन टैक्निकल पोस्ट्स) बिल, 2014
14. दि हरियाणा क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड रैगुलेशन) बिल, 2014
15. दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी, (अमैंडमैंट) बिल, 2014
16. दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) बिल, 2014

श्री अभय सिंह चौटाला, एम०एल०ए० की भर्त्सना के मामले को टालना (6)150

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद (6)150

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 4 मार्च, 2014

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

10.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now the question hour.

Opening of Polytechnical College

***2014 Shri Dharam Singh Chhoker :** Will the Technical Education Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is no I.T.I. or Polytechnical College in Samalkha Assembly Constituency and the Panchayat of village Chulkana which falls in Samalkha Assembly Constituency is ready to provide the land for it; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Polytechnical College in village Chulkana in Samalkha Constituency?

Technical Education Minister (Shri Mahender Pratap) :

(a) there is one Government Industrial Training Institute for Women functioning at Samalkha in Samalkha Assembly Constituency. However, at present there is no Government Polytechnic in this Assembly Constituency.

(b) No, Sir.

श्री धर्म सिंह छोकर : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि समालखा विधान सभा क्षेत्र में तीन ब्लॉक समालखा, बापोली और सनौली खुर्द हैं। सनौली खुर्द को हाल ही में ब्लॉक बनाया गया है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि पूरे समालखा विधान सभा क्षेत्र में न तो कोई आई.टी.आई. है और न ही कोई पोलिटैक्निक संस्थान खोला गया है। मैं इस संबंध में मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या समालखा विधान सभा क्षेत्र में कोई आई.टी.आई. या पोलिटैक्निक संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि है तो कब तक?

श्री महेन्द्र प्रताप : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में बहुतकनीकी संस्थान खोलने के विषय में कहा है। यदि देश और दुनिया के परिपेक्ष्य में देखा जाये तो वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आज से लगभग साढ़े नौ साल पहले सरकार बनी थी। इस साढ़े नौ साल के कार्यकाल में जितना विकास माननीय सदस्य के क्षेत्र में हुआ है शायद इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ था। वर्ष 2005-06 में प्रदेश में लगभग 166 के करीब शिक्षण संस्थान थे लेकिन आज की तस्वीर देखें तो प्रदेश में लगभग 642 के करीब प्राइवेट व सरकारी तौर पर शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। इन संस्थानों में बच्चों की इनटैक सीट्स लगभग 1 लाख 82 हजार हैं। एक ऐसा भी जमाना होता था जब प्रदेश में कॉलेजिज की बहुत कमी होती थी लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि शिक्षण संस्थान तो ज्यादा खुल गये हैं लेकिन उनमें बच्चों के एडमिशन की संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। माननीय सदस्य के क्षेत्र में स्थित शिक्षण संस्थानों में 35 प्रतिशत सीटें खाली पड़ी हैं। माननीय सदस्य के समालखा हल्के के अंदर आने वाले चुलकाना गांव में एक कालेज बन रहा है। वर्तमान में पानीपत जिले में करीबन 27 प्राइवेट शिक्षण संस्थान मौजूद हैं जिनमें 35 प्रतिशत सीटें खाली पड़ी हुई हैं। मुझे माननीय सदस्य के हल्के की पंचायत से एक रिजोल्यूशन प्राप्त हुआ है। उस पंचायती रिजोल्यूशन में आई.टी.आई. या बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए पंचायती जमीन उपलब्ध कराने का जिक्र किया गया था लेकिन बच्चों के एडमिशन तथा सरकारी इंफ्रॉस्ट्रक्चर को देखते हुए यह संस्थान खोलना अभी वायबल नहीं है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में जैसे ही इस क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में इनटैक एडमिशन हो जायेंगे तो इस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, मैं पानीपत जिले के समालखा विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर कोई न कोई आई.टी.आई. या बहुतकनीकी संस्थान बनाया जाना चाहिए। मेरा प्रपोजल है कि इसके लिए पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देने के लिए तैयार है। समालखा विधान सभा क्षेत्र में जब बिल्डिंग्ज के निर्माण कार्य को शुरू किया जायेगा, तब हमारी तरफ से थोड़े बहुत पैसों का सहारा लगा दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, समालखा विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैंने अभी जवाब दिया है कि उसमें महिला आई.टी.आई. कॉलेज मौजूद है। यह गाँव इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है। गाँव चुलकाना में शायद बहुतकनीकी कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको अभी चालू नहीं किया गया है।

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चुलकाना में न तो कोई बहुतकनीकी कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है और न ही कोई उसकी प्रपोजल है।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्ड के मुताबिक ही यह बात कह रहा हूँ कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं हैं तो ये लिखकर दे दें लेकिन पानीपत में इस समय तकरीबन 27 संस्थान चल रहे हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, the pointed question is whether you have any intention of opening an ITI in village Chulkana or not? It is a simple question.

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. खोलने की इनटैंशन सरकार की हमेशा रही है और इसी इनटैंशन का ही नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश में कॉलेजिज की संख्या बहुत ज्यादा है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है दूसरी तरफ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा (विघ्न) मुझे ये इस बारे में लिखकर दे दें, मैं इनको जवाब दे दूँगा। अध्यक्ष महोदय, इस समय आवश्यकता के अनुसार पानीपत जिले में 27 संस्थान हैं। फिर भी माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है। सरकार ने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाये हैं ताकि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा अपने आस-पास के क्षेत्रों में सुलभ हो सके। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो जरूरी घोषणाएँ की हुई हैं, पहले उनको पूरा किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आगे आने वाले समय में इसको जरूर कंसीडर किया जायेगा।

Mr. Speaker : Mr. Chhoker, they will consider it. Are you satisfied with the consideration?

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम एक संस्थान तो होना ही चाहिए। चाहे वह गाँव समालखा में हो, चाहे गाँव बापौली में हो या गाँव सनौली में हो। इन तीनों गाँवों में से किसी एक गाँव में तो आई.टी.आई. संस्थान होना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसको कंसीडर करेंगे।

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी और काबिल साथी को सादर अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय साथी विधान सभा क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक मेहनती विधायक हैं और हल्के की जिम्मेवारी के मुताबिक अपने हल्के की समस्याओं का निवारण करने के लिए एक-एक विभाग में जाते हैं।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं भी मेहनती विधायक हूँ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि सबसे जिम्मेवार विधायकों में से है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शकुन्तला जी, आप यह न कहो कि मैं भी हूँ। आप यह कहो कि मैं हूँ ना। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी जब मंत्री जी के सामने अपने हल्के की माँगें रखते हैं तो आदरणीय मंत्री जी इनको कभी मना नहीं करते हैं। आदरणीय मंत्री जी, मंत्री होने के साथ-साथ इनके बुजुर्ग भी हैं। ये उनसे जो माँग करेंगे, वे इनकी बात को टालेंगे नहीं।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड के मुताबिक ही कह रहा हूँ कि प्राईवेट संस्थान जो वहाँ चल रहे हैं उनमें समालखा ग्रुप की नवनिर्माण सेवा समिति हथवाला में स्थित है और यह समालखा कांस्टीच्यूंसी में ही मौजूद हैं। दूसरा एन.सी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसराना में है।

श्री धर्म सिंह छोकर : स्पीकर सर, हथवाला समालखा में पड़ता है लेकिन हथवाला में बहुतकनीकी संस्थान खोलने का कोई प्रपोजल नहीं है और न ही कोई अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है और विधायक जी कह रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसलिए इसकी जाँच होनी चाहिए क्योंकि मंत्री जी हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसकी जाँच तो यही हो सकती है कि जो माननीय साथी कह रहें हैं वह मुझे लिखित रूप में दे दें, हम उसकी जाँच करवा लेंगें। (विघ्न) मेरे पास इसकी पर्याप्त जानकारी है। प्लीज अरोड़ा जी, आप तो पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हो, मैंने रिकॉर्ड के मुताबिक ही बात कही है। (शोर एवं व्यवधान) अगर माननीय साथी को अपने क्षेत्र से कोई दिक्कत है तो लिखकर दें। सरकार जांच के बाद तुरंत कार्रवाही करेगी।

श्री धर्म सिंह छोकर : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इस पर विचार भी कर लेंगे।

Construction of Stadiums

***1819 Shri Naresh Selwal :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the stadiums in Budha Khera, Kharakpunia, Matlauda and Hassangarh villages in Uklana Constituency?

राज्य खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री नरेश सेलवाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उकलाना निर्वाचन क्षेत्र के बरवाला ब्लॉक के 26 गांवों में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। सर, वहां पर खेल स्टेडियम बनाने की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लिख कर दी है। अत: माननीय खेल मंत्री जी मेरी मांग को स्वीकार करें।

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि गांव बुढ़ा खेड़ा से 1 किलोमीटर, खरकपूनिया से 12 किलोमीटर, मतलौड़ा से 6 किलोमीटर तथा हसनगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर खेल स्टेडियम है। माननीय सदस्य के उकलाना निर्वाचनक्षेत्र में चार स्टेडियम लदारी, किरमाणा, आग्रोहा तथा चमार खेड़ा में बने हुए हैं।

श्री नरेश सेलवाल : स्पीकर सर, उकलाना और बरवाला के बीच कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि बुढ़ा खेड़ा गांव जो उकलाना मण्डी के साथ लगता है और खरकपूनिया गांव जो बरवाला ब्लॉक के मध्य में है, इन दोनों गांवों में

माननीय मंत्री जी खेल स्टेडियम जरूर बनवायें।

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, इन दोनों गांवों के एक किलोमीटर की दूरी पर खेल स्टेडियम है, फिर भी माननीय सदस्य को लगता है कि गांवों के अन्दर अच्छे खिलाड़ी हैं तो सरकार को लिखकर प्रपोजल भेजे दें, सरकार उस पर विचार कर लेगी।

श्री नरेश सेलवाल : स्पीकर सर, उकलाना मण्डी शहर है, इसलिए शहर होने के नाते बुढ़ा खेड़ा गांव में खेल स्टेडियम मंत्री जी जरूर बनायें ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष जी, मैं स्टेडियम की मांग नहीं करूँगी क्योंकि स्टेडियम हमारे पास है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र करनाल के पुण्डरक गांव में 5 साल पहले हर ब्लॉक के तहत एक स्टेडियम बनाया गया था जिसमें बिजली और पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सर, पिछली बार भी सदन में मैंने यह प्रश्न उठाया था। जिले के डी.एस.ओ. कहते हैं कि हमने कार्रवाही कर रखी है, जैसे ही सरकार से पैसे आएंगे, वैसे ही हम बिजली के कनेक्शन के लिए एप्लाई करेंगे लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। स्पीकर सर, मेरी गुजारिश यह है कि नये स्टेडियम तब बनाये जायें जब पुराने स्टेडियमों में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहती हूँ कि हमारे वहां जो स्टेडियम बन गए हैं उनमें बिजली के कनैक्शन और कोच कब तक मिल पायेंगे?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, हम जाँच-पड़ताल करके एक महीने के अन्दर यह सुविधा उपलब्ध करवा देंगे।

श्री नरेश सेलवाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वे किसी एक व्यक्ति की वजह से तिरंगे झंडे के नीचे नहीं खेल पाये जिसकी वजह से हमारा हरियाणा प्रदेश और तिरंगा झंडा शर्मसार हुआ है (विघ्न)। सर, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नरेश जी आप किसके बारे में कह रहे हो ? (विघ्न)

डॉ बिशन लाल सैनी : सी.डी. के बारे में आपको पता है। (विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, क्या यहां इस तरह से सी.डी. लाना अलाउड है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश सेलवाल : मेरा स्टेडियम्स के निर्माण के बारे में प्रश्न लगा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को खेलने से रोककर हमारे देश के तिरंगे को कलंकित किया गया है। हमारे खिलाड़ियों को औलम्पिक में खेलने का मौका नहीं मिल पाया और इस वजह से हमारे देश का तिरंगा झंडा वहां नहीं लहराया जा सका। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी श्री नरेश सेलवाल ने स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन किया था और वह क्वेश्चन इस बात को लेकर किया था कि क्या नये स्टेडियम बनाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, नये स्टेडियम्स की मांग सदस्यों की तरफ से बार-बार उठती रही है ताकि स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज को बढ़ावा मिल सके। मेरा कहना है कि केवल मात्र स्टेडियम बनाने से स्पोर्ट्स

[श्री अभय सिंह चौटाला]
को बढ़ावा नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम बनाने के साथ साथ नयी नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। यदि कोच और इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे तो स्टेडियम बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अभय जी, हम तो यह सोच रहे थे कि आप सदन में अपने बारे में सफाई देंग। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं क्या ? (विघ्न) मैं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में जवाब दूंगा और बड़ा ही करारा जवाब दूंगा। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this is not the way.

श्री अभय सिंह चौटाला : मेरे लिए जो पर्सनली कहा गया है। उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इसी विधान सभा के अंदर आप लोगों ने मेरे खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था कि अभय चौटाला को इंडियन औलम्पिक ऐसोसिएशन के प्रैजीडैण्ट के पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि इनके इस पद पर रहने से देश के खिलाड़ियों का नुक्सान हुआ है। पहली बात तो सदन के साथियों को यह बताना चाहूंगा क्योंकि शायद इनको यह बात पता नहीं होगी कि मेरा जो चुनाव हुआ था वह बाकायदा तौर पर इलैक्टिड मैंबर्स के द्वारा किया गया था और उन्होंने मुझे वोट डालकर के यूनानिमसली तरीके से प्रैजीडैण्ट चुना था। वैसे तो इनको इस बात का अधिकार ही नहीं था कि इस किस्म का कोई प्रस्ताव ये यहां पास करते। जहां तक इस बात का सवाल है कि हमारे खिलाड़ी हिंदुस्तान के झंडे के नीचे नहीं खेल सके तो मैं जानना चाहूंगा कि उसमें हरियाणा के कौन से खिलाड़ी थे, जो तीन खिलाड़ी गए थे उनके जाने से पहले ही हमने अपनी इलैक्शन की डेट तय कर रखी थी और उससे पहले एक इंटरनेशनल टूर्नामैंट थी, उसमें खेलने जाने के लिए खिलाड़ी भेजने का काम आई.ओ.सी. का था न कि किसी स्पोर्ट्स आर्गेनाइजेशन का था। इसके लिए केवल मात्र एक व्यक्ति रणधीर सिंह जिम्मेदार था, जिसकी वजह से यह सारी चीजें हुई। सदन के साथियों को यह भी बताना चाहूंगा कि उसमें जो पदाधिकारी चुने गए वह मेरी दी हुई लिस्ट पर ही चुने गए थे। (विघ्न)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का इस बात से क्या लेना देना है। सवाल क्या है और सदन में बात किस विषय पर हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभय चौटाला जी जो बोल रहे हैं उसका इस सवाल से क्या रिलेशन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : विधान सभा में जो प्रस्ताव पास करना चाहिए वह तो आप लोग करते नहीं हैं । हमारे साथियों ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करें। जो करने वाले काम हैं उन्हें करते नहीं हैं और उल्टे कामों में लगे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामेश्वर दयाल किसी महिला सदस्य के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते हैं उनको इस सदन में माननीय सदस्या से माफी मांगनी चाहिए। He can't threaten a women Member of the House. He can apologize. (Interruption) He has to apologize. He can't do so.

Mr. Speaker : Ho'ble Members, please sit down. (interruption) It is not good.

Shri Randeep Singh Surjewala : He has to apologize Sir. I request you in order to maintain the dignity of this House. He has to apologize to our colleague. He can't misbehave with her in this fashion. (interruption)

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, *******(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर दयाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ऐसा किसी मैम्बर ने क्या कहा है जो कि वह माफी मांगे। माननीय सदस्या ये कैसे कह रही हैं कि हमारी पार्टी के सदस्य सदन में मर्यादा नहीं रखते।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य न तो हाउस के अन्दर मर्यादा रखते हैं और न ही हाउस के बाहर मर्यादा रखते हैं। स्पीकर सर, चार-पांच दिन पहले जब मैं हाउस में आ रही थी तो विपक्षी पार्टी के माननीय सदस्य विधान सभा के बाहर खड़े हुए थे और उस समय श्री बिशन लाल सैनी जी ने मुझे चोरनी कह कर पुकारा। इस तरह से इन्होंने एक महिला मैम्बर के साथ बदतमीजी की। यह बात कई टी.वी. चैनलों पर भी दिखाई गई है। यह तो बिल्कुल ताजा घटना है। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, they also had raised the issue in the House. It may be noted.

श्रीमती शकुन्तला खटक : स्पीकर सर, उस समय श्री रामपाल माजरा जी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर यह कहा था कि बहन जी, गलती हो गई, माफ कर दो। विपक्ष के लोगों के क्या ऐसे ही संस्कार हैं ? (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं तो उस समय वहां पर मौजूद ही नहीं था तो माफी कैसे मांगता। (विघ्न)

Government Girls College in Hodel Constituency

***1828 Shri Jagdish Nayar :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in Hodel Constituency; if so; the time by which it is likely to be opened ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, होडल विधान सभा क्षेत्र के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है । पिछले नौ साल से होडल के बारे में जो भी प्रश्न लगाया जाता है उसके उत्तर में मंत्री जी की

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री जगदीश नायर]

तरफ से हमेशा नो-नो ही कहा जाता है। होडल में कन्या महाविद्यालय की सख्त जरूरत है। मेरा विधान सभा क्षेत्र यू.पी. के साथ लगता है और मेरे हल्के में एजूकेशन का बिल्कुल भट्ठा बैठ गया है। न तो किसी स्कूल का दर्जा बढ़ाया गया है और न ही कोई नया कालेज खोला गया है। जितने भी पुराने संस्थान थे वे ही चल रहे हैं। आज बच्चों की और हमारी बहन बेटियों की संख्या बढ़ गई है इसलिए उनकी एजूकेशन की सख्त जरूरत को देखते हुए होडल में कन्या महाविद्यालय खोलने की सख्त जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि होडल में कन्या महाविद्यालय खोला जाए। मैंने इस बारे में बजट में भी मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार कहते हैं कि जो भी एम.एल.एज. मांग रखते हैं वे सारी मंजूर कर ली जाती हैं लेकिन मेरी एक भी मांग आज तक मन्जूर नहीं की गई है, यह मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, होडल विधान सभा क्षेत्र में इस समय नया महाविद्यालय खोलने का कोई भी प्रपोजल सरकार के विचाराधीन नहीं है। होडल शहर में एक सरकारी कालेज पहले ही काम कर रहा है जिसमें 353 लड़कियां पढ़ रही हैं और 900 के करीब लड़के पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पलवल जोकि होडल से 29 किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर भी एक सरकारी कालेज है और हथीन में भी एक कालेज इसी सत्र से शुरू हो जायेगा। इसके अतिरिक्त होडल शहर में सरकारी कालेज पहले से ही काम कर रहा है।

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, रोहतक और झज्जर में तो नये कालेज खोले जा रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, सरकार ने 35 नये कालेज बनाये हैं और भी कालेज बनाये जा रहे हैं जिनका काम बाकी रह गया है। अभी सरकार ने 1396 असिसटैंट प्रोफैसर्ज की भर्ती के लिए रिक्विजीशन भी कमिशन को भेजी हुई है। आज हरियाणा शिक्षा का हब बनने जा रहा है।

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बाढड़ा में कन्या महाविद्यालय बनना है वह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और उसमें क्लासिज कब तक लगनी शुरू हो जायेंगी?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को इस बारे में बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कन्या महाविद्यालय को बनाने के बारे में 6 दिसम्बर, 2013 को घोषणा की थी कि बाढ़डा में कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा। इस कालेज की क्लासिज इसी सत्र से गवर्नमैंट गर्ल्ज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बाढ़डा में शुरू हो जायेंगी। जहां तक लैंड ट्रांसफर की बात है तो इसके लिए प्रौसैस चल रहा है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस सत्र से यह कालेज शुरू हो जाएगा। (विघ्न)

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, पंचकूला के अंदर हर साल करीबन 5 हजार से ज्यादा बच्चे चंडीगढ़ को और दूसरी स्टेट्स को माइग्रेट होते हैं। चंडीगढ़ में 30 हजार इम्पलायज रहते हैं और मीडियम फैमिलीज हैं और बहुत ही इंटैलीजैंट बच्चे यहां हैं। हमारे पंचकूला में एक यूनीवर्सिटी की बहुत लम्बे समय से मांग है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पंचकूला में कोई यूनीवर्सिटी

खोली जाएगी ? हमने पहले भी मंत्री महोदय के सामने यह मांग रखी थी।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, it is a demand, you may just note it down and not respond to it.

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Sir, I have noted down.

Budget Allocated for Overbridge

***1983 Smt. Sumita Singh :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the total budget allocated for the construction of overbridge on Ghoghripur Railway crossing of Karnal togetherwith the time by which the said overbridge is likely to be completed?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, the work for the construction of the overbridge on Ghoghripur Railway crossing of Karnal stands administratively approved for Rs. 3173 lakh. It is likely to be completed by May, 2015.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस फ्लाई ओवर के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं। हमारे इस फ्लाई ओवर का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। It is not a question but it is a request. जब से फ्लाई ओवर का काम शुरू हुआ है,वहां पर डिपार्टमैंट ने कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव रोड़ नहीं बनाया ताकि एक साईड से दूसरी साईड के लोग आ सकें। मैंने एक्सीयन से भी बात की है और डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है उसके बावजूद कोई अल्टरनेटिव रोड़ नहीं बनाया गया इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि हमारे वहां टैम्पोरेरी रोड़ बनाई जाए ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो।

Shri Randeep Singh Surjewala : I have noted it down, Sir.

Upgradation of School

***1942 Ch. Parminder Singh Dhull :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the primary school of village Ramgarh up to Middle School falling under the Julana Constituency; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : The Government primary school, Ramgarh in Julana Constituency does not fulfil the norms for upgradation. The school will be upgraded as and when it fulfills the norms.

चौधरी परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ का यह प्राइमरी स्कूल 1953 में बना था और 1956 में इस स्कूल की बिल्डिंग बनी थी। इस स्कूल के पास ढाई एकड़ जमीन है, 11 कमरे हैं और 166 बच्चे हैं। 46 बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। सरकार के जो नार्म्ज हैं उन नार्म्ज को यह स्कूल पहले से ही पूरा कर चुका है। स्कूल के माध्यम से बार-बार रिक्वैस्ट आई है कि यह स्कूल नार्म्ज पूरे करता है इसलिए इसको अपग्रेड किया जाए क्योंकि यह बहुत पुराना स्कूल है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, लेटस्ट 18 फरवरी, 2004 को हमने जो रिपोर्ट ली है उसके मुताबिक इस स्कूल में 144 बच्चे हैं। सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि इस स्कूल में बच्चों की संख्या 166 है इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों की संख्या 150 से ऊपर होगी तो हम इस स्कूल को जरूर अपग्रेड कर देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हसनगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल है और दो मिडिल स्कूल हैं। दोनों स्कूल नार्म्ज को पूरे करते हैं। इन स्कूलों में स्टूडैंटस भी पूरे हैं और कमरे भी पूरे हैं इसलिए मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इन स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में विचार करेंगें।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, it is a demand only. You may not respond to this. Please note it down. (Interruption) I won't allow more than two supplementaries.

Repair of Roads in Grain Market

***1841 Sh. Kali Ram Patwari :** Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the roads of Grain Market Pillukhera in Safidon Constituency have been damaged; and

(b) if so, the time by which the abovesaid roads are likely to be repaired ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh :

(a) No, Sir.

(b) In view of reply of (a) above, question does not arise.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, you mean to say that the road is not damaged.

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, पिल्लूखेड़ा अनाज मंडी में 4-5 समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा गम्भीर हैं। पहली समस्या तो यह है कि इस मंडी में जो दुकानें हैं इन दुकानों के पीछे की रोड पर दो-दो फुट के गड्ढे हैं। मंडी के दो गेट हैं और दोनों गेट टूटे पड़े हैं। मंडी की चार दीवारी

साढे तीन फुट ऊंची है जहां से गेहूं वगैरह की चोरी होती रहती है। बारिश के पानी की निकासी के लिए सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन सारी समस्याओं को हल करेंगें और यदि करेंगें तो कब तक करेंगें ?

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अनाज मंडी की रोड्स के बारे में बताया है कि मंडी की रोड्स टूटी पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप नोट डाउन कर लें।

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, दुकानों के पीछे की सड़कें टूटी पड़ी हैं।

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ये रोड्स टूटे पड़े हैं तो हम इन रोड्स को चैक करवा लेंगें।

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन रोड्स को कब तक चैक करवाया जाएगा ?

श्री परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी तो रिपोर्ट यह है कि वहां पर सड़कें खराब नहीं हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम दोबारा से चैक करवा लेंगे और वहां मण्डी में सड़कें खराब होंगी तो हम 3 महीने में ठीक करवा देंगे।

श्री अनिल धंतौड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अजराना गांव में 1982 में 37 एकड़ भूमि पर मण्डी बनाई गई थी जहां पर किसी प्रकार की खरीद नहीं होती है। वहां पर मण्डी बनाने के लिए सरकार के करोड़ो रूपये लगे थे और 30 साल बीत जाने के बाद भी वह मण्डी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अजराना की मण्डी को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सेपरेट क्वैश्चन है।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे नीलोखेड़ी हल्के के अंदर 4 मण्डियां आती हैं। वहां निगधू मण्डी के अंदर मरम्मत की बहुत जरूरत है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mamu Ram Ji, this is the repetition of the question that you have asked yesterday, so please sit down.

Functioning of CHC in Pataudi

***1932 Sh. Ganga Ram :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the Community Health Centre in Pataudi has been completed; if so, the time by which the aforesaid CHC is likey to start functioning ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : नहीं, श्रीमान जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कम-50 बिस्तरीय अस्पताल, पटौदी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसकी अप्रैल, 2014 तक पूरा होने की संभावना है।

श्री गंगाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर पिछले एक साल से बड़ी धीमी गति से कार्य चल रहा है इसलिए कार्य को स्पीड-अप करवाया जाये और मंत्री जी समय सीमा निर्धारित करें कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 2014 तक इनका कार्य पूरा करवा दिया जायेगा।

श्री पृथी सिंह नम्बरदार : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के उचाना में पी.एच.सी. है जिसकी बिल्डिंग पूरी तरह से टूटी हुई है। क्या मंत्री जी उस पी.एच.सी. की बिल्डिंग को रिपेयर या दोबारा से बनाने का प्रावधान करेंगे ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। इस बारे में माननीय सदस्य लिखकर भिजवा दें इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बरवाला सिविल हास्पिटल की बिल्डिंग भी काफी खराब हालत में है, क्या उसकी भी रिपेयर करवाने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। इस बारे में माननीय सदस्य लिखकर भिजवा दें इसको हम ऐग्जामिन करवा लेंगे।

Construction of Bus Stand at Mullana

***1837 Sh. Rajbir Singh Barara :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand in village Mullana of Mullana Constituency; if so, the time by which aforesaid Bus Stand is likey to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री आफताब अहमद) : हां, श्रीमान जी। मुलाना में बस-अड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के चयन के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां एन.एच.-73 पर महर्षि मारकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, मेडीकल कालेज और हास्पिटल है। जिसके कारण वहां दूर-दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहां हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। एक तरफ तो यमुना नगर की तरफ से और दूसरी तरफ अम्बाला की तरफ से वहां बहुत ट्रैफिक आता है जिससे निजात पाने के लिए वहां बस अड्डा बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करके वहां पर बस अड्डा बनाया जाये।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, वहां पर नैशनल हाई-वे 73 पर जमीन के चयन के लिए डी.सी. की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है। बस अड्डा बनाने के लिए एन.एच.ए.आई. से एन.ओ.सी. लेना भी जरूरी है क्योंकि यह नेशनल हाईवे है। हमने एन.ओ.सी. के लिए एप्लाई कर दिया है, जैसे ही हमें एन.एच.ए.आई. से एन.ओ.सी. मिल जायेगी हम इस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी की नॉलेज में लाना चाहूंगा कि एन.एच.-71 पर फलाई ओवर बनने के कारण इसराना के बस अड्डे का रास्ता बंद हो गया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसराना के बस अड्डे को दूसरी जगह चेंज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : यह बस अड्डा फलाई ओवर के नीचे आ गया है इसलिए इसको चेंज किया जाना बहुत जरूरी है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, इसको हमने नोट कर लिया है और इसको हम जरूर कंसीडर करेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेवात के बड़कली चौक पर बस अड्डा बनाना बहुत जरूरी है। वहां पर राजस्थान और अपने प्रदेश की भी बसें चलती हैं। वहां हमेशा अफरा-तफरी का माहौल रहता है इसलिए वहां पर बस अड्डा बनाना बहुत जरूरी है। क्या वहां पर बस अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वहां पर बस अड्डा बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है हम जल्द ही वहां बस अड्डा बनवायेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो जमीन अधिग्रहण की गई है वह बस अड्डे के लिए कम है इसलिए ज्यादा जमीन एक्वायर की जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री आफताब अहमद : सर, वहां पर बस अड्डा बनवाने के लिए जमीन अधिग्रहण कर ली गई है।

Science Stream in Government College Indri

***1851 Dr. Ashok Kashyap :** Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start "Science Stream" in Shaheed Udham Singh Government College, Indri, Karnal; and

(b) if so, the time by which the above proposal is likely to be implemented ? If not, the reasons thereof ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :

(a) Yes, Sir. Science stream has been sanctioned for Shaheed Udham Singh Government College, Matak Majri, Karnal.

(b) The Science stream will be started at this college as and when the required building becomes available.

डॉ. अशोक कश्यप : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस कॉलेज के लिए पर्याप्त भवन उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस कॉलेज में इस शिक्षा सत्र से साईंस स्ट्रीम में दाखिले शुरू किये जायेंगे ?

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि हमने इस कॉलेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन साईंस स्ट्रीम में मेडीकल और नॉन-मेडीकल दोनों के लिए दे दी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साईंस ब्लॉक के कार्य के लिए हमारी 10.02.2014 और 19.02.2014 के लिए भी इसकी अप्रूवल हो गई है और जल्दी ही नैक्सट फाईनैंशियल ईयर से वहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जायेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि जो ऐग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसका इनफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है क्योंकि साईंस स्ट्रीम के लिए बहुत सारी लैब्स और दूसरे कम्पोनैंट्स होते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन का काम हम जल्दी ही शुरू करवा दें और जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम कम्पलीट हो जायेगा वहां पर साईंस स्ट्रीम की क्लासिज़ शुरू कर दी जायेंगी।

Construction of Drain

***1868 Sh. Pirthi Singh Nambardar :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the crops of the farmers got damaged due to the accumulation of rainy water in the fields of Ismailpur, Dablain, Dharamgarh, Badowala and Sunderpur etc. villages of Narwana Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a drain to drain out the rainy water from the fields of the abovesaid villages; if so, the details thereof ?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) :

(a) No, Sir.

(b) There is no proposal under consideration of the Government as the existing drainage system is sufficient to drain the rain water.

श्री पृथी सिंह नम्बरदार : स्पीकर सर, ईस्माइलपुर, दबलैन, धर्मगढ़, बदोवाला और सुन्दरपुर में बरसात के समय में खेतों में पानी भर जाता है। स्पीकर सर, दबलैन, बदोवाला और सुन्दरपुर में

तो लोग अपने प्रयासों से यह पानी इधर-उधर निकाल देते हैं लेकिन ईस्माइलपुर में इस प्रकार का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता। अगर वहां के लोग सम्बंधित अधिकारियों के पास जाते हैं तो मोटरें इत्यादि लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जाती है लेकिन इतने में लोगों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। क्या लोगों की फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाने का प्रावधान करेगी।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं ऐसी बात बिलकुल नहीं है। जिन गांवों का इन्होंने जिक्र किया है कि वहां पर पानी खड़ा होता है। पहली बात तो मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि वहां पर कई-कई साल पानी नहीं खड़ा होता। इस इलाके में दो नहरें चलती हैं। एक वहां पर नरवाना माईनर है। इनमें से कुछ पम्प तो हमने नरवाना माईनर के ऊपर लगाये हुए हैं। इस प्रकार से जो पानी आता है उसको सारे का सारा नरवाना माईनर में डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ पम्प हमने सिरसा ब्रांच में लगाये हुए हैं। इस प्रकार से जितना पानी ज्यादा होता है वह सिरसा ब्रांच में चला जाता है। वहां पर पानी कभी भी एक्युमुलेट नहीं हुआ है और अगर कभी हुआ भी होगा तो उससे कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ है।

To Set up a 132 KV Power Station

***1952 Sh. Phool Singh Kheri :** Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is only one 33 KV Power Sub-station at present for the 30-32 villages across Ghaggar river in Guhla Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 132 KV Power Sub-station for the abovesaid villages togetherwith the time by which it is likely to be set up ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a)&(b) No, Sir.

श्री फूल सिंह खेड़ी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के गुहला-चीका में घग्गर पार 32-33 गांव पड़ते हैं और इनमें से 18 गांवों में एक 33 के.वी.ए. का सब-स्टेशन है और इसी प्रकार से एक 33 के.वी.ए. का सब-स्टेशन 14 गांवों में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मेरे हल्के में 132 के.वी.ए. का सब-स्टेशन बनाने का कोई प्रावधान है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय सदस्य के हल्के में 33 के.वी.ए. के तीन सब-स्टेशन है। इनमें से एक 12 एम.वी.ए. का डाबा में है दूसरा महमूदपुर में 8 एम.वी.ए. का है और तीसरा 21 एम.वी.ए. का पपराला में है जो घग्गर रिवर के एक्रॉस गुहला विधान सभा क्षेत्र में

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

30 गांवों को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं इन गांवों के नाम हैं भूसला, दाताखेड़ा, कदम, सिहाली, मोहनपुर, मंझेरी, सरकपुर, बुडनपुर, घग्गरपुर, कसौली, अहमदपुर, धारा, जोदवा, पपराला, चाना, अगरिया, चन्ना जाटान, अरनाली, सैयदपुर, लंडेरी, बोपुर, खम्बेरी, शुगलपुर, खम्बेरा, सरोला, डाबा, चाबा, रत्ताखेड़ा, लुकमन, अजीमगढ़, गढ़ी, नजीदपुर, महमूदपुर, मलिकपुर और शादीपुर। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो डाबा का 12 एम.वी.ए. का सब-स्टेशन हम इसकी जल्दी ही कैपेसिटी बढ़ाकर 18 एम.वी.ए. करने जा रहे हैं। इस तरह से 6 एम.वी.ए. की कैपेसिटी हम 2014-15 तक बढ़ा देंगे। डाबा का जो सब-स्टेशन है वह चीका से फीड होता है। इसी प्रकार से महमूदपुर में भी 8 एम.वी.ए. से 20 एम.वी.ए. के सब-स्टेशन की भी हम ऑगूमैंटेशन कर रहे हैं जो कि वर्ष 2016-17 के लिए एप्रूव हो चुका है और यह भी चीका से फीड होता है। इसी प्रकार से अरनोली में भी 1x10 एम.वी.ए. का सब-स्टेशन वर्ष 2015-16 के लिए एप्रूव हो चुका है उसकी फीडिंग भी हम 200 के.वी.ए. एडीशनल सब-स्टेशन चीका से करेंगे। वहाँ पर हम 1x40/50 133 के.वी. का सब-स्टेशन 2015 तक लगा देंगे। (विघ्न)

श्री फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैने पिछले सत्र में भी पूछा था कि रोहतक में किलोई हलके में लोग बिजली के बिल नहीं भरते।

Mr. Speaker : It is not related with the question.

श्री फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, चीका में 90 प्रतिशत लोग बिजली के बिल भरते हैं और 33 के.वी. के जो सब-स्टेशन हैं वे जीरी के सीजन में ओवरलोड चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने तो माननीय मंत्री जी से उनका दर्जा बढ़ाने के बारे में पूछा है न कि हमने पूरे हरियाणा की जानकारी मांगी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 40/50 एम.वी.ए. का 133 के.वी. का सब-स्टेशन हम वहाँ पर लगा देंगे उससे इनकी ओवरलोडिंग की समस्या समाप्त हो जायेगी।

श्री फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह बात कहते हुये बहुत दिन हो गये हैं लेकिन पिछले एक साल में तो इन्होंने कुछ नहीं किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2014-15 में यह काम हो जायेगा।

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बाढड़ा हलके में कादमा, मदलाना, रूद्रोल और नांदा पॉवर हाउस ओवरलोड चल रहे हैं। मैंने मंत्री जी से पहले भी रिक्वैस्ट की थी कि कादमा पॉवर हाउस को 132 के.वी.ए. का बना दिया जाये। माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलवाया था कि हम 10 एम.वी.ए. का ट्रांस्फार्मर कादमा में भेजेंगे लेकिन उस बात को एक साल से ऊपर का समय हो गया है लेकिन वह 10 एम.वी.ए. का ट्रांस्फार्मर आज तक नहीं लगा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है।

To Replace Obsolete Electricity Wires

***1855 Smt. Kavita Jain :** Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electricity wires in the Sonepat city; and

(b) if so, the time by which the aforesaid work is likely to be started ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir. The work of replacement of obsolete wires in various colonies of Sonepat town is going on. 491.52 KMs worn out ACSR conductor have already been replaced with AB cable/ conductor in Sonepat town with an expenditure of approx. Rs 1482.5 lacs since 01.01.2012.

(b) The proposal & estimate for replacement of balance 15 KMs worn out conductor has already been prepared with an estimated cost of Rs. 45.24 lacs. The work is likely to be completed by March, 2014.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके में विभिन्न इलाकों में 20-20 साल पुरानी बिजली की तारें हैं विशेषकर पुराने इलाकों में हालत और भी ज्यादा खराब है। जगह-जगह तारों के गुच्छे बने हुये हैं और गर्मियों में वे गुच्छे टूट कर नीचे गिर जाते हैं जिससे जान और माल का नुकसान होता है। जब लोग बिजली विभाग के पास उन तारों को बदलवाने के लिए जाते हैं तो विभाग कहता है कि अपनी तारें ले आओ हम बदलवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बार-बार माँग करने के बावजूद भी सोनीपत में लोहे के पुराने खम्बे ज्यों के त्यों खड़े हुये हैं और उनको बदला नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिसम्बर, 2011 में सोनीपत में आये थे और वे 45 करोड़ रुपये की घोषणा तारों को बदलवाने के लिए करके गये थे और माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हमने 1482.5 लाख रुपये खर्च कर दिये हैं। स्पीकर सर, यह दिसम्बर 2011 और एक जनवरी 2012 का डाटा दिया गया है यानि कि जो अमाउंट खर्च हो चुका है वह मुख्यमंत्री जी की घोषणा से पहले तक खर्च हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात अब तक कितना अमाउंट बिजली की तारें बदलवाने के लिए खर्च किया गया और कहां-कहां की बिजली की तारें बदली गई हैं ? सर, मेरी दूसरी सैप्लीमेंटरी यह है कि हमारे हल्के के अन्दर पुराने शहर में मोहल्ला कोट, मोहल्ला कलां मसद, मोहल्ला अग्रसैन नगर, प्रभु नगर मण्डी, आर्य नगर और भी बहुत सारे ऐसे ईलाके हैं जहां पर तारों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और लोहे के खम्बे भी ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अनुरूप क्या 45 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और लोहे के खम्बे और बिजली की तारें एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लगातार बदली जाएंगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने बहन कविता जैन को बताया कि इन के 15 किलो मीटर क्षेत्र के worn out conductors के बारे में मेरे पास इन्फोर्मेशन है अगर 15 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी बिजली की वायर वगैरा खराब हैं तो ये मुझे लिख कर दे दें, उनको भी हम ठीक करवा देंगे।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैंने यह मुद्दा मेरे सबसे पहले सैशन सन् 2010 में भी उठाया था और उसमें भी मैंने सबसे पहला प्रश्न यही लगाया था, इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह मुझे वह अमाउंट बताएं जो बिजली के लोहे के खम्बे और वायर बदलने पर खर्च किए हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं इनसे पूछता हूं कि इन्होंने आज तक अपने हल्के की समस्या के बारे में हमें कभी कोई चिट्ठी पत्री लिखी है।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, इनके विभाग पर जब कोई प्रश्न हाउस में बोला जाता है तो फिर चिट्ठी पत्री की क्या जरूरत रह जाती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इनको एक मैंबर की हैसियत से एक आध बार हमारे पास आकर हमसे मिलना भी चाहिए और कोई चिट्ठी पत्री भी डालनी चाहिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में हमें अवगत भी कराना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जब इन्होंने अपनी बात हाउस में कह दी तो चिट्ठी पत्री की क्या बात रह गई ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, एक आध बार इनको अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर हमारे पास आकर मिलना चाहिए।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मै मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद और अब तक कितना अमाउंट खर्च किया गया है और कहां -कहां के बिजली के खम्बे व तारें बदली गई हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं या नहीं की हैं।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, ठीक है कि इनको मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के बारे में नहीं पता। आप बस ये बताईये कि सन् 2012 से अब तक कितनी बिजली की तारें बदली गई हैं और कहां-कहां बदली गई हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, सन् 2012 तक हमने 1442.5 लाख रुपये खर्च किए हैं और अभी 15 किलो मीटर तक के एरिया का प्रपोजल और रखा गया है जिसमें 45.24 करोड़ रुपये और अलग से खर्च होंगे जिसमें हम इनके क्षेत्र की 15 किलो मीटर के एरिया तक की तारें ठीक करेंगे।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, 15 किलो मीटर के एरिया से काम नहीं चलेगा मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि शहर के अन्दर जिन-जिन एरिया की तारें खराब हैं क्या वह एक सिरे से

शुरू करके दूसरे सिरे तक लगातार बदली जाएंगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आपके एरिया की जहां-जहां बिजली की तारें खराब हैं। आप मुझे लिख कर दे दीजिए।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मेरे एरिया की सारी ही बिजली की तारें खराब हैं।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जब इन्होंने अपनी बात हाउस में कह दी तो लिख कर देने की कौन सी बात रह गई। जब ये हाउस में कह रही हैं तो आप उसको नोट कर लो। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (गीता भुक्कल मातनहेल) : स्पीकर सर, विज साहब इस तरह मंत्री जी को क्यों धमका रहे हैं।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, यह कमाल की बात है कि विज साहब हर बात हाउस में खड़े होकर अकड़ कर और गुस्से से करते हैं। It is an unbecoming of a member. It doesn't look nice. Be pleasant. प्रेम से बात करो। विज साहब, आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, विज साहब क्या अनपढ़ हैं जो बार-बार खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं बहन कविता जैन के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। एक आर.ए.पी.डी.आर.पी. की स्कीम आई है जिसके तहत हमने 36 शहरों को लिया है जिनमें सोनीपत भी है। उस स्कीम के तहत इनके हल्के के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितनी भी वायर हैं उनको हम ठीक कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Arrangements to Drain Out the Water of Ponds

***1961 Dr. Bishan Lal Saini :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that the ponds of villages Sasauli, Mandaber, Farakpur and Rampur in Municipal Corporation, Yamunanagar are overflowing; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to drain out the water from the ponds of the aforesaid villages?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : हां, श्रीमान जी। नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी द्वारा गांव ससौली और गांव फर्कपुर में तालाबों से पानी निकालने के लिए बरसाती पानी नालों के निर्माण हेतु 50 लाख रुपये के अनुमान तैयार किये गये हैं, जोकि अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। गांव ससौली में तालाब से पानी निकालने के लिए पानी निकासी पम्प लगाये गये हैं। शेष गांवों के तालाबों से भी पानी निकालने के लिए शीघ्र ही पम्प लगा दिये जायेंगे।

डॉ. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक मांग रखना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप सैनी जी की मांग को नोट कर लें, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

डॉ. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैंने अपने प्रश्न में नगर निगम, यमुनानगर के ससौली, मण्डेबर, फर्कपुर तथा रामपुर गांवों में तालाब जलमग्न होने का जिक्र किया है। मण्डेबर तथा रामपुर गावों के बीच दो बड़े-बड़े तालाब हैं। इन दोनों तालाबों में गाँव में पीने का पानी मुहैया करवाने वाले ट्यूबवैल्ज का पानी जाता है। ये ट्यूबवैल्ज सारा दिन चलते रहते हैं जिसके कारण यह दोनों तालाब इतने ओवरफलो हो गये हैं कि अब तो इन गांवों की गलियों में एक-एक फुट तक पानी भरा रहता है। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य क्लीयर करें कि यह किन ट्यूबवैल्ज का जिक्र कर रहे हैं?

डॉ. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं पब्लिक हैल्थ द्वारा ओपरेटिड सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज की बात कर रहा हूँ। इन गांवों की गलियों में पानी खड़ा होने से एक विकट समस्या पैदा हो गई है। इन गांवों के लोगों ने घर के बाहर-भीतर आने जाने के लिए एक अजीब तरह का प्रबन्ध किया है। जिस प्रकार पहाड़ों में जब बर्फ पड़ती है तो वहां के निवासी रबड़ के जूते पहनकर चलते हैं उसी प्रकार इन गाँवों के बाशिंदों ने भी घर के बाहर-भीतर आने जाने के लिए रबड़ के जूते खरीद लिये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी बुरी कंडीशन इन गांवों में गलियों की हो गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, आप अपनी डिमांड कीजिये? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, माननीय सदस्य जूतों की डिमांड कर रहे हैं (शोर एवं व्यवधान) कितना अजीब है कि सैनी साहब इस सदन के माध्यम से जूतों की डिमांड कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नॉयर : स्पीकर सर, नरेश जी बार-बार सदन में जूतों से संबंधित गलत बात करके सदन का अपमान कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं नरेश जी को बताना चाहता हूँ कि मैं जूतों की डिमांड नहीं कर रहा हूं। जूतों की डिमांड तो नरेश जी की पूरी हुई थी जब इनको "लुगाइयों" (लेडिज) ने गोढों (घुटने) के नीचे लेकर तोड़ा (पीटा) था। (शोर एवं व्यवधान) नरेश तेरे को लेडिज से हुई पिटाई की याद तो बहुत आती होगी? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : स्पीकर सर, सैनी साहब सदन में अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। लेडिज का नाम बीच में उछालकर नारीशक्ति का अपमान किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, सैनी साहब मुझे कह रहे हैं कि मेरे को लेडीज की पिटाई याद आती होगी, इसके लिए मैं सैनी साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं याद रखूँ या न रखूँ परन्तु इनको अब अपना सिर जरूर सलामत रखना चाहिए क्योंकि इनके कारनामों की वजह से जनता इनके सिर पर जूते जरूर मारेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, आप डिमांड कीजिये? You do not loose your seriousness like this?

डॉ. बिशल लाल सैनी : स्पीकर सर, गाँवों में पब्लिक हैल्थ के सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगाये गये हैं। पब्लिक हैल्थ के इन सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज को चलाने के लिए जो आपरेटर्ज लगाये गये हैं वे खुद तो इन सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज को ओपरेट नहीं करते हैं बल्कि यह ओपरेटर्ज अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने की एवज में 2000 रूपये देते हैं और यही 2000 रूपयें पर काम करने वाले लोग पब्लिक हैल्थ के सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज को ओपरेट करते हैं। यह दिहाड़ी पर रखे आपरेटर्ज बेपरवाह सारा-सारा दिन सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज को चलाकर अपने घर के काम करते रहते हैं और सारा-सारा दिन पानी चलता रहता है। उस तरफ कोई ध्यान नही दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान दें और इसकी यथासंभव जांच भी करवायें?

Mr. Speaker: No demand is being raised. Thank you.

Construction work of ROB

***2007 Shri Raghubir Singh Tewatia :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of Railway over Bridge on Malerna crossing falling under Prithla Assembly Constituency in district Faridabad has not yet been completed; if so, the time by which the work of the aforesaid Railway over Bridge is likely to be completed?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) :

Yes, Sir.

The abovesaid work is likely to be completed by 31.05.2014.

तारांकित प्रश्न संख्या 2007

(यह प्रश्न पूछा नहीं जा सका क्योंकि माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह तेवतिया सदन में उपस्थित नहीं थे)

Functioning of Street Lights

***1893 Shri Devender Kumar Bansal :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that most of the street lights are lying disfunctional in Sector 20 to 28, 12 A, 12, 15 and 16 of Panchkula; if so, the reasons thereof togetherwith time by which the aforesaid street lights are likely to be made functional; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to install street lights in village Fatehpur, Railly, Abhaypur, Budanpur, Khadag Mangoli, Beed Ghagar and Haripur; if so, the time by which these lights are likely to be installed in the aforesaid villages?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : श्रीमान, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है।

वक्तव्य

(क) सैक्टर 20 से 28 शहरी सम्पदा पंचकूला की स्ट्रीट लाईटों की देख-रेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार 85% से अधिक स्ट्रीट लाईटें चालू हालत में है। स्ट्रीट लाईटों का रख-रखाव नियमित रूप से किया जा रहा है तथा जब भी कोई स्ट्रीट लाईट खराब पाई जाती है तो उसको 3 दिन के अन्दर-अन्दर समय सीमा में सामान्य रूप से ठीक कर दिया जाता है।

सैक्टर 12, 12ए, 15 एवं 16 की स्ट्रीट लाईटों की देख-रेख नगर निगम पंचकूला द्वारा की जा रही है। जिसमें 95% से अधिक स्ट्रीट लाईटें चालू हालत में हैं। स्ट्रीट लाईटों का रख-रखाव नियमित रूप से किया जा रहा है और जब भी कोई स्ट्रीट लाईट खराब पाई जाती है तो उसको 3 दिन के अन्दर-अन्दर समय सीमा में सामान्य रूप से ठीक कर दिया जाता है।

(ख) गांवों में स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव के सम्बन्ध में सूचना निम्नानुसार है :-

1. **गांव फतेहपुर :-** स्ट्रीट लाईटें लगवाने के लिए 9.72 लाख रुपये का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 2 माह में पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

2. **गांव रैली :-** स्ट्रीट लाईटें लगवाने के लिए 7.45 लाख रुपये की निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई हैं। इस कार्य को आबंटित होने के बाद 2 माह में पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

3. **गांव अभयपुर :-** स्ट्रीट लाईटें लगवाने के लिए 6.71 लाख रुपये का अनुमान

अनुमोदित हो चुका है और निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई हैं। इस कार्य को आबंटित होने के बाद 2 माह में पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

4. **गांव बुडनपुर :-** स्ट्रीट लाईटें लगवाने के लिए 8.39 लाख रुपये के अनुमान की प्रक्रिया जारी है सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निविदाएं प्राप्त कर ली जाएंगी तथा इस कार्य को आबंटित होने के बाद 2 माह में पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

5. **गांव खडग मंगौली :-** इस गांव में स्ट्रीट लाईटें लगवाने की अभी कोई योजना विधाराधीन नहीं है क्योंकि यह गांव HUDA की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बसा हुआ है।

6. **गांव बीड़-घग्गर :-** इस गांव में स्ट्रीट लाईटें लगवाने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह गांव वन विभाग की 13.62 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से बसा हुआ है।

7. **गांव हरिपुर :-** स्ट्रीट लाईटें स्थापित हैं और चालू हालात में हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : स्पीकर सर, सदन की पटल पर रखे विवरण से स्पष्ट होता है कि खड़क मंगोली व बीड़ घग्गर गांव में लाईटिंग फैसिलिटी नहीं दी जा सकती है। पहले भी जब राजीव कालोनी, इंदिरा कालोनी, खड़क मंगोली तथा अभयपुर में सड़कें व अन्य फैसिलिटी प्रोवाईड करवाने की बात कही गई थी तो उस वक्त भी इन एरियॉज में सड़कें, पानी की फैसिलिटी के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्रोवाईड करवाने संबंधी असमर्थता व्यक्त की गई थी। इन एरियाज के निवासी विगत 50 साल से यहां पर रह रहे हैं। उनको राशन कार्ड तथा वोटर कार्ड भी यहां के एड्रैस पर ही इशू किये गये हैं। ये निवासी बी.पी.एल. तथा फूड सिक्योरिटी बिल के नॉर्म्ज भी हर तरह से पूरे करते हैं। राजीव गांधी आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश को स्लम फ्री बनाने की एक नीति बनाई गई है। पंचकूला शहर के ये एरियाज भी इस योजना के तहत पूरी तरह से कवर भी होते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या इन एरियाज को ये मूलभूत सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

श्रीमती सावित्री जिंदल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि जो खड़क मंगोली गांव है वह हुड्डा की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बसा हुआ है तथा बीड़ घग्घर गॉव वन विभाग की जमीन पर बसा हुआ है। जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी बताया है तो उस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि इन क्षेत्रों के लिए अगर कोई योजना है तथा यहां के निवासी उस योजना के अंडर कवर होते हैं तो वैरीफिकेशन करवाकर निश्चित रूप से माननीय सदस्य द्वारा बताये गये कार्यों को इस क्षेत्र में अवश्य करवा दिया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर आने वाले कुछ एरियाज में स्ट्रीट लाईट्स के प्रावधान की बात की है, तो उस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि इन सभी एरियाज में स्ट्रीट लाईट्स बिल्कुल चालू हालत में हैं। यदि कोई स्ट्रीट लाईट रूटीन में भी खराब हो जाती है तो भी उसको तीन दिन के अन्दर ठीक कर दिया जाता है।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने थोड़ी देरे पहले सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बताया था कि इन एरियॉज में रहने वाले लोग विगत 50 साल से यहां पर रह रहे हैं। उनके वोटर कार्ड व राशन कार्ड भी उनके इसी एड्रैस पर इश्यू किये गये हैं तथा ये लोग बी.पी.एल. व फूड सिक्योरिटी बिल के सभी नार्म्ज भी पूरी करते हैं तो इस संबंध में मेरा माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध है कि कितने समय में वैरीफिकेशन करवाकर काम करा दिया जायेगा ?

श्रीमती सावित्री जिंदल : स्पीकर सर, अगर ये लोग राजीव आवास योजना के अंडर आते हैं तो वैरीफिकेशन करवाकर यहां पर जल्द से जल्द कार्य करवा दिये जायेंगे।

Repair of Nissing Drain

***1812 Sh. Mamu Ram :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt and repair the Nissing Drain in Nilokheri Constituency; if so, the details thereof?

Finanace Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : No, Sir.

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ड्रेन की गाद व मरम्मत कराने के लिए सरकार के पास कोई प्रपोजल विचाराधीन है यदि हाँ तो उस काम को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह ड्रेन तकरीबन 45 किलोमीटर लम्बी हैं और यह जमीन की सतह से काफी गहरी चलती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन ड्रेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं आई है, यदि थोड़ी बहुत मरम्मत करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम जरूर करवायेंगे क्योंकि यह हमारा फर्ज बनता है। ये कहें तां वी करेंगे ये ना कहें तां वी करेंगे।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ड्रेन के आस-पास काफी पेड़ खड़े हैं। वह काफी दिनों से बंद पड़ी हुई हैं और उसके आस-पास मिट्टी को काटा गया है। यदि ड्रेन की मरम्मत करेंगे तो बारिश से नुकसान हो सकता है।

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा वर्ष बता दें कि इनका कितना नुकसान हुआ है ? यदि ड्रेन खराब है तो हमारा धर्म बनता है कि उसको ठीक करवायें। यदि ड्रेन खराब हुई तो जरूर उसको ठीक करवा देंगे।

Debt of Power Companies

***1808. Sh. Abhay Singh Chautala :** Will the Power Minister be

pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Government Power Companies in the State are under heavy debt; and

(b) if so, the details of debts as on 1-3-2005, 1-3-2009 and 15-1-2014 on the Government Power Companies?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

Sir,

(a) The debts of Haryana Power Utilities are within the prescribed borrowing limits as approved by the Board of Directors of respective Companies.

(b) The total outstanding debts of Haryana Power Utilities as on 1.3.2005., 1.3.2009 and 15.1.2014 are given as under :—

Debts of Power Companies **(Rs. in Crore)**

Balance as on	HPGCL	HVPNL	UHBVNL	DHBVNL	Total
01.03.2005	3158.84	2978.48	860.72	490.85	7488.89
01.03.2009	5134.10	2581.04	4420.56	2296.97	14432.67
15.01.2014	8017.58	4265.09	16906.27	9789.11	38978.05

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से लेकर 2014 तक जो ऋण बढ़ा है वह पैसा इन्होंने कहाँ पर प्रयोग किया। यदि यह पैसा बढ़ा है तो किस कारण से बढ़ा है। ऋण लेने से लोगों को क्या फायदा हुआ, कृपया मंत्री जी इस बारे में बतायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि बिजली कम्पनियाँ बोर्ड के निर्णय के अनुसार कैपिटल इन्वेस्टमैंट के लिए लोन लेती है। इस वजह से हरियाणा प्रदेश में पावर प्लांट लगाये गये हैं उदाहरण के तौर पर यमुनानगर में पावर प्लांट लगाया। खेदड़ में पावर प्लांट लगाया और इसके अलावा झाड़ली में भी पावर प्लांट लगाया गया है। ट्रॉंसमिशन लाईन को इम्प्रूव किया और बहुत सारे सब-स्टेशंज बनाये हैं। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश का विकास लोन के आधार पर ही हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन लिया जाता है जिसे सभी राज्य डेफिसिट को कम करने के लिए लेते हैं इसे हरियाणा राज्य भी ले रहा है तो यह कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा "ट्रॉंसमिशन सिस्टम" और "डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम" को इम्प्रूव करने के लिए एवं हरियाणा प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए लोन लेने पड़ते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि सरकार को प्लांट लगाने के लिए लोन लेना पड़ता है। यह इनकी बिल्कुल ठीक बात है। सरकार ने लोन तो ले लिया परन्तु अभी तक प्लांट नहीं चले, प्लांट तो बंद पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पहले भी सदन में उठाई थी। ईवन आपके पानीपत में 8 प्लांट

[श्री अभय सिंह चौटाला]

चल रहे थे, उनमें से 7 प्लांट बंद पड़े हैं। अब सरकार नये प्लांट बनाने के लिए लोन ले रही है। मेरा कहना यह है कि पहले बंद पड़े हुए प्लांटों को अच्छी तरह से चला लो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पानीपत के सभी प्लांट वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि अभी उनकी इतनी आवश्यकता नहीं हैं। इसीलिए सरकार उन प्लांटों को नहीं चला रही हैं। स्पीकर सर, इस वक्त खेदड़ का प्लांट चल रहा है और यमुनानगर के दोनों प्लांट चल रहें हैं, उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ खेदड़ का प्लांट नम्बर टू है उसमें ट्रबाईन की समस्या है। ये बेतुकी बात कह रहे हैं कि प्लांट नहीं चल रहे हैं। प्लांट हमारे बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं। सर, विपक्ष के लोग बार-बार यह सवाल उठाते हैं कि हम अदानी ग्रुप से बिजली ले रहे हैं। सर, अदानी ग्रुप से बिजली खरीदने का फैसला केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग के नियमों के तहत ही लिया गया है। प्रदेश के बिजली निगमों को अदानी ग्रुप से 3.26 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है, अन्य हमारे जो प्लांट हैं वहां बिजली महँगी मिलती है, इसलिए उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसमें विपक्ष के साथियों को क्या दिक्कत है ?

11.00 बजे

Shifting of Power Line

***1875 Shri Dilbag Singh :** Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that High Voltage Power Line is passing through the residential areas of Yamunanagar City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the aforesaid Power Line; if so, the details thereof?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes Sir,

(b) There is no proposal to shift the high voltage lines. However, the shifting can be done after ascertaining the technical feasibility, right of way and deposit of cost by the applicants.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Under Passes

***1887 Shri Ashok Kumar Arora :** Will the PW (B&R) Minister be

pleased to state :—

(a) the time by which the stalled construction work of road N.H.1 (Panipat to Ambala) in Haryana is likely to be resumed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct under passes at the railway crossings near Old Bus Stand and Birla Mandir Chowk in Kurukshetra on the Kurukshetra-Kaithal Railway Track; if so, the time by which these are likely to be constructed?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Sir, the National Highways Authority of India, Ministry of Road Transport & Highways, Government of India, is responsible for the maintenance and upkeep of NH. A dispute raised by the concessionaire is presently before the Supreme Court, which, after hearing the arguments of all the parties has reserved its decision.

(b) No, Sir.

Replacement of Obsolete Wires

***1946 Shri Pardeep Chaudhary** : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the unsafe and loose obsolete electricity wires in the Kalka Assembly constituency; if so, the time by which these wires are likely to be replaced?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

Yes Sir. 31 Nos. estimates for the replacement of unsafe/loose wires of length 35.40 Kms amounting to Rs. 34 Lacs have been framed. The work is likely to be completed by 31st March, 2014.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Beneficiaries of Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna

602. Shri Sampat Singh : Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any scheme called Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna;

(b) the amount being given to the dependents of eligible persons under the aforesaid scheme; and

[Shri Sampat Singh]

(c) the total amount togetherwith the number of such persons who have benefitted under this scheme from 1st April 2013 to 10th February 2014?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matenhail) :

Answer :—

(a) State Govt. has been implementing the Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna w.e.f. 1.4.2006. Under this Scheme, compensation is given in case of accidental death/permanent/Partial disability to members of covered families in the age group of 18-60 years. Families having annual income of upto Rs. 2,50,000/- are covered under this programme.

(b) The amount being given to the dependents of eligible persons under the aforesaid scheme is as under :

(a)	in case of death	Rs. 1.00 lac
(b)	In case of permanent 100% Disability	Rs. 1.00 lac
(c)	In case of Loss of two limbs, two eyes, one limb and one eye.	Rs. 50,000/-
(d)	In case of Loss of one eye or one limb	Rs. 25,000/-

An amount of Rs. 3969.64 Lakh has been given to the dependents of 3980 eligible persons under this scheme in the year 2012-13.

(c) In April, 2013, the State Govt. wanted to launch the Government of India Scheme called Aam Aadmi Bima Yojna, which is similar to the Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna, but limited to coverage of families of below poverty line or marginally above it. While considering this proposal, Finance Department advised discontinuing the Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna, but the Social Justice & Empowerment Department sought to continue both the schemes, as a large number of families covered under Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna would not have coverage under the Aam Aadmi Bima Yojna. The matter is under consideration, and therefore, no benetits have been given in 2013-14 in case of the pending 4050 claims received under Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna in the period from 1st April, 2013 to 10th February, 2014.

Sewerage Facilities in Assembly Constituencies

595. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :—

(a) whether any consolidated scheme has been formulated by the Government to lay down sewerage system in the area of Hansi, Barwala, Bawani Khera and Uchana of District Hisar; if so, the details thereof;

(b) if not, the reasons thereof; and

(c) the steps being taken by the Government to lay down sewerage system in all the constituencies falling under District Hisar to provide sewerage facility to the residents?

Public Health Minister (Smt. Kiran Choudhary) :

(a) No, Sir.

(b) The town-wise Sewerage System is being provided instead of consolidated scheme for many towns.

(c) The sewer lines are being laid in all the towns namely Hisar, Hansi, Barwala, Uklana and Narnaund towns falling in the various constituencies of Hisar District.

Shortage of Agriculture Engineers

606 Shri Sampat Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number of posts of Agriculture Engineers and Agriculture Development Officers;

(b) the reasons as to why the minimum educational qualification has not been prescribed in the service rules for the promotion in Agriculture Engineering Section; and

(c) the steps being taken by the Government in order to prescribe the Degree in Agricultural Engineering as minimum educational qualification to fill up the posts of Agriculture Engineers and Assistant Agriculture Engineers by promotion?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) :

(a) No, Sir.

(b) In the department of Agriculture there are five cadres and in most of the cadres promotions to different posts are made on

[Sardar Paramvir Singh]

the basis of seniority-cum-merit. Minimum five years experience has been prescribed for promotion to the higher post.

(c) (i) Following qualifications have been prescribed in the Haryana Agricultural (Group-A) Service Rules, 1996 and Amended Rules, 2007 for promotion to the post of Agriculture Engineer :

"Five years experience on the post of Assistant Agriculture Engineer/Subject Matter Specialist (Agricultural Engineering) Subject Matter Specialist (Farm Implements) Sub Divisional Officer (Gobar Gas Plant)."

The matter for prescribing degree in Agriculture Engineering for promotion to this post is under consideration of the Government :

(ii) In the Haryana Agricultural (Group-B) Service Rules, 1995 and Amended Rules, 2004 following provisions have been made for promotion to the post of Assistant Agriculture Engineer :

"Five years experience on the post of Technical Assistant (Engineering)

Or

Seven years experience as Agricultural Development Officer (Farm Implements)/Quality Marketing Inspector/Chief Supervisor Drilling/Chief Well Supervisor/Junior Engineer (Mechanical/Civil)/ Sectional Officer(Mechanical/Civil) Or Supervisor (Bio Gas Plant) or Blasting Supervisor.

The matter regarding amendment in these rules is also under consideration of the Government.

Works Done Under Rajiv Gandhi Gramin VidyutikaranYojna

596. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Power Minister be pleased to state —

(a) the districtwise details of the works carried out in various Districts of Haryana including Hisar under the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna sponsored by the Central Government during the last 9 years; and

(b) the steps being taken by the Government to ensure the supply of electricity in each Dhani of District Hisar?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Sir, the District wise detail of the works carried out under RGGVY Govt. of India scheme is laid on the table of the house as per Annexure—A.

(b) A policy to provide the electricity to each Dhani in the State including Hisar District has been formulated.

There is proposal to provide electricity to all electrified Dhanies in the State on Rural Domestic Supply schedule by providing the special design transformer i.e. Pilot Advance Transformer (PAT) on AP feeders. The work is in progress and is likely to be completed during FY-2014-15.

Annexure–A

DHBVNL

RGGVY (as on 31.01.2014)

Sr. No.	Name of District under DHBVNL	No. of villages as per Census 2001 as per DPR	No. of villages where infrastructure laid	BPL households identified as per survey	Nos. of BPL Households electrified	HT Line / 11 KV erected (KM)	No. of DTs installed	Electrified BPL HH's %	Sanctioned Amount (Rs. in Lacs)	Actual Expenditure incurred (Rs. in Lacs)
1	Sirsa	327	322	19247	19247	37.98	304	100	937.23	789.3
2	Bhiwani	423	423	25150	25150	256.48	619	100	1979.12	1689.18
3	Hisar	299	253	18634	18634	209.76	340	100	1464.83	1248.53
4	Mohindergarh	361	335	6259	6259	126.56	435	100	1478.75	1052.31
5	Rewari	397	372	16684	16684	67.15	512	100	1350.71	1658.28
6	Fatehabad	388	253	9253	9253	41.46	294	100	998.13	908.46
7	Mewat	481	355	20507	20507	276.58	718	100	1953.35	2278.08
8	Gurgaon	202	0	8325	0	0	0	0	424.04	0
9	Faridabad	145	0	3944	0	0	0	0	443.95	0
10	Palwal	278	0	9163	0	0	0	0	833.54	0
	Total	**3301**	**2313**	**137166**	**115734**	**1017.97**	**3222**	**84.38**	**11863.65**	**9624.14**

Note :– The scheme for release of BPL connections was sanctioned by Govt. of India on 23.12.11. In district Palwal, Faridabad & Gurgaon, work order was issued in Sept 2012. Work taken in hand and is likely to be completed within next 6 months.

UHBVNL **RGGVY (as on 31.01.2014)**

Sr. No.	Name of District under UHBVNL	No. of villages as per Census 2001	No. of villages where infrastructure completed	BPL households identified as per survey	Nos. of BPL Households electrified	HT Line / 11 KV erected (KM)	No. of DTs installed	Electrified BPL HH's %	Sanctioned Amount (Rs. in Lacs)	Actual Expenditure incurred (Rs. in Lacs)
1	Sonepat	331	299	18098	12687	403.69	79	70.1	1754.92	1376.5
2	Panipat	181	144	7133	6276	216.82	237	87.99	1054.61	1117.5
3	Karnal	421	273	8912	9617	257.26	412	107.91	1832.61	1520
4	Rohtak	142	142	4189	3904	71.6	165	93.2	619.32	589.08
5	Jind	252	252	11213	11213	34.88	301	100	1249.47	863.32
6	Jhajjar	247	150	5779	5090	35.2	168	88.08	756.73	547.3
7	Kaithal	269	220	10630	9715	38.4	316	91.39	1160.4	1057.78
8	Ambala	462	276	5071	5223	16.2	169	103	749.6	600.28
9	Kurukshetra	387	384	7377	7552	14.39	168	102.37	986.3	613.49
10	Yamunanagar	613	341	6381	6778	45	303	106.22	973.13	1357.57
11	Panchkula	216	62	1456	653	37.52	98	44.85	429.42	370.89
	Total	**3521**	**2543**	**86239**	**78708**	**1170.96**	**2416**	**91.27**	**11566.51**	**10013.71**

Note :– 1. The shortfall in the release of BPL connections in the 6 no. Districts namely Sonepat, Panipat, Rohtak, Jhajjar, Kaithal and Panchkula was due to connections found already released in BPL House Holds (HHs).

2. The excess connections were released in the 4 no. Districts namely Karnal, Ambala, Kurukshetra and Yamunanagar due to revised lists of BPL House Holds (HHs) supplied by the District Administration.

However SEs OP under UHBVNL have been instructed to release balance/remaining BPL connections, if any, departmently.

Budget Provision Under RMSA/SSA

607. Shri Sampat Singh : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) the budget provisions under RMSA/SSA during the last four years togetherwith the amount of grant received from Government of India;

(b) the grant spent out of the above stated budget provisions and whether any funds of RMSA/SSA have been transferred/diverted to any other scheme; if so, details thereof;

(c) whether the sufficient funds under the aforesaid scheme has been released by the Government of India; if not, the reasons for the excess provision of the budget being made by the department?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal) :

Sir,

A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Question No. 607	Contents of Question	Reply by the Parishad
1	2	3
(a)	The budget provision under RMSA/ SSA during the last four years together with the amount of grant received from Govern-ment of India	The budget provision under SSA/RMSA during the last four years including grants released by the G.O.I and state is as under :

SSA — Amount in Lacs.

Year	Budget Provi-sion	Grant received from G.O.I.	Grant received from State	Total grants received
2009-10	59800.66	27600.00	17800.00	45400.00
2010-11	82979.65	32786.11	31550.00	64336.11
2011-12	119767.44	40461.41	27300.00	67761.41
2012-13	125624.34	33810.35	30405.69	64216.04

RMSA

Year	Budget Provi-sion	Grant received from GOI	Grant received from State	Total grants received
2009-10	2057.10	385.00	00.00	385.00
2010-11	36642.10	2300.17	3014.27	5314.44

1	2	3				
		2011-12	25180.11	17555.66	4703.33	22258.99
		2012-13	4032.78	10112.48 (Rs. 9408 lacs have been received against non-recurring components approved in the financial year 2010-11)	3136.00	13248.48

(b) The grant spent out of the above stated budget provisions and whether any funds of RMSA/ SSA have been transferred diverted to any other scheme; if so, details thereof;

The expenditure out of above stated budget provision year wise is as under :-

SSA

Year	Expenditure (lacs)
2009-10	41339.26
2010-11	58988.34
2011-12	62541.73
2012-13	62277.89

RMSA

Year	Expenditure (lacs)
2009-10	1202.89
2010-11	2485.40
2011-12	8837.95
2012-13	9144.91

No funds have been transferred/diverted from SSA/RMSA to any other scheme.

(c) Whether the sufficient funds under the aforesaid scheme has been released by the Government of India; if not, the reasons for the excess provision of the budget being made by the department?

The provision of the budget is to be made on the basis of AWP & budget approval by Project Approval Board of Government of India. The grants are released by Government of India on the basis of actual availability of funds with Government of India, and the pace of expenditure in the State.

(Regular Pay Scales to the Employees of Mini Banks)

597. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Co-operation Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that regular pay scales have not been given to the employees of the Mini Banks/Apex Banks; if so, the reasons thereof;

(b) whether it is also a fact that the service rules have also not been framed regulating their service condition for the employees of Mini Banks; and

(c) whether any steps have been taken by the Government to give the equal pay scale and service condition for the Mini Banks Employees in Haryana as are given to the employees of Co-operative Banks?

Answer :—

Cooperation Minister (Shri Satpal Sangwan) :

(a) Yes, the regular pay scale has already been given to the Apex Bank employees but the same has not been granted to the employees of Mini Banks/Primary Agriculture Credit Societies (PACS) as they are allowed the consolidated salaries fixed by Registrar, Co-operative Societies, Haryana.

(b) The service condition of the employees of Mini Banks are being granted/regulated by Primary Co-operative Credit & Service Societies Staff Service Rules, 1992 and amended Service Rules are at final stage which would be issued after the decision regarding pay scales of PACS employees.

(c) Yes, a Committee under the Chairmanship of Managing Director, The Haryana State Co-operative Apex Bank Ltd., Chandigarh (HARCO Bank) was constituted to submit report regarding Staffing Pattern, Service Rules, Pay Scales and promotion avenues of PACS employees.

The proposal for considering the pay scales is under consideration with the Government in view of the recommendation of the Committee.

Funding of Utkarsh Society

608. Shri Sampat Singh : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) The source of funding of Utkarsh Society togetherwith the details of the fundng during the last four years;

(b) The funds utilised togetherwith the details of the items

purchased;

(c) The mode of engagement of the staff in Utkarsh Society, number of total employees togetherwith the work assigned to them alongwith the remuneration given to them and details thereof; and

(d) The mode of audit of funding of the society togetherwith the role of the accounts personnel of the School Education Department alongwith details thereof?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matenhail) :

Sir, a statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Source of funding as Grant-in-Aid of UTKARSH Society — EDUSAT Project, Education Department, Govt. of Haryana from 2010-11 to 2013-14 i.e. till date.

Sr. No.	During the year	Grant Received from	Amount received (in crore)
1.	2010-11	Elementary Education Department	1.00
		Secondary Education Department	3.00
2.	2010-11	Elementary Education Department	1.00
		Secondary Education Department	3.00
3.	2012-13	Elementary Education Department	1.00
		Secondary Education Department	3.00
		Higher Education Department	0.25
4.	2013-14	Elementary Education Department	1.00
		Secondary Education Department	3.00
		Higher Education Department	1.00
		Total :	**17.25**

(b) Funds Utilized by UTKARSH Society — EDUSAT Project, Education Department, Govt. of Haryana from 2010-11 to 2013-14 i.e. till date.

Sr. No.	During the year	Details of Expenditure made on various items, salaries and contingent expenditure etc.	Amount spent (in lacs)
1	2	3	4
1.	2010-11	Salary to Staff	23.17

1	2	3	4
		Contingent Expenditure (Telephone, Electricity, TA/DA to Staff and Resource Persons, Honorariun to Resource Persons and Annual Maintenance Contracts AMC) of various components, etc).	69.79
		Purchase of Electrical, Recording & Broad-casting Equipments.	6.88
		Total 2010-11 (A)	**99.84**
2.	2011-12	Salary to Staff	56.00
		Contingent Expenditure (Telephone, Electricity, TA/DA to Staff and Resource Persons, Honorarium to Resource Persons and AMC of various components, etc.)	55.96
		Purchase of Electrical Equipments and various other items.	14.77
		Total 2011-12 (B)	**126.73**
3.	2012-13	Salary to Staff	67.30
		Contingent Expenditure (Telephone, Electricity, TA/DA to Staff and Resource Persons, Honorariun to Resource Persons and AMCs of various components, etc).	65.52
		Purchase of Computer, Electrical Equipments and various other items	0.92
		Purchase of 4000 Batteries through HARTRON	208.95
		Total 2012-13 (C)	**342.69**
4.	2013-14 till date	Salary to Staff	52.45
		Contingent Expenditure (Telephone, Electricity, TA/DA to Staff and Resource Persons, Honorariun to Resource Persons and AMC) of various components etc).	71.69
		Purchase of Computer, Electrical Equipments and various other items	4.48
		Funds transferred to Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL), a Govt. of India Undertaking, for the purchase of	26.1

1	2	3	4
		audio, video equipments in recording studio.	
		Funds Transferred to SMCs/SMDCs for purchase of 710 batteries in Gurgoan District	53.25
		Total 2013-14 (D)	**207.97**
		Grand Total (A+B+C+D)	**777.23 lacs (7.77 Crore)**

(c) Engagement of staff in UTKARSH Society is made at its own level by making contractual appointnents, by way of advertisement through Information and Public Relation Department in Newspapers. There are total 34 employees working on contract basis. In addition to these, 6 Class-IV employees and 3 security employees are engaged through outsourcing agency at DC Rates and the details of the same are as under :—

Details of staff engaged UTKARSH Society alongwith its remuneration and work assigned.

Sr. No.	Name of the Post	Consolidated Remuneration presently being given (including Fixed Medical Allowance @ Rs. 500/-)	Work Assigned
1	Administrative Officer (Retired HCS) (One Post)	Rs. 40,492/- On the pattern of last pay drawn minus pension plus allowances admissible	Overall administrative control, liaisoning with three Directorates of Education department and its field officers.
2	General Manager (Technical) (One Post)	Rs, 5O,500/-	Overall technical control of EDUSAT, HUB & 22 JE's in the field.
5	Studio Engineer (4 posts)	Varying from Rs. 19,400/- to Rs. 21,200/- depending upon the date of appointment	Looking after 4 Studios where telecast, recording etc. is done.
6	Librarian (One Post)	Rs. 17,000/-	Overall incharge of DVDs, CDs of recorded contents.
8	Deputy Superintendent (One post)	Rs. 15,500/-	Supervision of accounts as well as establishment and miscellaneous matters.

1	2	3	4
10	Acccounts Assistant (One Post)	Rs. 14,300/-	Maintenance of accounts, returns, bank transactions and expenditure etc.
12	Electrician (One Post)	Rs. 12,500/-	To look after electric related, problem in HUB and day to day liaison with UHBVNL, etc.
13	Junior Engineers for field Duty at District Level (Twenty Posts, one in each District and two in Mewat District)	Varying from Rs. 12,000/- to Rs.13,100/- depending upon the date of appointment	Maintenance, repairs of DTH/ ROTs and SITs installed in all the Govt. Schools, Colleges, Polytechnics, DIETs and various offices
14	Data Entry Operator (Two posts)	Varying from Rs. 10,500/- to Rs.11,300/- depending upon the date of appointment.	Computer Typing work in office and as a record keeper (One Data Entry has been provided to technical wing for seeking reports from JEs and its compilation)
16	Security Guard (Three Posts)	Rs. 7,810/-	Round the clock security of EDUSAT of 8 hours duration with each security guard.
17	Peon (Two Posts)	Rs. 7,700/-	Office upkeep
18	Mali (Three Posts)	Rs. 7,700/-	Maintainance of two big lawns etc.
19	Sweeper (One post)	Rs. 7,700/-	Sweeping of the entire campus of EDUSAT both on ground floor as well as on 1st floor.

Note: 5% annual increase on the base amount is given to contractual employees from Sr. No. 2 to 14.

(d) Audit of Funding of the society

Audit of the funding of the society is being carried out by Principal Accountant General (Audit)', Haryana from time to time. Presently, Chief Accounts Officer of Secondary Education Department is the Treasurer of the Society. However, his role is limited to this extent only.

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will make obituary reference.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं 2 फरवरी, 2014 को माननीय सदस्य श्री सुभाष चौधरी के चचेरे भाई और पलवल के पूर्व विधायक एवं मंत्री श्री कल्याण सिंह के बेटे स्वर्गीय जगबीर सिंह के आकस्मिक निधन पर सदन की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखा है। मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखा है। मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I also associate myself with the obituary reference made by the Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by the other Members of the House. I feel deeply grieved on the said demise of Shri Jagbir Singh son of Shri Kalyan Singh, Ex-Minister and cousin of Shri Subhash Chaudhary, MLA, on 2nd February, 2014. I pray to Almighty to give piece to the departed souls. I will convey the feelings of this august House to the bereaved families. Now, I will request all of you to kindly stand up for two minutes to pay homage to the departed soul.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect and to pay homage to the departed souls)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कि Agreement between

[श्री अनिल विज]

HSIIDC and Reliance signed in 2006 to develop a SEZ in Gurgaon-Jhajjar के बारे में था, का फेट तो बता दीजिए क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Vij Ji, please sit down. I will tell you the fate of your Calling Attention Notice. (Interruption). Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion from Shri Sampat Singh, MLA, regarding falling of ground water level in Haryana. I admit it. He may read his notice. (Interruption).

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का फेट तो बता दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It has been disallowed. I have already communicated to you in this regard.

Shri Ani Vij : Speaker Sir, I have not received any communication.

Mr. Speaker : I am telling you now.

Shri Ani Vij : Speaker Sir, you should announce it in the House.

Mr. Speaker : Yes, I have already announced, it has been disallowed.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरा दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव harassment of Shri Ashok Khemka, IAS, के बारे में है, उसके बारे में भी बता दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is also disallowed (Interruption). Vij Ji, please resume your seat. (Interruption). Please Vij Ji, resume your seat.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आज तो सत्र का आखिरी दिन है।

वाक आउट

Mr. Speaker : You please resume your seat (Interruption). Nothing is to be recorded.

श्री अनिल विज : * * *

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आप बैठ जाइये। प्रो. संपत सिंह जी आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, आप उसे पढ़ें। (व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Mr. Minister, not to take notice of what Mr. Anil Vij says. (Noise & Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Not even a single inch of land has been acquired by the HUDA to give any industrialist. I have said so many time on behalf of the Government. I reiterate that this Government has not acquired single inch of land to give to any industry.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरे अत्यंत महत्वपूर्ण कालिंग अटैंशन मोशंज डिसअलाऊ हो गए हैं। मैं बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहता था। आज हर वर्ग के साथ ज्यादती हो रही है। चूंकि आपने मेरे दोनों कालिंग अटैंशन मोशंज डिसअलाऊ कर दिये हैं इसलिए हम इसके विरोध में ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य श्री अनिल विज के कालिंग अटैंशन मोशंज डिसअलाऊ किए जाने के विरोध में सदन से वाकआउट कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उन पर वक्तव्य

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion Notice No. 6 from Prof. Sampat Singh regarding falling of ground water level in Haryana. I have admitted it. Prof. Sampat Singh, MLA may read his notice.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में बड़े पैमाने पर शहरीकरण से जल स्रोतों में भारी हानि हुई है। भूमिगत जल के दोहन पर एक धुंधली सी तस्वीर चित्रित करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) ने 31 क्षेत्रों को "डार्क जोन" (अत्यधिक दोहन क्षेत्र) के रूप में चिन्हित किया है। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में चार क्षेत्र गुड़गांव, पटौदी, सोहना तथा फरूंखनगर को "डार्क जोन" के रूप में घोषित किया गया है।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जिला पलवल में पलवल, होडल तथा हसनपुर क्षेत्रों को "डार्क जोन" के रूप में घोषित किया गया है जबकि तावडू, फिरोजपुर झिरका जिला मेवात की सूची में सम्मिलित हैं। फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद क्षेत्र भी "डार्क जोन" में है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[प्रो. सम्पत सिंह]

जिला पानीपत में बापोली, इसराना, मतलौडा, पानीपत तथा समालखा क्षेत्र अत्यधिक दोहन की श्रेणी में हैं जबकि गन्नौर, राई तथा सोनीपत जिला सोनीपत में श्रेणी में है। नाहर, बावल, रेवाड़ी तथा खोल जिला रेवाड़ी में बाढ़डा, दादरी, कैरू तथा लोहारू जिला भिवानी में तथा अटेली, महेन्द्रगढ़, कनीना, नांगल चौधरी तथा नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ में अन्य क्षेत्रों को बोर्ड द्वारा "डार्क जोनों" के रूप में घोषित किया गया है।

भूमिगत जल का अनधिकृत दोहन एक चिन्ता का विषय बन गया है। धान उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के दस जिलों में पानी का स्तर तीव्र गति से निरन्तर गिर रहा है। हाल ही के वर्षों में भूमिगत जल स्तर अधिकतम गिरा है। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, यमुनानगर में कई खण्ड तथा अन्य में भूमिगत जल स्तर के गिरने से बहुत ही संवेदनशील अवस्था में पहुंच गए हैं। इन जिलों में भूमिगत जल स्तर 2 से 13 मीटर तक गिर गया है। पहले पानी का स्तर औसतन 8 मीटर की गहराई पर उपलब्ध था परन्तु अब औसतन स्तर 17 मीटर है।

बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र सिरसा जोन है जहां भूमिगत जल स्तर 37.96 मीटर गहरे स्तर पर उपलब्ध है, इसी प्रकार सीवन जोन 37.65 मीटर, शाहबाद जोन 36.88 मीटर, बबैन जोन 34.50 मीटर, थानेसर जोन 30.81 मीटर, रतिया जोन 30.65 मीटर, गुहला जोन 29.91 मीटर, फतेहाबाद जोन 29.28 मीटर, जाखल जोन 28.28 मीटर, पेहवा जोन 27.87 मीटर, लाडवा जोन 27.45 मीटर, पानीपत जोन 24.79 मीटर, कैथल जोन 24.28 मीटर पर उपलब्ध है तथा रानियां, अलेवा, टोहाना, समालखा, पुंडरी, नीलोखेड़ी, घरौंडा, रादौर, असन्ध, निसिंग, ऐलनाबाद इत्यादि जोनों में इसी प्रकार की स्थिति है।

उन्होंने आगे बताया है कि यह उपरोक्त परिस्थिति से स्पष्ट है कि भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। यदि यह अत्यधिक दोहन निरन्तर जारी रहेगा तो हरियाणा के किसानों का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा। उन्होंने सरकार से यह भी निवेदन किया है कि परिस्थिति सुधारने के लिए कुछ उचित कार्यवाही करें।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

Statement

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Deputy Speaker Sir, Haryana is a water deficit State with respect to surface and ground water resources. The ground water level in the State particularly in the fresh water zone is depleting fast due to heavy exploitation of ground water and is a very serious problem, Increasing demand and scarcity of Ground Water Resource underlines the importance of artificial recharge and water conservation. The State Average decline in water table from June, 1974 to June, 2013 is -7.97 meters and June, 1999 to June, 2013 is -7.80 meters.

Average decline in water table of Paddy grown areas from June, 1974 to June, 2013 is -9.23 meters. On the basis of Dynamic Ground Water Resource estimation as on 31.3.2011, the blocks have been categorized as Over Exploited, Critical, Semi Critical and Safe. A block is over exploited where development of ground water has taken place more than 100%, Critical where it is 90-100%, Semi Critical where it is 70-90% and Safe where it is less than 70%. Presently, the number of Over Exploited, Critical, Semi Critical and Safe blocks in the State is 68, 21, 9 and 18, respectively. The State Govt. is quite concerned about the fast depleting water table as ground water is a precious resource and sincere efforts are being made for the conservation of this natural resource.

DISTRICTWISE HISTORICAL FLUCTUATION JUNE, 1974 TO JUNE, 2013

(Depth in meters)

Sr. No.	District	Depth to Water Table			Fluctuation	
		June, 1974	June, 1999	June, 2013	June 1974 to June 2013	June 1974 to June 2013
1		2	3	4	5	6
1	Ambala	5.79	5.45	10.70	–4.91	–5.25
2	Bhiwani	21.24	16.19	20.76	0.48	–4.57
3	Faridabad	6.42	8.71	16.25	–9.83	–7.54
4	Fatehabad	10.48	6.42	23.05	–12.57	–16.63
5	Gurgaon	6.64	15.22	26.03	–19.39	–10.81
6	Hisar	15.47	5.87	7.35	8.12	–1.48
7	Jind	11.97	5.92	12.92	–0.95	–7.00
8	Jhajjar	6.32	4.49	4.57	1.75	–0.08
9	Kurukshetra	10.21	16.72	33.24	–23.03	–16.52
10	Kaithal	6.28	7.78	23.07	–16.79	–15.29
11	Karnal	5.72	7.59	17.62	–11.90	–10.03
12	Mahender-garh	16.11	25.01	45.68	–29.57	–20.67
13	Mewat	5.50	7.14	11.21	–5.71	–4.07
14	Palwal	5.37	5.72	9.38	–4.01	–3.66
15	Panipat	4.56	8.53	16.97	–12.41	–8.44
16	Panchkula	7.58	11.17	16.42	–8.84	–5.25

[Sardar Paramvir Singh]

1		2	3	4	5	6
17	Rohtak	6.64	3.80	3.71	2.93	0.09
18	Rewari	11.75	13.07	22.96	–11.21	–9.89
19	Sonepat	4 68	5 33	8 52	–3 84	–3 19
20	Sirsa	17.88	9.45	17.34	0.54	–7.89
21	Yamuna-nagar	6.26	7.13	12.69	–6.93	–5.56
	State Average	9.19	9.36	17.16	–7.97	–7.80

***(+) indicates rise in water table and (–) indicates decline in water table.**

Measures taken by various Departments for water conservation and for checking the over exploitation of ground water in Haryana.

1. Agriculture Department

1. " The Haryana State Preservation of Sub Soil Water Act, 2009" has been enacted which prohibits sowing of Paddy before 15th of May and transplanting of paddy before 15th of June. This Act has been quite successful in checking the exploitation of ground water especially in Paddy growing areas.

2. The Department has introduced a State Plan Scheme from the year 2005-06 namely "Accelerated Recharge to Ground Water" to recharge the ground water in water deficit areas of the State. Under this scheme, 592 Rain Water Harvesting structures have been constructed up to 2012-13 at a total cost of Rs. 485.58 lacs. A target of construction of 35 rain water harvesting structures has been fixed for the year 2013-14.

3. The Department is implementing Watershed schemes namely, National Watershed Development Project for Rain-fed Areas (NWDPRA), Flood Prone River (Ghaggar) and Sub Mountainous scheme under which activities like water harvesting structures, gully plugging, check dams, percolation embankments, marginal bunds/ diversion bunds, village ponds, sub-surface dams etc. are taken up. An amount of Rs. 217.24 lacs has been spent under the above schemes to treat an area of 2998 hectares during 2013-14 (up to Jan, 2014).

4. The Department is encouraging the farmçrs to adopt Drip and Sprinklers for irrigation to economize the use of irrigation water. For the promotion of Sprinkler System, subsidy' @ 50% of the cost of system and for Drip irrigation system, subsidy @ 75%

of the cost of system is being provided. Drip and Sprinkler irrigation systems save up to 40% of water used in irrigation. So far 1,42,574 sprinkler sets have been installed since the inception of the scheme in the State (up to Jan, 2014). An amount of Rs. 783.65 lacs has been provided as subsidy during 2013-14 (up to Jan, 2014) for promotion of 2843 sprinklers in the State against the target amount of Rs. 42.00 crore which has been earmarked for the current year 2013-14 for installation of 14,000 sprinkler sets. A target of covering 2000 ha under Cotton and Sugarcane crops under drip Irrigation has been fixed during the year 2013-14.

5. In order to prevent seepage and evaporation losses, the Department is providing subsidy to the farmers @ 50% of the cost or a maximum of Rs 60,000 per beneficiary for laying Underground Pipe Line System (UGPL). An amount of Rs. 141.12 crore has been spent for laying UGPL system in 1,16,233 hectares till 2012-13 since the inception of the scheme in 2002-03. An amount of Rs. 48 crore has been earmarked for UGPL during 2013-14 for covering an area of 38,000 hectares in the State.

6. Land levelling with Laser land leveller is used for precision/ scientific levelling of land thereby facilitates effective utilization of farm inputs. It saves about 20% water used in irrigation. Department is promoting use of laser levelling technology by way of demonstrations, providing machines on custom hiring basis and subsidy, it is proposed to provide 1300 laser land levellers to the farmers of the State on subsidy i.e. @ 50% of the cost of machine or Rs. 75,000/- whichever is less during the year 2013-14. A total number of 1535 laser land levellers have already been provided to the farmers of Haryana on subsidy from 2007-08 to 2012-13.

7. Department is promoting use of Zero tillage technology by way of demonstrations and providing assistance. Assistance 50% of the cost of machine or Rs. 20,000/- whichever is less is being provided. Zero tillage technology was introduced by the department on subsidy in the year 2001-02. A total of 19306 nos. of Zero-Till-seed-cumfertilizer-drill machines have already been provided to the farmers of Haryana on subsidy from 2001-02 to 2012-13. A target of 2400 nos. zero tillage machines has been fixed for the year 2013-14.

8. Direct Seeded Rice (D.S.R) and Crop Diversification programmes have been launched in the State for conservation of natural groundwater resource.

[Sardar Paramvir Singh]

9. To monitor the water table depth and its quality, 23 Digital Water data loggers have been installed in all blocks of Rohtak, Jhajjar, Kurukshetra and Kamal districts during the year 2011-12. 17 Digital Water data loggers have also been installed in remaining 17 districts during the year 2012-13.

10. Mass Awareness Campaigns are being launched to educate the farmers regarding conservation of groundwater and judicious use of irrigation water. Farmers are being advised to grow less water intensive crops.

11. A Model Bill to regulate, manage and control the ground water and its development in the State is under consideration. Eight meetings of the committee constituted by the State Govt. under the Chairmanship of Hon'ble Agriculture Minister for this purpose have been held. As per the decisions of last meeting, the Haryana State Draft Model bill i.e. **"Haryana State Ground Water Management and Regulation Act"** will be put up before the Government for further action for its enactment.

II. Horticulture Department

Horticulture Department is promoting sprinkler and drip irrigation under the National Mission on Micro Irrigation in order to ensure judicious use of water for horticultural crops. An area of 19,443 hectares under drip and 16,198 hectares under sprinkler irrigation has been covered. More than 2800 community tanks have been constructed on 100% subsidy to conserve water.

III. Irrigation Department

Irrigation Department has also taken measures for the recharge of groundwater. A total number of 33 recharge schemes have been completed so far whereas, 5 schemes in different districts are in progress and 13 others are proposed to be taken up in future.

IV. Rural Development Department

(a) Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), top most priority has been given to Water Conservation and water harvesting, drought proofing (including afforestation & tree plantation) and irrigation canals including micro and minor irrigations works, and renovation of traditional water bodies including de-silting of tanks. Since inception of the Scheme 6,483 works of water conservation and water harvesting have been completed and 2525 works are under progress up to January, 2014 on which an amount of Rs. 264.49 crore has been spent.

(b) Under Desert Development Programme (DDP) and Integrated Watersheds Development Programme (IWDP), 1215 watershed projects were taken up at a cost of Rs. 350.46 crore up to March, 2013.

(c) Under Integrated Watershed Management Programme (IWMP), 75 projects have been sanctioned at a cost of Rs.3100 lacs during 2011-12. An amount of Rs. 955.12 lacs has been spent on entry point activities and Rs. 476.22 lacs on Natural Resource Management. The major focus of this programme is on rain water harvesting, re-charging of groundwater, construction of gully plugs, roof rain water harvesting etc.

V. Public Health Engineering Department

This department has constructed 27151 sustainability structures including water harvesting dams, percolation tanks, check dams etc. in Panchkula, Yamunanagar and Ambala districts at a cost of Rs. 5959.57 lakhs upto 31.1.2014.

VI. Forest Department

The Forest Department has executed soil and moisture conservation works like water harvesting dams, check dams and percolation tanks for controlling the rain water run off. 78 water harvesting structures have been constructed by the Department in Shiwaliks. An amount of Rs. 2083.77 lakhs has been spent by the Forest Department during 2009-10 to 2012-13 on such structures.

VII. Urban Local Bodies Department

It is mandatory for all Govt. buildings and all private houses in municipal areas having roof top surface area of 100 sq.m. or more to have a rain water harvesting structure.

VIII. Haryana Urban Development Authority (HUDA)

(a) In order to ensure recharging of ground water, a notification dated 31.10.2001 was issued by HUDA vide which the following have been made mandatory :-

"Arrangement of roof top rain water harvesting will have to be made by the plot owners constructing the building on the plot allotted by HUDA Ilicensed colonies where the roof-top area is 100 sq.m. or more."

(b) In addition to the above provision, 588 number rain water harvesting systems have been provided in Gurgaon in HUDA areas in parks, green belts and HUDA buildings.

[Sardar Paramvir Singh]

(c) To minimize the exploitation of ground water, use of ground water for construction activities in licensed areas has been banned in Gurgaon. The developer has to obtain No Objection Certificate from Administrator, HUDA, Gurgaon for carrying out construction activities. NOC is issued only after the developer reveals the source of water (other than ground water) proposed to be used in construction activities. Treated water from Sewage Treatment Plant (STP) is generally used for construction activities.

(d) Out of 96 nos. tubewells, 71 tubewells in Gurgaon have been closed in HUDA areas so as to minimize the use of ground water with the commissioning of Chandu Budhera unit-I & II (22 MGD each).

(e) Water closets from 12 ltrs. in building regulations (Reg-61) has been amended to dual flush (10/05 & 06/03 ltrs.). This shall result in more than 50% saving in water use in domestic demand.

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि इस बारे में वर्ष 2009 में हम एक्ट लेकर आये जिसमें 15 मई से पहले पहले साठी की अरली वैरायटी की पौध तैयार की जाती थी और 15 जून तक उसकी पौध की प्लांटेशन की जाती थी उसको हमने बैन कर दिया। साठी की अरली वैरायटी में पानी का ज्यादा उपयोग होता था। इसके अतिरिक्त ड्रिप इरीगेशन को सब्सिडी देकर हम प्रोमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ स्कीमें हैं जैसे स्प्रिंकलर्ज की हैं और इसके अलावा कुछ भारत सरकार की स्कीमें भी हैं। इसके अलावा यू.जी.पी.एल. (Underground Pipeline) और वाटर सेविंग्ज के लिए वाटर लैवलर स्कीम को हम प्रोमोट कर रहे हैं जिससे पानी की बचत हो सकेगी और जो वाटल लैवल नीचे चला गया है उसको रोकने में यह स्कीम सहायक होगी। इसके अलावा क्रॉप डायवर्सिफिकेशन के बारे में स्कीम है। जो फसलें कम पानी की होती हैं जैसे मकई, दालें और गवार उनको भी हम प्रोमोट कर रहे हैं। एक मेन बात यह है कि एक मॉडल बिल जोकि इन स्कीमों को रेगूलेट करेगा उसको सरकार को जल्दी ही विभाग द्वारा पुट अप कर दिया जायेगा। इसके बारे में विभाग की आठ मीटिंग्ज हो चुकी हैं। इसमें कई विभागों की स्कीमें शामिल हैं जैसे एग्रीकल्चर विभाग, रूरल डिवलपमैंट, इरीगेशन विभाग, पब्लिक हैल्थ विभाग और फॉरैस्ट विभाग है। इस बिल के लिए सारे ही विभाग सीरियस हैं और इस बिल को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह बिल फाइनल स्टेज पर है और विभाग के विचाराधीन है और जल्दी ही सरकार को पुट अप कर दिया जायेगा।

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में रेगूलेटरी अथोरिटी का जिक्र किया है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रेगूलेटरी एथोरिटी बनाने के लिए मामला अण्डर कन्सीडिरेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रेगूलेटरी अथोरिटी बनाने के लिए मामला कब से अण्डर कन्सीडिरेशन है क्योंकि

यह बहुत पुरानी बात हो गयी है। जब रामपाल माजरा जी ने भी एक प्राईवेट मैम्बर रेजोलूशन सदन में रखा था उस समय भी सरकार की तरफ से यही जवाब आया था कि Haryana State Ground Water Management and Regulation Act हम बनाने जा रहे हैं। सर, इसको बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है इसको तो फटाफट बनाया जाये। सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे सिरसा के घग्गर के खरीफ चैनल के लिए 150 करोड़ रूपये खर्च किए हैं जिससे 1500 क्यूसिक पानी का फायदा उस एरिया को होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से हम क्यों न यमुना नदी के लिए भी चैनल बनायें क्योंकि बहुत से एरिया की यह डिमाण्ड है। इससे वाटर की रिचार्जिंग भी होगी और जो वाटर वेस्ट जा रहा है वह नहीं जायेगा क्योंकि यमुना नदी पर कोई बान्ध तो है नहीं। कहीं भी जैसे किसाऊ, रेणुका और लखवार ब्यासी जितने भी बांध हैं हम उनके बारे में हर बार कहते हैं कि यह हो गया वह हो गया। लेकिन पिछले 15 साल से वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम पानीपत के पास पानी की स्टोरेज के लिए एक खरीफ चैनल बना सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं। इसी प्रकार जैसे कोटला झील और बीबीपुर झील हैं उसी प्रकार की हमारी दूसरी लेक्स हैं। उन लेक्स की आगे बढोत्तरी की जाए ताकि वाटर की रिचार्जिंग हो सके। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि इस काम के लिए काफी विभाग शामिल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो गाँवों में जोहड़ हैं उनके कैचमैंट एरिया खत्म हो गये हैं। इसी प्रकार से जो गऊ चारा जमीन है वह साढे चार हजार एकड़ में हैं। यह सारी जमीन आज कब्जे में है। इसका मतलब तो जोहड़ो का जो कैचमैंट एरिया है वह तो खत्म है। क्या हम उस जमीन को रेस्टोर करके जोहड़ों के कैचमैंट एरिया को नहीं बढ़ा सकते ताकि जो जोहड़ हम खोदते हैं उनका यूटीलाईजेशन हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से ये तीन-चार बातें पूछी हैं। अगर मंत्री जी की तरफ से इनका जवाब आ जाता है तो फिर मैं एक दो बातें और पूछना चाहूंगा।

सरदार परमवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि इस मॉडल बिल के बारे में सारे विभाग ही सीरियस हैं। इसके बारे में काफी मीटिंग्ज हो चुकी हैं। जो ड्राफ्ट है वह बिल्कुल तैयार है और इस ड्राफ्ट को जल्दी ही सरकार के पास पुट अप कर दिया जायेगा। सारे विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यमुना नदी में जो बाढ़ आती है उसके पानी की कन्जर्वेशन हो जाए तो पानी की काफी बचत हो सकती है। उसके लिए मैं अपने विभाग की तरफ से इरीगेशन मिनिस्टर को जरूर लिखूंगा। माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसके बारे में मैं संबंधित विभागों को अपने महकमे की तरफ से लिखूंगा। माननीय सदस्य के अच्छे सुझाव हैं। झील के मामले में भी मैं इरीगेशन मिनिस्टर को अपने विभाग की तरफ से झील बनाने के लिए रिकमैण्डेशन के साथ लिखूंगा।

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कैचमैंट एरिया की वजह से जोहड़ों में पानी आ जाता है। मनरेगा के तहत जोहड़ तो खुदवा दिए गए। जोहड़ इसलिए खुदवाए गए थे ताकि वाटर रिचार्जिंग वगैरह हो लेकिन जोहड़ कैचमैंट एरिया न होने की वजह से खाली पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कैचमैंट एरिया के कब्जे को हटवाया जाए। इसके लिए मैं नही कहता कि किसी के मकान वगैरह गिराए जाएं लेकिन अगर किसी ने बाड़, बटोड़े

[सरदार परमवीर सिंह]

आदि बनाकर कैचमैंट एरिया रोक रखा है तो उनके कब्जों को हटवाया जाए, इसमें डिवैल्पमैंट एण्ड पंचायत डिपार्टमैंट भी शामिल हो जाएगा। ऐसे कब्जों को हटाया जाए ताकि कैचमैंट एरिया रह जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैंने लेक वगैरह का भी जिक्र किया था यह भी बहुत जरूरी है। चड्ढा साहब, यहां बैठे नही हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी नहरें हैं उनका सीपेज का जो पानी जा रहा है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि पानी खारा हो रहा है तथा और ज्यादा खराब हो रहा है। इसकी प्वांयटिंग वगैरह कर दी जाती है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्वांयटिंग से बात नहीं बनती बल्कि सीमेंट का प्लास्टर करना चाहिए। ऐसी नहरों में जैसे जे.एल.एन. नहर है, झज्जर जिले के हमारे साथी यहां बैठे हैं उनको पता है कि वहां आधे एरिया में सूखा है और आधे में सेम है और पानी जो खारा है वह जे.एल.एन. की सीपेज की वजह से है। ऐसी नहरों पर क्यों न प्लास्टर लगाया जाए या फिर आजकल जैसे लोग छत्तों पर तारकोल वगैरह यूज करते हैं या कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जाए ताकि सीपेज बन्द हो। सीपेज बन्द होने से पानी में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा पानी मिलेगा तथा लोग टयूबवैल का पानी कम यूज करेंगें तथा इससे पानी की बचत हो सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में इरीगेशन डिपार्टमैंट को लिखेगी।

सरदार परमवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वाटर कंर्जवेशन बहुत इम्पोर्टैंट है इसलिए माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं उस बारे में हम इरीगेशन मिनिस्टर को लैटर लिख देंगें और इस बारे में जो हो सकेगा हम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगें।

श्री कृष्ण लाल पवार : उपाध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मडलौडा और इसराना ब्लाक का भी जिक्र आया है। मडलौडा में सुताना गांव आता है। पानीपत थर्मल प्लांट की ऐशडैक की वजह से सुंताना गांव की सैंकड़ों एकड़ जमीन पर किसान बिजाई नहीं कर सकते इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई डीप टयूबवैल या कोई और प्रबंध करके किसानों की जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करेगी।

सरदार परमवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भेज दें इस विषय में हम जो कुछ कर सकेंगें वह जरूर करेंगें।

(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उन पर वक्तव्य

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion Notice No.9 from Shri Sampat Singh, MLA regarding road accidents in Haryana. I have admitted it. He may read out his notice.

श्री सम्पत सिंह : महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस समय हरियाणा का सड़क यातायात सुरक्षित नहीं है। इसके प्रमुख कारण हैं : असमतल तथा खराब रख-रखाव की सड़कें, खराब

रख-रखाव के दोषपूर्ण वाहन तथा अकुशल तथा अतिभारित चालक। वाहन संचालन व्यवहार भी सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है तथा 50 से 60% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय गलती से हुई मानी जाती हैं। राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर अत्याधिक गति के वाहन तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन भी बहुत बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं तथा घातक चोटों के लिए सहायक है।

2013 के दौरान, 10134 सड़क दुर्घटनाओं में से 4383 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई जबकि 9182 व्यक्ति घायल हो गए थे। प्रतिदिन 28 सड़क दुर्घटनाओं में 12 मौतों, 25 घायलों से भी अधिक की औसत है। 2012 के दौरान 10065 सड़क दुर्घटनाओं में 4598 से भी अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई जबकि 9452 व्यक्ति घायल हुए थे। हरियाणा की औसत 12.60 मौतें प्रतिदिन की तुलना में, राष्ट्रीय मृत्यु औसत 381 प्रतिदिन थी। स्पष्टतय: राष्ट्रीय औसत अर्थात् 8.53 मौतें प्रतिदिन की तुलना में उतनी ही जनसंख्या पर हरियाणा में औसत बहुत ज्यादा 12.60 मौतें प्रतिदिन है। सबसे ज्यादा शिकार 25 प्रतिशत दुपहिया वाहन सवार हैं। दुर्घटनाओं से हुई राष्ट्रीय मृत्यु औसत मुख्यत: अप्राकृतिक कारणों के कारण सड़क दुर्घटनाएं 37.2 प्रतिशत के विरूद्ध हरियाणा में 46.9 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सड़क दुर्घटनाओं के लगभग आधे शिकार 15 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।

इसका दोष मोटर वाहन चालकों की वाहन संचालन की आदत को दें या तनाव तथा अतिश्रम को दोष दें जिनमें वे वाहन चलाते हैं या यातायात नियमों को सख्ती से लागू न करने के लिए हरियाणा पुलिस की भूमिका पर शिथिलता को दोष दें, परन्तु यह दुर्घटनाओं की चौंकाने वाली भारी संख्या अस्वीकार्य है।

हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या के अन्य कारण कमजोर दृष्टि, तीव्र गति तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन थे। हरियाणा के राजमार्गों पर बहुत भीड़ है। हरियाणा परिवहन के चालक अंधाधुंध वाहन चलाने के लिए बदनाम हैं। मैक्सी कैबों, चौपहिया वाहनों तथा तिपहिया वाहनों की अनुशासनहीनता तथा अनियंत्रित संचालन भी इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। हरियाणा की सड़कों पर लोग चलते हुए डरते हैं।

पुलिस सड़क सुरक्षा कार्यक्रम 'सजग रहो' आरम्भ करके जनता के सहयोग से ट्रैक्टर ट्रालियों, दुपहिया वाहनों तथा तिपहिया वाहनों के संचालन को सुव्यवस्थित कर सकती है तथा सड़क सुरक्षा उपायों के रूप में वाहनों को रेट्रो-रिफलेक्टिव टेप नि:शुल्क दे सकती है जिसके लगाने से उन्हें विशेषकर रात को तथा कोहरे के दिनों के दौरान व्यस्त सड़कों पर परिवहन के सुरक्षित ढंग में सहायता मिलेगी। महत्वपूर्ण मार्गों के सभी चार भुजायुक्त विभाजकों पर तथा प्रत्येक लेन को कवर करने वाले 24 घण्टे चलने वाले कैमरे होने चाहिएं। कैमरे उनके सीमित प्रयोग के क्षणों में ही यातायात के उल्लंघनों को जांच लेते हैं। अत्यधिक तीव्र गति तथा ट्रैफिक लाइट के उल्लंघन के अधिकतर मामले रात को तथा छुट्टी के दिनों के दौरान होते हैं। ऐसे उल्लंघन सड़क के व्यस्त समय न होने (नॉन पीक आवर) के दौरान भी होते हैं क्योंकि सामान्यत: उस समय पुलिस की कम उपस्थिति होती है।

पुलिस को खतरनाक वाहन चलाने की अधिक सख्त धारा, जिनमें सजा के रूप में जेल का प्रावधान है, के अन्तर्गत अत्यधिक तीव्र गति पाये जाने पर उल्लंघनकर्त्ताओं को बुक

[प्रो० सम्पत सिंह]

करना शुरू करना चाहिए। आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि शराब पीकर वाहन चलाना, अत्यधिक तीव्र गति तथा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन ही निरंतर घातक दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण रहे हैं।

इसी प्रकार बिना हेलमेट के वाहन चलाना, अत्यधिक तीव्र गति, ट्रैफिक लाइट जम्प करना तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन प्रयोग करना ट्रैफिक उल्लंघन के चार्ट के शिखर पर हैं।

यातायात प्रबन्धन आज एक विकसित तकनीकी विषय है परन्तु यातायात पुलिस बल के पास विशेषज्ञों सहित तकनीकि विंग नहीं है। जो व्यक्ति पुलिस बल के मुख्य पदों पर सीमित अवधि के लिए आते हैं, उन्हें इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता।

उन्होंने आगे यातायात प्रबन्धन अवसंरचना का दर्जा बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कि यातायात पुलिस को चालकों तथा प्रबन्धकों के साथ बैठकें करके स्कूल वाहनों का निरीक्षण करना चाहिए। इन वाहनों में यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन बार नियमों का उल्लंघन तथा लापरवाही का दोषी पाये जाने पर चालकों के लाईसेंस खत्म होने चाहिएं। पद यात्रियों को सड़क के बीच लगाए गए लोहे की रेलिंग को पार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सम्बन्धित प्राधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि तीव्र गति के वाहनों से सम्मिलित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के क्रम में राजमार्गों पर प्रत्यक्षरूप से विभिन्न निर्माणों की सभी अवैध पहुंच को रोकना चाहिए। कौन सा वाहन किस लेन में चलाना चाहिए, के सम्बन्ध में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिएं। बसों तथा आपातकालीन वाहनों के लिए एक समर्पित लेन आरक्षित होनी चाहिए तथा आपातकालीन वाहनों की लेन को अन्य वाहनों से मुक्त रखा जाना चाहिए। बिना बीमा किए वाहन जब्त किए जाने चाहिएं। सड़क के दोनों ओर सजे संवरे तथा सजावट वाले पेड़ों से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उन से सड़क पर चिह्न (रोड साईन) तथा ट्रैफिक सिग्नलों (यातायात संकेतों) के दिखने में बाधा न हो। सड़कों, गलियों तथा समुचित पार्किंग स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिये रेहड़ी, रिक्शा, लिपहिया वाहनों तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्थान समुचित रूप से चिन्हित होना चाहिए। अतिभारित भारी वाहन, नशा लेकर वाहन संचालन, बिना हैलमेट तथा बिना सीट बैल्ट तथा वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही होनी चाहिए। जहां तक कि पुलिस महानिदेशक ने भी वैबसाईट पर यह स्वीकार किया है कि 2001-2006 वर्ष के दौरान दुर्घटना, मृत्यु तथा घायलों की दर काफी कम हुई थी जबकि वर्ष 2007 में जब यातायात पुलिस स्टेशनों का नियंत्रण जिला पुलिस को सौपा गया था, इन दुर्घटनाओं, मृत्यु तथा घायलों की दर में वृद्धि हुई है जैसा कि वेबसाइट में दिये गये आंकड़ों से प्रमाणित है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

परिवहन मंत्री (श्री आफताब अहमद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण सूचना, हरियाणा

राज्य में सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं, यातायात प्रबन्धन और यातायात के नियमन से सम्बन्धित है।

हरियाणा राज्य की आर्थिक समृद्धि व सामाजिक विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन राज्य में निरन्तर बढ़ रहा वाहनों का घनत्व, वाहनीकरण में बढ़ोतरी, बढ़ती जनसंख्या, तीव्र औद्योगिकीकरण और राज्य का तीव्र गति से बढ़ता आर्थिक विकास सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं में मौतों तथा चोटों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों के अत्यधिक घनत्व के कारण भी सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।

यह लोकहित का एक अति महत्वपूर्ण व अत्यावश्यक विषय है। राज्य सरकार इस ज्वलन्त विषय के प्रति अति गंभीर है। अतः इस पर एकीकृत रूप से कार्य करने के लिए राज्यस्तर पर माननीय परिवहन मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, वित्तायुक्त तथा मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा विभिन्न सहभागियों जैसे- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन, रेलवे, यातायात, लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर), पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, वन, स्थानीय निकाय के विभागों तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) इत्यादि के कार्यों का जमीनी स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए नियमित बैठकें की जाती हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मौतों, चोटों तथा उत्पादन की क्षति से अत्याधिक मानवीय वेदना होती है तथा सामाजिक-आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह सही है कि वर्ष-2013 के दौरान हुई कुल 10,134 सड़क दुर्घटनाओं में 4383 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 9182 लोग घायल हुए। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि हरियाणा की सड़कें यातायात के लिए सुरक्षित नहीं हैं। यद्यपि यह कहना सुखद है कि पिछले पांच वर्षों में वाहन संख्या तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के उपरान्त भी राज्य में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में वास्तविक कमी आई है। सड़क यातायात तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार वर्ष-2009, 2010, 2011, 2012 तथा 2013 में हरियाणा में मारे गये तथा घायल हुए कुल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
1	2009	11915	4603	10481
2	2010	11195	4719	9905
3	2011	11128	4762	9727
4	2012	10065	4446	9452
5	2013	10134	4383	9182

[श्री आफताब अहमद]

हरियाणा, उसके समकक्ष अन्य राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रति एक लाख जनसंख्या तथा प्रति दस हजार वाहनों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :-

क्रम संख्या	राज्य	सड़क दुर्घटनाएं/प्रति एक लाख जनसंख्या				सड़क दुर्घटनाएं/प्रति दस हजार वाहनों		
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
1	हरियाणा	48.4	44.7	43.9	38.9	26.9	23.4	20.7
2	गोवा	251.7	266.7	312.8	237.3	61.8	62.9	57.7
3	गुजरात	54.0	51.7	50.0	46.7	28.2	25.4	23.2
4	केरल	104.0	102.2	105.5	103.9	72.9	65.0	58.0
5	कर्नाटक	77.7	78.7	73.2	74.0	65.0	51.1	45.0
6	महाराष्ट्र	65.7	64.2	60.9	58.1	49.8	45.2	39.3
7	तमिलनाडू	91.3	97.0	91.3	99.8	47.2	46.2	42.1
8	आन्ध्र प्रदेश	52.4	53.1	52.2	49.7	54.1	50.0	43.3
9	**राष्ट्रीय औसत**	**41.9**	**42.5**	**41.1**	**40.6**	**42.3**	**39.1**	**35.1**

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा में प्रति एक लाख जनसंख्या तथा प्रति दस हजार वाहनों पर हुई सड़क दुर्घटनाएं न केवल समकक्ष राज्यों से कम हैं, अपितु राष्ट्रीय औसत से भी कम हैं।

सड़क यातायात तथा राजमार्ग मंत्रालय की वैब साइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 के दौरान हरियाणा में प्रति एक लाख जनसंख्या पर सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृतक दर राष्ट्रीय औसत 11.4 के मुकाबले में 17.2 है, जबकि प्रति एक लाख जनसंख्या पर सड़क दुर्घटनाओं में हुए घायलों की दर राष्ट्रीय औसत 42.2 के मुकाबले में हरियाणा में 36.6 है। उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2012 के दौरान हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की दैनिक औसत 12.6 है, जबकि इसकी तुलना में समान जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत 8.35 प्रतिदिन है। हालांकि पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों से प्रतीत होता है कि इस दिशा में निरन्तर सुधार हो रहा है।

हरियाणा की सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्तीय वार्षिक आंकड़े इस प्रकार है :-

दिनांक तक	पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या
31.03.2001	19,23,104
31.03.2005	28,53,667
31.03.2006	30,87,026

31.03.2007	35,38,297
31.03.2008	39,73,791
31.03.2009	44,25,221
31.03.2010	47,91,825
31.03.2011	53,77,003
31.03.2012	59,78,110

राज्य सरकार अपने नागरिकों को सुगम और सुरक्षित यातायात प्रवाह उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अध्ययन किए गए हैं तथा कई शैक्षणिक, ढांचागत, रचनात्मक, अभियांत्रिकी, नियामक, चिकित्सात्मक तथा दंडात्मक कदम उठाए गए हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारकों तथा परिस्थितियों को व्यापकरूप से मानवीय कारकों, तकनीकी कारकों, सड़क तथा सड़क वातावरण कारकों, यांत्रिक कारकों, मौसम अवस्थाओं तथा दृश्यता परिस्थितियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वाहन चालकों की आदतें, वाहन चलाते समय थकान तथा तनाव, तीव्रगति, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां, यातायात प्रबंधन के लिए जिम्मेवार लोगों की ढिलाई, सड़क तंत्र में खामियां, सड़क की अपर्याप्त चौड़ाई, खराब सड़क सतह, यातायात शिक्षा तथा सभ्य संवेदना की कमी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मानवीय जीवन की क्षति तथा चोटों के मुख्य कारण हैं।

ट्रक तथा मैक्सी कैब के चालकों की दृश्यक्षमता को जांचने तथा उपचार के लिए नियमित तौर पर चिकित्सा विशेषज्ञों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आवश्यतानुसार उन्हें चश्में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2013 में ऐसे कुल 15 नेत्र शिविर आयोजित किए गए हैं तथा चालू वर्ष 2014 के दौरान 15 चिकित्सक तथा 30 चिकित्सा सहायकों की मदद से 7 ऐसे शिविर आयोजित किए गए हैं जिनमें लगभग 1744 वाहन चालकों का दृष्टि परीक्षण किया गया।

लापरवाही से वाहन चलाने पर हरियाणा राज्य परिवहन के चालकों के भी चालान किए जाते हैं। वर्ष 2012 तथा 2013 के दौरान क्रमश: 90 तथा 50 ऐसे वाहन चालकों के चालान किए गए।

सड़क पर वाहन की चलने की उपयोगिता, सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 14 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से रोहतक जिला में एक स्वचालित 'निरीक्षण एवं प्रमाणक केन्द्र' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह केन्द्र वाहनों की उपयोगिता तथा सड़क पर चलने की योग्यता की जांच करने के लिए परिष्कृत मशीनों से सुसज्जित होगा। रोहतक, बहादुरगढ़ तथा कैथल में चालन तथा यातायात अनुसंधान संस्थान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। भिवानी में 'चालन तथा यातायात अनुसंधान' (आई.डी.टी.आर.) निर्माणाधीन है। जबकि नूंह में एक और 'चालन तथा यातायात अनुसंधान संस्थान' स्थापित करने की योजना है।

तेज गति से वाहन चलाना भी सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है। गति सीमा

[श्री आफताब अहमद]

से अधिक गति पर चलने वाले वाहनों की गति पर नियन्त्रण के लिए राजमार्गों पर राडार उपकरणों से लैस 32 इंटरसेप्टर वाहनों को तैनात किया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। वर्ष 2011, 2012 व वर्ष 2013 के दौरान क्रमश: 106010, 98725 तथा 72060 वाहनों का गति सीमा का उल्लंघन करने पर चालान किया गया है।

वर्तमान में राज्य से गुजरने वाले मुख्य राजमार्गों की चौड़ाई भारी यातायात के आयतन के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2, 8 व 10 को चौड़ा व सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष मामला उठाया है। इन राजमार्गों पर या तो कार्य चल रहा है या योजनाधीन है। इसके अतिरिक्त 2005 से 2014 तक 1149 करोड़ रुपयों की लागत से 42 रोड ओवर ब्रिज/रोड अण्डर ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है व 896 करोड़ रुपये की लागत के 29 रोड ओवर ब्रिज/रोड अण्डर ब्रिजज़ निर्माणाधीन हैं, जबकि 895 करोड़ रुपये की कीमत के 33 रोड ओवर ब्रिजिज़/रोड अण्डर ब्रिजिज़ रेलवे की कार्यक्रम सूची में शामिल हैं व इन्हें निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जाएगा।

वर्ष 2005 से कुल 209 करोड़ रुपये लागत के 124 पुलों को पूरा कर दिया गया है, 88 करोड़ रुपये की लागत के 26 पुल निर्माणाधीन हैं व 28 पुलों का निर्माण किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार, राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राजमार्गों के उत्थान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से विचार-विमर्श चल रहा है। वर्तमान में 3300 करोड़ रुपये के कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं, 5800 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं व 4500 करोड़ रुपये के कार्य योजनाधीन हैं। 165 किलोमीटर लम्बी 'पानीपत-गोहाना-रोहतक-बावल' (रा.मा. 71क) सड़क को 1457 करोड़ रुपये की लागत से चार लाइनों में बनाया जा चुका है। 118 किलोमीटर लम्बी रोहतक-जीन्द-नरवाना-पंजाब सीमा सड़क को 725 करोड़ रुपये की लागत से चार लाइनों में बनाया जा रहा है। लगभग 1100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 95 किलोमीटर लम्बी अम्बाला-कैथल सड़क के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

1214 करोड़ रुपये की लागत वाली 152 किलोमीटर लम्बी, 24 बाईपास सड़कें पूरी की जा चुकी हैं। 185 करोड़ रुपये की लागत वाली 73 किलोमीटर लम्बी, 7 बाईपास सड़कों का कार्य निर्माणाधीन है व 18 बाईपास योजनाधीन हैं।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर पानीपत शहर में तथा रोहतक और हिसार शहरों में पैदल उपरगामी पुलों का निर्माण किया गया है।

मैक्सी कैब व तिपहिया इत्यादि वाहनों की गैर-अनुशासित व अनियन्त्रित कार्यकलापों के विरुद्ध यातायात पुलिस कड़ी कार्यवाही करती है। निम्नलिखित मैक्सी कैब व तिपहिया वाहनों का चालान किया गया है :-

क्रम संख्या	वाहन	2011	2012	2013
1	मैक्सी कैब	14408	22484	16436
2	तिपहिया वाहन	32351	77554	157006

माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम 'दृश्यमान रहो' में सुझाई गई गतिविधि, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन इत्यादि को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के तहत 'पूर्व परावर्तक पट्टियां' लगाए जाने का जिक्र है, एक सतत प्रक्रिया है जो पहले से ही की जा रही है। शहर के मुख्य चौराहों पर कैमरों को लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है तथा कुछ शहरी क्षेत्रों में कार्य पहले से ही चल रहा है।

यातायात का नियमन सदैव हरियाणा पुलिस की प्राथमिकता रहा है। राज्य में सुगम परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु यातायात प्रबन्धन के लिए 1665 पुलिसकर्मियों, जिनमें एक संयुक्त पुलिस आयुक्त, चार उप-पुलिस आयुक्त/अधीक्षक, 10 उप-पुलिस अधीक्षक, 25 निरीक्षक, 198 गैर-राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व 1427 अन्य पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। निकट भविष्य में 12 हजार नए सिपाहियों की भर्ती के बाद यह संख्या और बढ़ जाएगी।

प्रदेश में यातायात के नियमित संचालन व निगरानी के अतिरिक्त, समय-समय पर अतिभार वाले, गतिसीमा का उल्लंघन करने वाले व शराब पीकर वाहन चलाने वाले इत्यादि पर रोक लगाने के लिए नियमित तौर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। यातायात के नियमों/कानूनों का पालन न करने वाले विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के किए गए चालान इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	अपराध	2011	2012	2013
1	शराब पीकर वाहन चलाने पर	15736	29564	19396
2	बिना हैलमेट के वाहन चलाने पर	247679	290451	332599
3	बिना सीटबैल्ट के वाहन चलाने पर	103848	163341	118179
4	गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन प्रयोग करने पर	9718	15465	12886
5	यातायात बत्ती की उल्लंघना करने पर	21070	37945	52548
6	गतिसीमा की उल्लंघना करने पर	106010	98725	72060
7	बीमा रहित वाहनों के	88037	73041	64094

निर्माण सामग्री से भरे अतिभार वाले वाहन बहुत सी सड़क दुर्घटनाओं के कारण होते हैं व सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस 'मोटर वाहन अधिनियम' व 'जन सम्पत्ति

[श्री आफताब अहमद]

(क्षति अवरोधक) अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत अतिभार वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रही है। दिनांक 01.02.2013 से 31.01.2013 तक कुल 547 अतिभार वाले वाहनों का चालान किया जा चुका है। वर्ष 2013 में दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक लोक सम्पत्ति (क्षति अवरोधक) अधिनियम के अंतर्गत कुल 1150 केस दर्ज किए गए हैं व वर्ष 2014 के जनवरी में दिनांक 01.01.2014 से 31.01.2014 तक 114 मामले दर्ज किए गए हैं।

पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर दुर्घटना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं क्रमशः 304क/338 तथा 337/336 व 279 के तहत मुकदमें दर्ज किए जाते हैं।

वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक वर्षवार आंकड़े निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	वर्ष	कुल दर्ज मुकदमें	जानलेवा मुकदमों में सजा दर
1	2008	11596	22.7
2	2009	11915	21.5
3	2010	11195	15.5
4	2011	11128	17.5
5	2012	10065	19.3

माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव कि "गतिसीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों तथा खतरनाक रूप से वाहन चलाने पर पुलिस को ऐसी सख्त धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए, जिनमें कारावास सम्बन्धी प्रावधान हो," पर विचार किया जा रहा है तथा कानूनी रूप से तर्कसंगत होने पर इसे लागू किया जाएगा।

आज के समय में यातायात प्रबंधन एक निरन्तर तकनीकी विकास का विषय है तथा इसके लिए पुलिस में 'विशेष तकनीकी शाखा' जिसमें अन्य सम्बन्धित विभागों जैसे- लो.नि.वि. (बी. एण्ड आर.), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, वन, विद्युत से लिए गए विशेषज्ञ होने चाहिएं।

स्कूल वाहनों के पर्यवेक्षण हेतु माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव, जिसमें चालकों व स्कूल प्रबन्धन के साथ बैठकें करना है, को कियान्वित किया जा रहा है। नियमों की उल्लंघना व अनदेखी करने पर वर्ष 2013 में 3301 स्कूल की बसों के वाहन चालकों का चालान किया गया है। स्कूल बसों से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को लागू किया गया है व स्कूल प्रबन्धन के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2013 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा स्कूल प्रबंधकों व स्कूल बस चालकों के साथ कुल 784 बैठकें आयोजित की गई हैं। समय-

समय पर वाहन चालकों के लिए रिफ्रैसर कोर्स व संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। ड्राइविंग लाईसेन्सों के निलम्बन एवं निरस्तीकरण से संबंधित आवश्यक प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 20 से 22 में विदित हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव पैदल यात्रियों को सड़क के मध्य लगी लोहे की रेलिंग पार करने से रोकने बारे दिए गए हैं, उन पर अमल किया जा रहा है तथा यातायात पुलिस द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में आम जन को भी इस संदर्भ में शिक्षित किया जा रहा है। विभिन्न भवनों से राजमार्ग पर सीधे प्रवेश, जिससे लेज गति वाहन भी प्रवेश करते हैं, के सुझाव पर लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) पहले ही कार्यरत है। सड़कों के साथ-साथ जहां भी सम्भव है; सर्विस लेन प्रदान की गई हैं। राजमार्गों पर सीधे प्रवेश नहीं दिए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में लोक निर्माण विभाग/ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आवासीय क्षेत्रों में लगभग 74 किलोमीटर लम्बी सर्विस लेने बनाई हैं तथा लगभग 579 किलोमीटर सर्विस लेन का निर्माण प्रस्तावित है। राजमार्गों पर लेन में गाड़ी चलाना यातायात प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस संदर्भ में राज्य सरकार पहले ही अधिसूचना क्रमांक 13/2/2013-टी(1) दिनांक 04.04.2013 जारी कर चुकी है। हालांकि राजमार्गों को चौड़ा एवं मजबूत करने के दौरान पंक्तिबद्ध वाहन चालन की नीति को लागू करने में कठिनाई आती है। सड़कों पर लगे पेड़ों की कटाई-छंटाई, सड़कों व गलियों पर अवैध कब्जों को हटाने, रेहड़ियों, रिक्शा, तिपहिया वाहन व व्यवसायिक वाहनों की पार्किंग के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना एक निरन्तर प्रक्रिया है और संबंधित विभाग इन मामलों की लगातार देख-रेख करते हैं।

यातायात के सुगम एवं सुरक्षित प्रवाह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने कम्प्यूटर आधारित लाइसेन्स परीक्षण प्रणाली प्रारम्भ की है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को पहले यातायात के नियमों व उप-नियमों से संबंधित परीक्षा से गुजरना पड़ता है तभी प्रार्थी प्रयोगात्मक वाहन चालन परीक्षा के लिए योग्य होता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में हरियाणा पुलिस ने राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा यातायात प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें पूरे राज्य से स्कूलों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 7,369 स्कूलों के 24,13,137 बच्चों ने भाग लिया। इसकी सफलता को संचार माध्यमों ने विस्तृत तौर पर प्रचारित किया था तथा इससे समाज के विभिन्न वर्गों में यातायात सम्बन्धी ज्ञान का संवर्धन हुआ। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में यातायात से संबंधित कई विषय जैसे- पदयात्रियों, साईकिल, दुपहिया वाहन और कार चालकों, स्कूल बसों, सड़क पर लगे चिन्हों व संकेतों से सम्बन्धित विषय विस्तारपूर्वक शामिल किए गए थे।

सुरक्षित एवं जिम्मेवारीपूर्वक वाहन चालन, सड़क चिह्नों, मार्किंग तथा संकेतों की एक निर्देश-पुस्तिका तैयार करके राज्य के सभी विधालयों में वितरित की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए निरन्तर अभियान चलाए जा रहे हैं व शराबी चालकों को एल्को सैन्सर की मदद से चैक किया जा रहा है।

सड़क अभियान्त्रिकी से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, संयुक्त समाधान निकालने एवं यातायात का सुचारू व सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के संभावित

[श्री आफताब अहमद]

कारणों बारे विभिन्न सहभागियों ने गहराई पूर्वक विश्लेषण किया है जिसमें राज्य स्तर पर सड़क दुर्घटना सम्भावित 1170 स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से 888 को दिनांक 01.01.2014 तक सुधार दिया गया है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के विश्लेषण किए जाते रहेंगे।

दुर्घटना पीड़ितों को घटनास्थल पर प्राथमिक उपचार देने व उन्हें निकटतम अस्पताल ले जाने की सुविधा है। वर्ष 2013 के दौरान कुल 13,652 दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता दी गई है।

वर्ष 2001 से 2013 में हरियाणा में हुई दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों से संबंधित वार्षिक संख्या इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
1	2001	8393	2911	8289
2	2002	8748	2987	8321
3	2003	8690	3028	8287
4	2004	9321	3417	8643
5	2005	9298	3379	8773
6	2006	10314	4012	9118
7	2007	11998	4415	10288
8	2008	11596	4494	10570
9	2009	11915	4603	10481
10	2010	11195	4719	9905
11	2011	11128	4762	9727
12	2012	10065	4446	9452
13	2013	10134	4383	9182

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2001 से 2006 तक बढ़ी। यह वृद्धि वर्ष 2011 तक जारी रही। मरने वालों की संख्या वर्ष 2010-11 में शीर्ष तक पहुंची। तदोपरान्त यह संख्या लगातार घट रही है। इसी तरह घायल हुए व्यक्तियों की संख्या में भी वर्ष 2001 से 2006 तक वृद्धि हुई। वर्ष 2008 के दौरान यह शीर्ष पर पहुंची व उसके बाद यह संख्या भी लगातार घट रही है। यहां यह बात भी वर्णन योग्य है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2013 के दौरान जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत

बढ़ोतरी हुई है व राज्य में वाहनों की संख्या में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक वाहनों के पंजीकरण की संख्या में हुई वृद्धि वर्ष 2001 तक पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या के बराबर है। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि वर्ष 2013 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2006 में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के लगभग बराबर है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि व राज्य में वाहनों की बढ़ी हुई संख्या को मध्यनजर रखें तो वर्ष 2013 में मरने वाले/चोटिल व्यक्तियों की वास्तविक दर, वर्ष 2001 की दर की तुलना में कम है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यातायात दुर्घटनाओं में मृत/घायल व्यक्तियों की संख्या का कोई भी संबंध यातायात पुलिस स्टेशनों के नियन्त्रण को यातायात विंग से जिला पुलिस को सौंपने से बिल्कुल नहीं है तथा वर्ष 2001 से 2006 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, उनमें हुई मौतों तथा घायलों की दर में कोई कमी आई थी, का भी कोई सूचक वैब साईट पर नहीं दर्शाया गया है।

सरकार की अपनी इन उपलब्धियों पर संतुष्ट होने व अपने अतीत में किए गए कार्यों के यश का गुणगान करने की कोई मंशा नहीं है। हमारा उद्देश्य आने वाले वर्षों में दुर्घटनाओं की दरों तथा मृत व घायल व्यक्तियों की संख्या को कम करने का है। इस लक्ष्य पर केन्द्रित होकर हम सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं अनुपालन के दोनों विषयों पर कठिन परिश्रम करेंगे। सरकार को विश्वास है कि आने वाले समय में सभी सहभागी प्रदेश की सड़कों को यात्रियों के लिए और ज्यादा सुरक्षित एवं संरक्षित बनाएंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, इसमें पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हैल्थ और पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) इन चारों विभागों का अहम रोल होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि इन्होंने इन चारों विभागों की कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई है और ये सभी विभाग मिलकर काम करेंगे तो अवश्य ही इस समस्या को दूर किया जा सकेगा। कोई भी अकेला डिपार्टमैंट इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। यदि हम अकेले पुलिस विभाग को इसके लिए दोष दें तो भी ठीक नहीं होगा। मैंने अपने कालिंग अटैंशन मोशन में पुलिस की बजाय रोड्ज पर ज्यादा श्रैस्ट दिया है और जो मरने के बारे में कहा है इसका मतलब हैल्थ विभाग के बारे में कहा है। सर, जितने भी ऐक्सीडैंट होते हैं इनमें 25 प्रतिशत ऐक्सीडैंट और मौतें दो पहिया वाहनों पर चलने वालों की होती हैं। इसका मेन कारण हैलमैट न पहनना होता है। जब हम दिल्ली से या चण्डीगढ़ से हरियाणा में दाखिल होते हैं तो तकरीबन लोग अपनी गाड़ी की सीट बैल्ट और दो पहिया वाहन पर हैं तो हैलमट हटा देते हैं यानि अपने प्रदेश में इंटरी करते ही ट्रैफिक रूल्ज का वायलेशन होता है। हमें अपने प्रदेश में ट्रैफिक रूल्ज को स्ट्रिक्टली लागू करना होगा। हर साल करीबन 6 से 8 लाख व्हीकल्ज के चालान होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अकेले चालान करने से बात नहीं बनेगी। ट्रैफिक रूल्ज के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए हमें एक मूवमैंट तेजी से चलानी पड़ेगी। हमें अपनी ट्रैफिक पुलिस में अच्छे अफसरों के साथ-साथ स्कूल, कालेज के वॉलैंटियर्ज और समाज सेवियों को साथ में लेकर एक मुहिम चलानी पड़ेगी तभी जाकर रोड़ ऐक्सीडैंट्स से बचा जा सकता है। यह मुहिम हफ्ता-दस दिन न चलाकर रैगूलर चलानी पड़ेगी, चाहे दिन में दो घंटे ही चलायें। क्योंकि हर साल ऐक्सीडैंट्स से करीबन 4 से 5 हजार मौतें हो जाती हैं इसके अतिरिक्त बहुत से लोग स्वीयर इन्जरीज होने के कारण अपने हाथ या पैर खो देते हैं तथा कुछ लोगों

[प्रो. सम्पत सिंह]

को पैरालिसिज भी हो जाता है जिसके कारण उनकी हालत मरने से भी बद्तर हो जाती है इसलिए इस मैटर को लेकर पुलिस विभाग को भी टाईट किया जाये। यहां सदन में भी पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं यह चाहता हूं कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर यह एक रेगुलर ऐक्सरसाईज़ चलनी चाहिए चाहे इसके लिए सुबह 2-3 घंटे और इसी प्रकार से शाम के लिए भी 2-3 घंटे रख लिये जायें। इससे भी काफी सुधार हो जायेगा बजाय इसके कि साल में कभी कभी एक सप्ताह या दो सप्ताह सड़क सुरक्षा के नाम से मना लिये जायें। हम अखबारों में यही पढ़ते हैं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई कम्प्रोमाईज़ नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी टेलीफोन आते हैं कि जिनमें लोग पुलिस वालों का हवाला देकर कहते हैं कि ये हमारा हैलमैट के लिए चालान करने जा रहे हैं आप इनको बोल दो कि ऐसा न करें इस पर मैं पुलिस वालों को यही कहता हूं कि इसको चार थप्पड़ और मारो क्योंकि आज तो चालान ही हो रहा है कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में हैलमैट न होने के कारण उसको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े। इसके अलावा कई बार मैं स्वयं भी जब बिना हैलमैट के यंगस्टर को बाईक चलाते हुए देखता हूँ तो मैं गाड़ी रोककर उन बच्चों के सिर के ऊपर हाथ फेरकर उन्हें हैलमैट की ज़रूरत के बारे में समझाता हूं। मैं पहले तो उनसे यह पूछता हूं कि वे अपने माता-पिता के कितने बच्चे हैं अगर वे कहते हैं कि वे अकेले ही हैं तो इस पर मैं उन्हें यह कहकर समझाता हूं कि अगर उनको कुछ हो जाये तो उनके माता-पिता के ऊपर क्या गुजरेगी क्या उन्होंने इस बारे में कभी सोचने की कोशिश की है। कुल मिलाकर मेरी यही कोशिश रहती है कि वे हैलमैट की अहमियत को समझें और कभी भी बिना हैलमैट के बाईक न चलायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति यंगस्टर में ज्यादा पाई जाती है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्कूलों और कालेजों में इस विषय पर सेमिनार आयोजित करने चाहिएं और वहां पर पुलिस अधिकारियों के इस विषय पर भाषण करवाने चाहिएं। इसके लिए पूरे साल का वर्क सैट-अप करके एक चार्टर बनाना चाहिए। मैं डी.जी.पी. साहब को कहना चाहूंगा कि उनको अपने अधिकारियों के ध्यान में इस बात को ला देना चाहिए कि ट्रैफिक के विषय पर ध्यान देने के लिए और ट्रैफिक के सिस्टम को ठीक करने के लिए यह हमारा पूरे साल का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से मैं मैडीकल के बारे में कहना चाहता हूं कि मैडीकल का संस्थान अम्बाला में है वहां पर बाकायदा ट्रामा सैंटर इत्यादि बनाया हुआ है लेकिन वहां पर ऐमरजैंसी सर्विसिज़ नॉन-एग्जिसटैंस हैं। वहां पर इस प्रकार की कोई सर्विस नाम की चीज़ नहीं है। इसी प्रकार से करनाल में ट्रामा सैंटर है जिसमें लाईफ सेविंग इक्विपमैंट्स का कोई बंदोबस्त नहीं है। Either your Health Centres are not well equipped with equipments or with staff. इन दोनों सैंटरज़ में यही कमी है इसीलिए लोग मरते हैं। अगर लोगों को समय पर सही और पूरा इलाज मिल जाये तो फिर ये ऐक्सीडैंटल डैथ रेट बहुत कम हो सकता है। अगर कोई बहन शकुन्तला खटक जी की तरह किसी घायल व्यक्ति को मोटर बाईक पर अस्पताल लेकर चला जाये तो इससे उसकी जान बच सकती है। मैं जानता हूं कि बहन शकुन्तला खटक जी यह काम आज भी करती हैं। अब तो 102 नम्बर एम्बूलैंस भी आ गई है और एन.आर.एच.एम. की स्कीम भी आ गई है। इसके अलावा भी बहुत कुछ

आ गया है। जितना भी जी.टी. रोड का एरिया है चाहे वह पानीपत, करनाल या कुरूक्षेत्र हो इन सभी में भी ऐक्सीडैंट्स ज्यादा हो रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरी जगहें भी उनमें भी ये सारी सर्विसिज़ और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने यहां पी.एच.सीज़., सी.एच.सीज़. और सब सैंटर्ज़ का विस्तार करें। मैं यह भी चाहता हूं कि हम इनको चिन्हित कर लें और इनका लैवल 2 और 3 तक पहुंचना चाहिए तब तो इससे फायदा होगा और लोगों का बचाव होगा। अदरवाईज़ कोई बचाव नहीं है। इस सिस्टम को आपको पूरी तरह से ठीक करना होगा। यह तो मेरा हैल्थ से सम्बंधित सुझाव है। अब मैं पी.डब्लयू.डी. से सम्बंधित सुझाव देना चाहता हूं। सर, हम राजस्थान में जाते हैं वहां की सड़कें हमसे बहुत अच्छी हालत में हैं। अगर अधिकारियों को इस बारे में कहा जाता है तो वे कहते हैं कि वहां पर बरसात नहीं होती इसलिए वहां की सड़कें अच्छी रहती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पंजाब में भी जाते हैं वहां की सड़कें भी हमारी सड़कों से बहुत ज्यादा अच्छी हैं वहां पर तो बरसात भी होती है। आप राजस्थान और पंजाब इन दोनों स्टेट्स की सड़कों पर गाड़ी में सफर करते समय कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं जबकि इसके विपरीत हमारे यहां पर अगर नई बनी सड़क पर भी गाड़ी में सफर किया जाये तो गाड़ी हिचकोले खाती हुई चलती है। इस मामले में या तो हमारी कोई टैक्नीकल कमियां हैं या फिर हमारे पैमाने में अंतर है या फ़िर हमारे मैटीरियल की क्वालिटी में फर्क है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और जो बीच का लैवल है उसको इस प्रकार से बनाया जाये जिससे बरसात का पानी तुरंत निकल जाये अदरवाईज़ यह होता है कि एक बरसात के अंदर सारी की सारी सड़क टूट जाती है। सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं इसलिए इस मामले में पूरा खर्च करने की जरूरत है लेकिन किया यह जाता है कि सरकार द्वारा केवल मात्र सड़कों की कारपेटिंग की इज़ाजत दे दी जाती है। सर, सुरजेवाला जी सरकार के बहुत ही एनर्जेटिक मंत्री हैं मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि जो थर्मोप्लास्टिक पेंट सैंट्रल और साईड लेन के ऊपर लगाया जाता है ये लाईनें आपको सभी सड़कों पर लगानी चाहिएं खास करके जो सड़कें 30 मीटर से ऊपर की चौड़ाई की हैं। इसी प्रकार से जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वे ऑलमोस्ट सारे के सारे गायब हैं। इसी प्रकार से डैलीनेटर सिग्नल हैं जोकि रिफलैक्ट करते हैं ये भी सड़कों से गायब हैं जब कि इसके लिए इंजीनियर प्वायंट ऑफ व्यू के हिसाब से 50 और 100 मीटर के बीच का एक पैमाना है। इसी प्रकार से ट्रैफिक बेलार्ड हैं ये भी कहीं-कहीं पर ही हैं बाकी जगहों पर गायब हैं। इसी प्रकार से मैं रोड्ज़ में कट्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि सभी सड़कों में बहुत सारी जगह अननैसेसरी कट्स हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन कहां से आ जाता है। इन अननैसेसरी कट्स को जितना ज्यादा कम किया जायेगा उतना ही ज्यादा ऐक्सीडैंट्स से बचा जा सकेगा। ये सभी बातें मैं आफताब जी और रणदीप जी से कहना चाहता था।

चौधरी आफ़ताब अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और रोड सेफ्टी को हम सैंसेटाइज कर रहे हैं । हम ट्रैफिक पुलिस को बाकायदा ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं तथा समय-समय पर कैम्प्स लगाये जाते हैं। रोड सेफ्टी काउंसिल को जिम्मेदारी दी गई है कि वह जिला स्तर पर हर ट्रेनिंग स्कूल में जा कर उनको एक प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित करे, उनको सैंसेटाईज करे और उनको जागरूक करे कि किस तरीके से ट्रैफिक सिगनल्स का पालन करना चाहिए।

[चौधरी आफ़ताब अहमद]

उपाध्यक्ष महोदय, अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाये तो जो सूची सदन के पटल पर रखी है उस पर नजर डालेंगे तो हम पायेंगे कि टू-व्हीलरों के चालानों की संख्या लगभग दुगुनी हो रही है जिससे पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस विजिलैंट है। माननीय साथी प्रो. सम्पत सिंह जी ने जो बातें उठाई हैं हम उनको भी करेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे 11 ट्रामा सैन्टर्स ऑप्रेशनल हैं। माननीय साथी ने जो बात कही कि उनमें कमियाँ हैं, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है तथा वे फुली इक्विप्ड नहीं हैं तो उसको भी हम इक्विप्ड करेंगे जिससे इमरजैंसी में बेहतर सेवाएं प्रोवाइड करवाई जा सकें। इसी प्रकार से जो रोड कंडीशंस, रोड साइन्ज और रिफ्लैक्टर्स की बात है तो हमारा पूरा प्रयास है कि रोड साइन्ज जिस उद्देश्य के लिए लगाये गये हैं वह पूरा हो जाये। अगर कट्स की बात की जाये तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो नियमित कट्स हैं वे ही बचें बाकी जो अवैद्य कट्स हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनको बंद कर दिया जाये। पिछले 1-2 वर्षों से हमने जो प्रयास किया है उसे दुर्घटनाओं में कमी आई है भले ही रोड पर ट्रैफिक बढ़ा है। हम यह जरूर मानते हैं कि यह चिन्ता का विषय है और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि सड़क पर कम से कम दुर्घटनाएं हों तथा लोग खुशी-खुशी अपनी यात्रा कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी ने जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है उस तरफ हम अवश्य ध्यान देंगे। हम विभाग को पूरी तरह से सैंसेटाईज करेंगे जिससे हमारे जो नौजवान छात्र हैं जो टू-व्हीलर इस्तेमाल करते हैं वे भी नियमों का उल्लंघन न करें ताकि ऐक्सीडैंट्स न हों।

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जो चार विभागों की कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई है उसकी अध्यक्षता वे स्वयं करें जिससे अच्छे नतीजे निकलें। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की बात की जाये तो आज के दिन लोग रोडवेज की बसों से ज्यादा डरते हैं। पहले ट्रकों के साथ ऐक्सीडैंट्स ज्यादा होते थे लेकिन अब रोडवेज की बसों से ज्यादा डर लगता है। अगर आगे से ट्रक आ रहा है तो लोग उससे नहीं डरते क्योंकि वह सेफ चलता है क्योंकि उसें पर जुर्माने ज्यादा लगने लग गये हैं और अगर आगे से रोडवेज की बस आ रही है तो सभी सोचते हैं कि इससे बच लो। उसमें ड्राईवरों की गलती ज्यादा नहीं है क्योंकि आपने उनको समय ही इतना दिया हुआ है कि उसको समय पर पहुंचना भी जरूरी होता है। इसी तरह से अगर रोड्स की बात की जाये तो रणदीप जी, आपके एरिया में भी पिछले दिनों 20-25 लोग कलायत के मोड़ पर भी मरे थे। ऐसे जो मोड़ आइडैंटीफाई हो चुके हैं उन पर विशेष इंतजाम करने की जरूरत है ताकि भविष्य में और ऐक्सीडैंट्स न हों। कई ऐरिया एक्सीडैंट प्रोन हैं और कई जगह पर तो साईन बोर्ड लगे हुये हैं और कई जगह पर उन बोर्डों पर कोई पर्चा वगैरह चिपका देते हैं जिससे वह साईन भी खत्म हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके जो रोड इन्सपैक्टर हैं वे उनकी नियमित विजिटिंग करें। आप इस बात को इंश्योर करें और इसको एक कैम्पेन के रूप में लें यह कह सकते हैं कि इसको एक निश्चित समय में पूरा करें। एक महीने में आप यह सारा काम कम्पलीट कर लेंगे । जो ट्रामा सैन्टर्स हैं they will be well equipped with equipment and staff. महीने में आपने रोड का कर लिया कि इन-इन सिगनल्स की जरूरत है। आप इसको टाईम बाउंड कीजिए कि इतने समय में यह काम हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि ये हर कार्य टाईम बाउंड करें कि स्टेट के अन्दर यह कार्य इतने समय में पूरा हो जाएगा। आप रोडवेज विभाग की मीटिंग बुला कर उनको भी टाइम बाउंड करें। अगर हम इन सारी चीजों में टाइम बाउंड करके चलेंगे तो सारे कार्य समय पर पूरे होंगे। मैं ये मानता हूं कि सरकार की स्टेटमेंट इम्पोरटेंट होती है। That is a serious statement आप रिस्पोंसिबल मंत्री हैं जो आप जवाब दे रहे हैं लेकिन बाद में यह स्टेटमेंट ही रह जाती हैं। मैं यह चाहता हूं कि चाहे वह रोड्ज का है, पुलिस का है, हैल्थ का है, सबका टाइम बाउंड करके एक वर्क कलेंडर बना दें कि इतने समय में यह कार्य पूरा हो जाएगा। अगर इस कलेंडर की एक कॉपी मुझे मिल जाए तो मैं भी उसमें ट्रैकिंग करने में, नीचे फीड बैक देने में आपकी हैल्प कर सकता हूं। अब मंत्री जी पता नहीं मुझे इसकी एक कॉपी देंगे या नहीं देंगे।

श्री रामपाल माजरा : आपको नहीं देंगे क्योंकि आप उसमें अपने ज्यादा सुझाव दे देंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माजरा जी जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आफताब अहमद जी ये तो हमें वर्क कैलेंडर देने से मना नहीं करेंगे बाकी भी हमारे सारे मंत्री ऐसे हैं जो हमें वर्क कैलेंडर देने से मना नहीं करेंगे। चड्ढा साहब बैठे हैं, रणदीप सिंह जी बैठे हैं। उधर हमारी बहन भुक्कल जी व किरण चौधरी जी बैठी हैं। कौन सा मंत्री ऐसा है जो हमें वर्क कैलेंडर न देने वाला हो। इसलिए हमारे पास मंत्रियों की फौज बहुत बढ़िया है। आप टाईम बाउंड का सिस्टम बनाएं। उपाध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने जो कहा कि ऑवर लोडिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं भी इसके लिए चिन्तित हूं कि आजकल गाड़ियों की ऑवर लोडिंग इतनी होती है कि पल्टा खाते देर नहीं लगती और सारी सड़कों का सत्यानाश कर देते हैं। रणदीप जी, मुझे एक इशू याद आ गया कि अगर किसी भी बड़ी सड़कों पर काम चल रहा है तो वह ऑवर लोडिंग वाले आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते या टूटी हुई सड़कों या किसी गांव के अन्दर से जो रास्ता निकलता है उनको स्क्रैप रूट बनाते हैं और सारी सड़कों का सत्यानाश कर देते हैं बाद में उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम पहले ही उस सड़क को वजन के हिसाब से बना लें तो that will be more better चाहे हाई वे बना हुआ है लेकिन फिर भी एप्रोच रोड्ज़ यूज हो रही हैं। जो सड़क गांवों के अन्दर जा रही हैं उन पर ऑवर लोडिड व्हीकल्ज 10 किलो मीटर चक्कर काट कर आ रहे हैं और वह सड़क इतना वजन वहन करने के लायक नहीं होती है। इसलिए मंत्री जी मेरी आपसे उम्मीद है कि आप कोई ऐसा कलैंडर अवश्य बनाऐंगे और उसे टाईम बाउंड करके इस काम को पूरा करेंगे।

श्री प्रदीप चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री जी ने बताया कि यातायात असुरक्षित और सड़क दुर्घटना की वजह बढ़ते वाहन हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार वाहनों पर रोड टैक्स लेती है तो सड़कें ठीक करना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हमारे एन.एच.-73 पर निरंतर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें पंचकूला से लेकर कालका विधान सभा क्षेत्र के गांव बागरणी तक गड्ढे ही गड्ढे हैं जोकि हमारे हरियाणा का आखिरी विधान सभा क्षेत्र है। यहां लिंक रोड्ज पर भी बहुत ज्यादा ट्रेफिक चलती है जो बहुत खराब पड़े हैं जिससे वहां दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री प्रदीप चौधरी]

दुर्घटना होने की एक वजह पुलिस भी है क्योंकि अधिकतर पुलिस चालान काटने में व्यस्त रहती है उनको ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। जिससे जाम की समस्या भी बहुत रहती है। पिछले दिनों पिंजौर के बीच बाजार में एक दादा अपनी पोती को स्कूल से लेने के लिए आया हुआ था जब स्कूल से बच्चा आया तो वहीं दोनों ऐक्सीडेंट में मर गये। उपाध्यक्ष महोदय, जाम लगने के कारण दुर्घटना होती है। पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर यहां बैठे हैं पिछले से पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने कहा था कि सुखो माजरी वाया सूरजपुर सड़क मंजूर हो रखी है लेकिन अब तक उस सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ है तो मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इस सड़क पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जैसे पुलिस का चालान काटने में व्यस्त रहना, जाम लगने की समस्या और सड़कों की रिपेयर न होना, इन सब समस्याओं का निवारण करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Deputy Speaker Sir, issue raise is very alarming और जब भी सदन होता है तो इस इशू पर डिस्कशन होती है और फिर भी ऐक्सीडेंट कम नहीं हो रहे हैं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। डिप्टी स्पीकर सर, सड़क यातायात से संबंधित मेरे कुछ सवाल भी हैं और कुछ सुजैशंज भी हैं। जब ड्राईविंग लाईसेंस इशू किया जाता है तो अक्सर देखने में आता है कि लाईसेंस जारी करने के जो प्रोपर नॉर्म्ज बनाये गये होते हैं उनका पूरी तरह से फौलो-अप नहीं किया जाता है। यहां तक की संबंधित व्यक्ति की ड्राईविंग को चैक तक भी नहीं किया जाता है। यह सड़क दुर्घटनाओं का एक मेन कारण है। इसे हम सबको स्वीकारना पड़ेगा। एक चीज और देखने में आती है कि जब किसी व्यक्ति से एक्सिडैंट हो जाता है तो एक्सिडैंट करने वाले का ड्रॉईविंग लाईसेंस कैंसिल करने या फिर ड्रॉईविंग लाईसेंस पर पंचिंग करने की जहां तक बात आती है वह नगण्य ही है। मोटर व्हीकल्ज ऐक्ट में पंचिंग की बात पूर्णरूपेण ढंग से कही गई है तो भी उसको ऐडॉप्ट नहीं किया जाता है। अब मैं ओवर लोडिंग पर अपनी बात कहना चाहूँगा। ओवर लोडिंग आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मैं परिवहन मंत्री जी चौधरी आफताब अहमद जी को बताना चाहूँगा कि इसका एक बहुत बढ़िया इलाज है और वह यह है कि जितने भी हमारे स्टेट के साथ लगते बॉर्डर है, जहां से पड़ोसी राज्यों से बड़े-बड़े ट्रक सामान लेकर हमारे स्टेट में प्रवेश करते हैं, वहां पर एक वेइंग मशीन का प्रोविजन होना चाहिए। वेइंग मशीन से चैक किया जा सकता है कि ट्रक ओवर लोडिड है या नहीं है। यदि ट्रक ओवर लोडिड है तो उस ट्रक को केवल स्टेट में तभी प्रवेश करने देना चाहिए जब वह अपने ट्रक से ज्यादा सामान को उतार दें। इस तरह से न तो आर.टी.ए. और न ही इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ेगी तथा हमारी सड़कें भी सुरक्षित हो जायेंगी। यद्यपि ओवर लोडिंग कानून के हिसाब से बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, लेकिन प्राय: देखा गया है कि यदि 10 टन लाने का परमिट दिया जाता है तो 20 टन सामान लाद दिया जाता है और 15 टन का सामान लाने का परमिट दिया होता है तो 35 टन सामान लाद दिया जाता है जो फैटल ऐक्सीडेंट्स का एक मुख्य कारण बनता है। मैं सांगवान जी की इस बात से पूर्णत: सहमत हूँ कि जो फैटल ऐक्सीडेंट्स होते हैं वह बड़े-बड़े ट्राले व ट्रकों की वजह से ज्यादा होते हैं। स्कूटर-कार ऐक्सीडेंट्स में तो छोटी-मोटी चोट लगती है लेकिन ट्राले व ट्रक्स की

चपेट में आने से तो मौत तक भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप यदि रोड़ पर देखें तो शायद ही कहीं पर पार्किंग के लिए कोई प्रोविजन दिखाई देगा। पूरे रोड पर पार्किंग तथा नो पार्किंग के लिए कोई साईन बोर्ड तक भी नजर नहीं आता है। पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को इस तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं एक दूसरा सुझाव भी सदन के सामने रखना चाहता हूँ। इस पार्लियामैंटरी सिस्टम की स्ट्रैथनिंग के लिए प्रश्न काल बहुत जरूरी चीज होती है। (विघ्न) इस संबंध में मेरा हमारे मंत्रीगणों से निवेदन है कि जब भी कोई प्रश्न किया जाता है या कोई इश्यू रेज होता है तो यह न कहा जाये कि आप लिखकर मेरे पास भिजवा दें। यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न पुट-अप करता है तो वह उसके समाधान के लिए ही प्रश्न पुट-अप करता है। जब भी प्रश्न काल का समय हो तो मंत्री के सैक्रेटरी या पी.ए. को भी नोट डाउन करना चाहिए कि फलां-फलां सदस्य ने सदन में यह प्रश्न या डिमांड की है। सैशन खत्म होने के बाद पर्सनल स्टाफ के द्वारा नोट डाउन की गई सभी चीजों से मंत्री जी को अवगत कराना चाहिए। उसके बाद मंत्री जी को उस प्रश्न से संबंधित विभाग को एप्रोच करके समस्या का हल निकालना चाहिए तो इस तरह से संबंधित सदस्य की समस्या भी दूर हो जायेगी और इससे हमारा पार्लियामैंट्री सिस्टम भी स्ट्रैथन होगा।

चौधरी आफताब अहमद : माननीय सदस्य श्री सम्पत सिंह जी ने ओवर लोडिंग और सड़कों की दुर्दशा से संबंधित जो बातें कही हैं, उन बातों में सवाल भी किया गया है और जवाब भी दे दिया गया है। वर्तमान में ओवर लोडिंग की समस्या एक विकट समस्या बनती जा रही है। सड़कों की बुरी दुर्दशा के लिए ओवर लोडिंग एक मुख्य वजह रहा है। ओवर लोडिंग की स्थिति से निपटने के लिए चैकिंग और भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है लेकिन बावजूद इसके भी यह समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों की क्षमता को जितने लोड को सहन करने के लिए बनाया जाता है अक्सर देखा जाता है कि उस क्षमता से ज्यादा लोड सड़कों से ढोया जाता है जिसकी वजह से सड़कें समय से पहले टूट जाती हैं। जहां तक हरियाणा रोडवेज के ऐक्सीडैंट्स की बात है तो उस संबंध में मैं माननीय संपत जी को बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, अपनी कैटेगरी में हरियाणा रोडवेज को सबसे कम ऐक्सीडैंट्स की घटनाओं के मद्देनजर अवार्ड मिला है। इसके साथ ही यह बताना भी उचित समझता हूँ कि इसमें जितने भी सुधार की संभावना है उसके लिए भी हर संभव पूरे प्रयास किये जायेंगे। जिस प्रकार से साईडवेज के कच्चा होने की बात कही गई है तो उस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि हम होम व पी.डब्ल्यू.डी. महकमे के साथ मिलकर इस दिशा में कारगर प्रयास करेंगे और साईड-वेज को बेहतर तरीके से रखने की हरसुमकिन कोशिश की जायेगी। जहां तक चार्टर कैलेण्डर की बात की गई है, हम कोशिश करेंगे कि स्टेट लैवल और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक चार्टर कैलेंडर बनाया जाए। जिसमें यह दर्ज किया जायेगा कि समय-समय पर कितनी मीटिंग्ज करनी हैं और किन-किन मुद्दों पर विचार किया जाना है। इस प्रकार हम इन सभी मुद्दों का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अभी प्रदीप जी ने भी जो अपने क्षेत्र में जाम की समस्या के बारे में बताया है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो रजिस्टर्ड व्हीकल्ज हैं उनमें पिछले 12 वर्षों में 300 प्रतिशत इंक्रीज देखने को मिली है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम निरंतर अपना इंफ्रॉस्ट्रक्चर डिवैलप तो करते जा रहे हैं लेकिन निरंतर व्हीकल्ज की संख्या इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ती

[चौधरी आफताब अहमद]

जा रही हैं कि जाम की समस्या होना तो अब स्वाभाविक सी बात हो गई है। अभी बत्तरा साहब ने जो प्रोपर ट्रेनिंग की बात की है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा हैवी लाईसेंसिज के लिए आई.डी.टी.आर. की तर्ज पर पांच ट्रेनिंग स्कूल्ज माडर्न तरीके से खोले गये हैं। सरकार लाईट लाईसैंसिज के लिए भी ट्रैनिंग की प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करेगी। अब मैं पार्किंग बेस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि पार्किंग बेस की अगली प्लानिंग को आईडेंटीफाई करके इसके लिए पूरी जगह छोड़ी जाये इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 सालों के अंदर चार्ट के हिसाब से देखें तो हरियाणा रोडवेज की बसों से ऐक्सीडैंट कम हुए हैं लेकिन इसके बावजूद भी बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण लोगों को काफी समस्याओं से आये दिन जूझना पड़ रहा है। सरकार भी इस दिशा में पूरा-पूरा प्रयास कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय मेरा कहने का मतलब यह है कि इन वर्षों के दौरान ऐक्सीडैंट भी कम हुए हैं और ऐक्सीडैंट की वजह से पिछले वर्षों के दौरान हरियाणा प्रदेश में जितनी भी मौतें हुई हैं उसमें निरन्तर कमी आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकार स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं दे रही है जैसे कि ट्रॉमा सैन्टर के अंदर उन सब को इक्विट करेंगे कि जिनसे वे इन चीजों को हैंडल करने में सक्षम हों।

प्रो० संपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन-चार वर्षों से हाऊस के अंदर कॉलिंग अटेंशन के मार्फत से यह प्रयास रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में रोडवेज की बसों से होने वाली दुर्घटनाएँ कम हों और यदि देखा जाये तो पिछले तीन-चार वर्षों के मुकाबले में इस वर्ष दुर्घटनाएँ कम हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैंने उद्योग मंत्री, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कुछ सुझाव दिये थे और आज दोबारा सुझाव दे रहा हूँ कि श्री बत्तरा जी ने जैसे पार्किंग के बारे में कहा है, दोबारा सुझाव दे रहा हूं कि आपने सारी दुनिया देखी है। आपको बहुत अच्छे-अच्छे अवसर मिले हैं, देश और दुनिया में भ्रमण करने के, हमारे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी और किसी भी रोड पर सर्विस एरिया और रेस्ट एरिया नहीं है। गाड़ी चलाते-चलाते ड्राईवर आराम करना चाहता है वह अपनी गाड़ी सड़क पर ही रोककर आराम करता है। उपाध्यक्ष महोदय, उसका आराम करना तो स्वाभाविक है क्योंकि वह लम्बी यात्रा करके आ रहा है जैसे कि कोई मुम्बई से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है या कोई और कहीं से आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगले छः महीने में कहीं न कहीं कुछ एक मॉडल बनायें, सर्विस एरिया और रेस्ट एरिया में, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप विदेशी लैवल पर बनायें। हम अपने लैवल पर बना सकते हैं जैसे कि कैथल जिले में बस स्टैंड अपने मॉडल का बनाया है जोकि बहुत अच्छा मॉडल है। इसी तरह से और भी हरियाणा प्रदेश के जिलों में बनाया जाये। इससे सभी लोगों को फायदा होगा खासकर के ड्राईवर्स को लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि रोल मॉडल हम दें। We are to lead the country कि हमने यह सर्विस एरिया बनाया है और रेस्ट एरिया बनाया है। हरियाणा सरकार ने सड़कों को चौड़ा करने का ठेका दिया हुआ है तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सड़कों को थोड़ा-थोड़ा दोनों तरफ से और अधिक चौड़ा कर दिया जाये, उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से लम्बी यात्रा कर रहा है और दो मिनट के लिए गाड़ी को रोकना चाहता है। आजकल पैट्रोल पम्प ही रेस्ट एरिया या सर्विस

एरिया बन गये हैं और कोई चारा नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर मैं कहना चाहता हूँ कि रेस्ट एरिया और सर्विस एरिया के अंदर चाहे प्राईवेट लोगों को 2-4 दुकानें खोलकर दें दें जिसमें वे चाय पानी का प्रबंध करके रख लें लेकिन विधिवत तरीके से किया जाए ताकि आने-जाने वाले लोगों को इन सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। अब क्या है कि काफी लोगों ने रोड के किनारे जगह-जगह ढाबे खोल रखे है ? कोई व्यक्ति कच्चे में जा रहा है, आ रहा है, बुरे हाल हैं, कोई नशा कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। हाईकोर्ट से भी आदेश आ गया है कि हाईवे पर जहाँ भी दारू के ठेके हैं वो तुरन्त बंद हों, यदि इस तरह के एरियाज में दारू के ठेके नहीं होंगे तो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होगी और हाईकोर्ट भी इस प्रकार करने से मना नहीं करेगा। सरकार की एक्साईज की आमदनी भी कम नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सर्विस एरियाज और रेस्ट एरियाज में कुछ न कुछ सरकार बदलाव जरूर लाए। धन्यवाद।

चौधरी आफताब अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुजैशन दिये हैं सरकार इन सुझावों को जरूर इनकौरपोरेट करेगी। जहाँ तक संभव हो सकेगा तो सर्विस एरियाज और रेस्ट एरियाज को आईडेंटीफाई करेंगें और साथ में ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव लाया जायेगा।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the Table of the House.

Industries Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House :—

> The School Education Department Notification No. 8/43-2012 P.S.(2), dated the 19th June, 2013 regarding amendment in Haryana School Education Rules, 2013, as required under section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.
>
> The School Education Department Notification No. 8/27-2013 P.S.(2), dated the 28th January, 2014 regarding amendment in Haryana School Education Rules, 2013, as required under section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.
>
> The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/12/2005/2nd Amendment, 2013, dated the 24th September, 2013, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.
>
> The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/28/2013, dated the 5th November, 2013, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/10/2005/lst Amendment/2013, dated the 14th November, 2013, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/25/2012/1st Amendment/2013, dated the 3rd December, 2013, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/29/2014, dated the 8th January, 2014, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Annual Report of the Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 2005-2006, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of the Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 2006-2007, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of the Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 2007-2008, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of the Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 2008-2009, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of the Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 2009-2010, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 14th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2010-201, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 15th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2011-2012, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 45th Annual Report of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited for the year 2011-2012, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Audit Report on the Accounts alongwith 46th Annual Report of Haryana Financial Corporation for the year 2012-2013, as required under section 37 (7) and 38 (3) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Revenue Sector for the year ended 3lst March, 2013 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Finances for the year ended 31st March, 2013 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(i) सबआर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की 42वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Jagbir Singh Malik, MLA, Chairperson of the Committee on Subordinate Legislation will present the Forty Second Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2013-2014.

Chairperson, Committee on Subordinate Legislation (Shri Jagbir Singh Malik) : Sir, I beg to present the Forty Second Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2013-2014.

(ii) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 70वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Prof. Sampat Singh, MLA, Chairperson of the Committee on Public Accounts will present the Seventieth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2013-2014 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended (i) 31st March, 2009 (Civil) and (ii) 31st March, 2009 (Revenue Receipts).

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (प्रो. संपत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (i) 31 मार्च, 2009 (सिविल) तथा (ii) 31 मार्च, 2009 (राजस्व प्राप्तियां) को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2013-2014 के लिए लोक लेखा समिति की 70वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की 60वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Anand Singh Dangi, MLA, Chairperson of the Committee on Public Undertakings will present the Sixtieth Report

of the Committee on Public Undertakings for the year 2013-2014 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2009-2010 and 2010-2011(Commercial).

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति (श्री आनंद सिंह डांगी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 (वाणिज्यिक) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2013-2014 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 60वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(iv) वैलफेयर ऑफ एस.सी., एस.टी. एवं बी.सी.कमेटी की 37वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Anil Dhantori, MLA, Chairperson of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Thirty Seventh Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2013-2014.

Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes (Shri Anil Dhantori) : Sir, I beg to present the Thirty Seventh Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2013-2014.

(v) गवर्नमैंट एश्योरेंसिज कमेटी की 43वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Ashok Kumar Arora, MLA, Chairperson of the Committee on Government Assurances will preset the Forty Third Report of the Committee on Government Assurances for the year 2013-2014.

चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति (श्री अशोक कुमार अरोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2013-2014 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 43वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(vi) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 42वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Dharam Pal, MLA, Chairperson of the Committee on Estimates will present the Forty Second Report of the Committee on Estimates for the year 2013-2014 on the Budget Estimates for 2011-2012, Environment Department.

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Dharam Pal): Sir, I beg to present the Forty Second Report of the Committee on Estimates for the year 2013-2014 on the Budget Estimates for 2011-2012, Environment Department.

[Mr. Deputy Speaker]

(vii) पेटीशन कमेटी की 4th रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri B.B. Batra, MLA, Chairperson of the Committee on Petitions will present the Fourth Report of the Committee on Petitions for the year 2013-2014.

Chairperson, Committee on Petitions (Shri B.B. Batra): Sir, I beg to present the Fourth Report of the Committee on Petitions for the year 2013-2014.

(viii) कमेटी ऑफ लोकल बाडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंज की प्रथम रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Anand Kaushik, MLA, Chairperson of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions will present the First Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2013-2014 on the Report of the Audit and Inspection Note on the Accounts of Zila Parishad, Hisar for the period from April, 2009 to March, 2011, audited by the Director, Local Audit, Haryana.

चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (श्री आनन्द कौशिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2009 से मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए जिला परिषद, हिसार के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2013-2014 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(ix) कमेटी ऑन लोकल बॉडिज एण्ड पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज की दूसरी रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Anand Kaushik, Chairperson, Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions will present the Second Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2013-2014 on the Report of the Audit and Inspection Note on the Accounts of Zila Parishad, Jind for the period from April, 2010 to March, 2011, audited by the Director, Local Audit, Haryana.

चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (श्री आनन्द कौशिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए जिला परिषद, जींद के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2013-14 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की दूसरी रिपोर्ट सादर सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(x) कमेटी ऑन लोकल बॉडिज एण्ड पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज की तीसरी रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Anand Kaushik,

Chairperson, Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions will present the Third Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2013-2014 on the Report of the Audit and Inspection Note on the Accounts of Panchayat Samiti, Mustafabad (Distt. Yamunanagar) for the period from April, 2010 to March, 2012, audited by the Director, Local Audit, Haryana.

चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (श्री आनन्द कौशिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2010 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए पचायत समिति, मुस्तफाबाद (जिला यमुनानगर) के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2013-14 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की तीसरी रिपोर्ट सादर सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(xi) कमेटी ऑन लोकल बॉडिज एण्ड पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज की चौथी रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Anand Kaushik, Chairperson, Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions will present the Fourth Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2013-2014 on the Report of the Audit and Inspection Note on the Accounts of Panchayat Samiti, Meham (Distt. Rohtak) for the period from April, 2010 to March, 2012, audited by the Director, Local Audit, Haryana.

चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (श्री आनन्द कौशिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2010 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए पंचायत समिति, मेहम (जिला रोहतक) के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2013-14 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की चौथी रिपोर्ट सादर सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(xii) सब्जैक्ट कमेटी ऑफ पब्लिक हैल्थ, इरिगेशन, पॉवर एण्ड पब्लिक वर्क्स (बी.एण्ड.आर.) की प्रथम रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Sampat Singh, Chairperson, Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R) will present the First Report of the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R) for the year 2013-2014.

Chairperson, Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R)(Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the First Report of the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R) for the year 2013-2014.

[Mr. Deputy Speaker]

(xiii) कमेटी ऑन एज्यूकेशन, टैक्नीकल एज्यूकेशन, वोकेशनल एज्यूकेशन, मेडिकल एज्यूकेशन एण्ड हैल्थ सर्विसिज की प्रथम रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Bharat Bhushan Batra, Chairperson, Subject Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services will present the First Report of the Subject Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services for the year 2013-2014 on Pt. B.D.Sharma University of Health and Medical Sciences, Rohtak under Medical Education and Research Department.

Chairperson, Subject Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services (Shri Bharat Bhushan Batra) : Sir, I beg to present the First Report of the Subject Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services for the year 2013-2014 on Pt. B.D.Sharma University of Health and Medical Sciences, Rohtak under Medical Education and Research Department.

(xiv) कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एण्ड एम्पावरमैंट, वूमैन एण्ड चाइल्ड डिवैल्पमैंट एण्ड वैलफेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड बैकवर्ड क्लासिज की प्रथम रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Devender Kumar Bansal, Chairperson, Subject Committee on Social Justice & Empowerment, Women & Child Development and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes will present the First Report of the Subject Committee on Social Justice & Empowerment, Women & Child Development and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes for the year 2013-2014 on Report of the activities of the Social Justice & Empowerment, Women & Child Development and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Departments.

Chairperson, Subject Committee on Social Justice & Empowerment, Women & Child Development and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes (Shri Devender Kumar Bansal) : Sir, I beg to present the First Report of the Subject Committee on Social Justice & Empowerment, Women & Child Development and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes for the year 2013-2014 on Report of the activities of the Social Justice & Empowerment, Women & Child Development and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Departments.

(xv) कमेटी ऑन फूड एण्ड सप्लाईज की प्रथम रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Raj Pal Bhukhri, a Member of the Subject Committee on Food and Supplies will present the First Report of the Subject Committee on Food and Supplies for the year

2013-2014 on Food and Supplies Department, Haryana.

A Member of the Subject Committee on Food and Supplies (Shri Raj Pal Bhukhri) : Sir, I beg to present the First Report of the Subject Committee on Food and Supplies for the year 2013-2014 on Food and Supplies Department, Haryana.

सरकारी संकल्प

12.00 बजे **Mr. Deputy Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an official resolution.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012 to provide for the better management, administration and governance of Shri Durga Mata Shrine, Banbhori, Hisar and its endowments including the lands and buildings attached or appurtenant to the Shrine, was passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 23T(1 August, 2012 and signed by the Hon'ble Speaker on the 27th August, 2012;

And whereas, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the said Constitution;

And whereas, in view of the requests made by the inhabitants of village Banbhori, a decision was taken by the State Government to reconsider the matter in the State Legislature for withdrawal of the said Bill. Accordingly, on 16th November, 2012 the Secretary to the Governor of Haryana was informed that the State Government intends to get the matter reconsidered in the State Legislature and he was requested to make a reference to the Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to withhold the assent of the President of India for the time being;

And whereas, the Council of Ministers in its meeting held on the 29th January, 2014 has decided to withdraw the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012 to provide for the better management, administration and governance of Shri Durga Mata Shrine, Banbhori, Hisar and its endowments including the lands and buildings attached or appurtenant to the Shrine, was passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 23rd August, 2012 and signed by the Hon'ble Speaker on the 27th August, 2012;

And whereas, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the said Constitution;

And whereas, in view of the requests made by the inhabitants of village Banbhori, a decision was taken by the State Government to reconsider the matter in the State Legislature for withdrawal of the said Bill. Accordingly, on 16th November, 2012 the Secretary to the Governor of Haryana was informed that the State Government intends to get the matter reconsidered in the State Legislature and he was requested to make a reference to the Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to withhold the assent of the President of India for the time being;

And whereas, the Council of Ministers in its meeting held on the 29th January, 2014 has decided to withdraw the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012 to provide for the better management, administration and governance of Shri Durga Mata Shrine, Banbhori, Hisar and its endowments including the lands and buildings attached or appurtenant to

the Shrine, was passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 23rd August, 2012 and signed by the Hon'ble Speaker on the 27th August, 2012;

And whereas, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the said Constitution;

And whereas, in view of the requests made by the inhabitants of village Banbhori, a decision was taken by the State Government to reconsider the matter in the State Legislature for withdrawal of the said Bill. Accordingly, on 16th November, 2012 the Secretary to the Governor of Haryana was informed that the State Government intends to get the matter reconsidered in the State Legislature and he was requested to make a reference to the Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to withhold the assent of the President of India for the time being;

And whereas, the Council of Ministers in its meeting held on the 29th January, 2014 has decided to withdraw the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012.

The motion was carried unanimously.

विधान कार्य

1. दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 2014

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता था कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. रिटायर नहीं हो रहे हैं। इस की तसदीक इस बात से हो जाती है कि जो आई.ए.एस. और आई.पी.एस. रिटायर्ड हो गए हैं उनको कहीं न कहीं एडजैस्ट किया हुआ है। दो दर्जन के लगभग आई.ए.एस. और आई.पी.एस. ऐसे हैं जिनमें जी. माधवन, श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, आर.एन. पराशर, श्रीमती उर्वशी गुलाटी, नरेश गुलाटी, सज्जन सिंह, परमवीर सिंह राठी, एच.एस. राणा आदि हैं। मैं यह कहना चाहता था कि इससे खर्च ज्यादा बढ़ता है। जिन्होंने जितनी सेवा प्रदेश की करनी थी कर ली। उनकी अपनी सर्विस की जो लिमिट थी वह पूरी हो गई है और वे रिटायर हो गए हैं। इसलिए अब तो मेरा एक सुझाव है कि उनको कह दिया जाए कि इलैक्शन नजदीक हैं लड़ना चाहें तो लड़ लें उनके लिए अच्छा रहेगा।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश के ईमानदार अधिकारी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये किसी भी बात को दूसरी ओर खींच कर ले जाते हैं। ये सीनियर मैम्बर हैं, इनको एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना चाहिए। He cannot deliver political speeches like this. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए और इनको बीच में न टोकने दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : उपाध्यक्ष महोदय, ये इररेलेवैंट बात करेंगे तो क्या हम इनको रोकेंगे नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आप बिल पर ही बोलें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोल सकता हूं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है वह बताना हमारा काम है। अधिकारियों को इतना ज्यादा भत्ता दिया जा रहा है। कोई अधिकारी किसी के लैटर का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एम.एल.ए. के लैटर का भी जवाब नहीं दिया जाता।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए 7वें पे कमीशन तक हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2000 रुपये अन्तरिम राहत देने का काम किया है, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है, इस बात को नोट कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सदन में जो नेता हैं ये और इनकी पार्टी कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन तक 2000 रुपये अन्तरिम राहत दिए जाने का विरोध करते है, हम सदन में इनकी भर्त्सना करते हैं।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की जरूरत है। इनको इतनी बड़ी बड़ी कोठियां दी हुई हैं। इनको वहां से निकालकर टू रूम या थ्री रूम सैट दिए जाने चाहिएं क्योंकि ये काम नहीं करते। डिप्टी कमीशनर्ज और कमीशनर्ज को इतनी बड़ी बड़ी कोठियां दी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती हटाने का आदेश जारी किया हुआ है। आदेश आने के तुरंत बाद हम सब विधायकों ने अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा ली है परंतु उपाध्यक्ष महोदय, बाहर जाकर देखा जाए जितनी भी सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं उन पर लाल बत्ती लगी हुई हैं यानि सारे अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगा रखी हैं। ये अधिकारी अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैंट दी है। उस जजमैंट के अंदर कुछ समय दिया गया है कि स्टेट गवर्नमैंट अपनी पोलिसी को फोरमुलेट कर लें। (शोर एवं व्यवधान) टाइम खत्म हुआ है या नहीं, it is for the Government to see. जिस दिन हरियाणा सरकार नोटिफिकेशन कर देगी उस दिन से कोई भी अधिकारी रैड लाईट नहीं लगायेगा। यदि आपने रैड लाईट अपनी गाड़ी से उतार दी है तो यह आपकी मर्जी है। इसके अतिरिक्त अभी रैड लाईट से संबंधित रिव्यू पैटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने का समय नीति बनाने के लिए दिया था। जहां तक मुझे जानकारी है हरियाणा सरकार ने इस बारे में अपनी नीति बना ली है लेकिन अभी लागू नहीं की है।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ब्रीफ में अपनी बात कहूंगा। यदि मैं ज्यादा समय लूंगा तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आज हर विभाग के कर्मचारी प्रदेश में ऐजीटेशन पर हैं। हमारे विधान सभा और सैक्रेटेरियेट के कर्मचारी भी आज बहुत उत्तेजित हैं। ये भी चाहते हैं कि इन्हें भी पंजाब के बराबर वेतन दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बिजली तथा ट्रांस्पोर्ट विभाग के कर्मचारी, पात्र अध्यापक, अतिथि अध्यापक, डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्ज और कम्प्यूटर टीचर आदि ऐजीटेशन कर रहे हैं। इन सब बातों को संभालना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, अब आप बैठें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप बिना डिस्कशन कराये एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अभी तो मैंने रैवेन्यू विभाग के बारे में भी कुछ चर्चा करनी है।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, ठीक है लेकिन आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ही बोलें। इधर-उधर की बात न करें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में रैवेन्यू विभाग का इतना बुरा हाल है कि जितना पैसा रैवेन्यू के रूप में सरकारी खजाने में आता है उतना ही पैसा लोगों की जेबों में जा रहा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी तहसीलों में सरकार ने आदेश जारी

[श्री अनिल विज]
करके कुछ एरियाज की रजिस्ट्रियां बैन कर रखी हैं, फिर भी 50 हजार से एक लाख रुपये लेकर उन एरियाज की रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। (विघ्न) 4-4 करोड़ रूपये एक-एक तहसील की कमाई एक दिन में हो रही है जो कि लोगों की जेबों में जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि रजिस्ट्री करवाने के लिए पहले संबंधित नायब तहसीलदार से टाईम लिया जाये, जिसके कारण रजिस्ट्री करवाने के लिए 15-20 दिन का समय मिलेगा। लोगों को तहसील में पैसे लेकर आना पड़ता है और आज के दिन प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है जिसके कारण कोई भी घटना हो सकती है। इसलिए नायब तहसीलदार से टाईम लेने वाली कंडीशन खत्म की जाये। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, दूसरे माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है इसलिए प्लीज, अब आप बैठें।

श्री अनिल विज, एम.एल.ए. की भर्त्सना का मामला

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक भी आईटम बिना डिस्कशन के पास नहीं करा सकते। अब मैं वित्त विभाग पर बोलना चाहता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, नरेश बादली जी मेरे को बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए इनको नेम किया जाये। मैं वित्त विभाग की बात कर रहा था कि वित्त विभाग को फाइनैंसियल डिसीप्लीन को एढेयर टू करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा सुप्रीम है, मैं मुख्यमंत्री जी की अथोरिटी को चैलेंज करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है कि वे बजट में पारित की हुई वस्तुओं से बाहर जाकर घोषणाएं करें। मुख्यमंत्री जी ने गोहाना रैली में जाकर 3 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली (बादली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मेरे माननीय साथी जन भावनाओं की कद्र नहीं करते। मुख्यमंत्री जी ने वे घोषणाएं हरियाणा की जनता के हितों को देखते हुए की थी और उनको पूरा भी किया जायेगा। हर वर्ग का मौलिक अधिकार है, चाहे वे कर्मचारी है, किसान है या व्यापारी है कि वे सरकार की अच्छी नीतियों का फायदा उठायें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बैठें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी वही अनाउंसमैंट कर सकते हैं जिनको विधान सभा ने पारित किया हो। (विघ्न) मैं तो यही कह रहा हूं कि यदि बजट में किसी चीज को पास नहीं किया है तो किसी को घोषणा करने का अधिकार नहीं है । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिल्डिंग एंड रोड्ज के बारे में बोलना चाहता हूं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य यह बतायें कि ये घोषाणाएं जिन लोगों के लिए हुई हैं क्या श्री अनिल विज उनके खिलाफ हैं? क्या

ये स्वीपर, चौकीदार, नम्बरदारों और आंगनवाड़ी वर्करों के खिलाफ हैं जिनका मानदेय बढ़ाया गया? स्पीकर सर, आप श्री अनिल विज जी को बिठाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इन्होंने यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं इसका उनको अधिकार नहीं था। ये यह बताएं कि क्या इसका अधिकार विपक्ष को है। क्या विपक्ष का अधिकार केवल माननीय मुख्यमंत्री की खिलाफत करना ही है? ये यह भी बतायें कि जो गरीब बच्चों को स्टाईपैंड मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या ये उसके खिलाफ हैं और उनको मुफ्त शिक्षा मिल रही है क्या ये उसके खिलाफ हैं? इसके अतिरिक्त दलितों के हित में जो फैसले हुए हैं, क्या ये इसके भी खिलाफ हैं?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सी.एम. साहब को घोषणाएं करने का अधिकार है, लेकिन वही घोषणाएं करने का अधिकार है जिनका बजट विधान सभा पास कर दे। विधान सभा ने इन घोषणाओं का बजट पास नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा सुप्रीम है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, अगर विधान सभा का सैशन नहीं चल रहा है..... (शोर एवं व्यवधान)

विज जी, यहां पर आपका व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही सुप्रीम हैं। आप किसी की बात मान ही नहीं रहे हैं। You are making a noise.

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Speaker Sir, as a responsible Minister, I am making the statement. How can he say that I am making false statement? (Interruption).

Shri Anil Vij : You do not know ABC. (Interruption).

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : You just mind your language.

श्री अध्यक्ष : विज जी, आप कृपया करके बैठ जाईये।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, आप माननीय सदस्य श्री विज को बोलें कि वे मेरे बारे में उन द्वारा अभी कहे गये शब्दों को वापिस लें और इसके लिए माफी भी मांगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आप इनसे माफी मंगवायें। How can he say like this about a responsible Minister?

Mr. Speaker : Mr. Vij, you should apologize. How do you know she does not know ABC? How should you know? How can you use these types of words against a Minister? She is a law graduate.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Mr. Vij should apologize. He can't use this kind of language.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, आप इनसे माफी मंगवायें।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he has to apologize.

Mr. Speaker : Mr. Vij, you should withdraw your words.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, Chief Minister is not supreme, House is supreme.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he should tender apology to the Hon'ble Minister. Mr. Vij, you has to apologize to the Hon'ble Minister. श्री विज को माननीय मंत्री महोदया से माफी मांगनी चाहिए।

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, विज जी ने जो शब्द माननीय मंत्री जी को कहे थे उन्हें वापिस लें और उनके लिए माननीय मंत्री जी से माफी मांगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री विज अपने व्यवहार के लिए माननीय काबिल मंत्री महोदया जी से माफी मांगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please sit down. I am not allowing you to speak. Either you withdraw your remarks against the Minister that she does not know ABC or I will not allow you to speak. Please sit down.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please sit down and withdraw your words.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जो मैंने कहा है वह बिलकुल सही कहा है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please sit down and withdraw your words.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं अपने शब्द किसी भी हालत में वापिस नहीं लूंगा।

Mr. Speaker : O.K. I will name you.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, जब तक श्री अनिल विज माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं भी नहीं बैठूंगी। How can he challenge me?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he can't pass such remarks against the Hon'ble Minister. He should withdraw his words. (Interruption).

Mr. Speaker : Mr. Vij, you are not obeying the Chair. (Interruption).

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, आज हम श्री अनिल विज जी को पूरी ए.बी.सी.डी. सिखाने के बाद ही बैठेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he has to tender

an apology. This type of conduct is completely unacceptable. (Interruption) He has to apologize.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, हाऊस में किसी को गलत स्टेटमैंट देने का कोई अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) श्री विज को अभी हाउस से बाहर निकाला जाये।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he can't hold this House at ransom. My due regard to you is that this is not the way that any single Member can hold this House at ransom. He can't do like this. He can't hold this House at ransom in this fashion. He can't continue to speak on an Hon'ble Minister like this.

Public Health Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Speaker Sir, it is very unfortunate that a Hon'ble Member has been using such language against a lady who is also a Hon'ble Minister, on the floor of the House. This is absolutely intolerable as far as this august House is concerned. These words should be taken out from the proceedings of the House immediately.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं तब तक नहीं बैठूंगी जब तक श्री अनिल विज माफी नहीं मांग लेते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक ही बात कही है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Arora, do you think it is proper to call a Minister who is also a lady that she doesn't know 'ABC? (noise & interruption) Who is he to call this?

Smt. Kiran Chaudhary : It is most unfortunate that the Hon'ble Member do not know even how to speak to a lady Member.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी खड़ी हुई हैं। विज साहब ने तो आपसे पूछा है कि आप बतायें कि हाउस सुप्रीम है या ...(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, you are defending an act. You have been in this Chair. Arora Ji, don't defend this behaviour. Mr. Arora, you have been here. (Interruption)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अरोड़ा जी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please withdraw your remarks.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I again say that the House is supreme, Chief Minister is not supreme.

Shri Randeep Singh Surjewala : Vij ji, is defying even now. I do not think that such a Member has a place in this House. (noise and interruption)

Mr. Speaker : Mr. Vij, what you said about the Hon'ble Minister, you must withdraw the same. (noise and interruption)

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, Mr. Vij, do not know how to treat a lady Member.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, he has to apologize. (Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापिस नहीं ले रहा हूँ। इन्होंने कहा कि Chief Minister is supreme, House is not supreme. मंत्री जी इस बात के लिए माफी मांगें। मंत्री जी ने हाउस की गरिमा को डाउन करने की कोशिश की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आपने एक महिला मंत्री को अपमानित करने की कोशिश की है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित बहुत से सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)

मुख्य संसदीय सचिव, (कुमारी शारदा राठौर) : अध्यक्ष महोदय, या तो श्री अनिल विज माननीय मंत्री जी से माफी मांगें या इनको नेम करके सदन से बाहर निकाला जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, या तो श्री अनिल विज माननीय मंत्री जी से माफी मांगें या सदन से बाहर चले जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, जो लोग इस तरह के सदस्यों की मदद कर रहे हैं वे भी महिला जाति का अपमान कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : माजरा जी, आप हाउस के इतने सीनियर सदस्य हैं और एक सदस्य एक मंत्री जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आप उनकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, यह नारी जाति का अपमान है, वह हमारी बेटी है, हमारी बहन है, यह उनका अपमान है, ऐसे आदमी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अनिल विज जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपसे

तो मैं यहाँ हाउस में कान पकड़ कर माफी मंगवाऊंगी, वरना मैं बैठूंगी नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he has shown utter disregard to this House. He has no place in this House. His conduct is shameful. His conduct is dishonorable. He should apologize to the Hon'ble Minister otherwise such elements who pass such remarks about their colleague that is also a senior Minister, have no place in this House. (noise and interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए कि हाउस सुप्रीम है या मुख्य मंत्री सुप्रीम हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, you must withdraw your remarks. (noise & interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, जब तक ये लिखित रूप में माफी नहीं मांगते तब तक ऐसे आदमी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हाउस सुप्रीम है, अनिल विज सुप्रीम नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कब तक चलता रहेगा, यह तो हाउस के कीमती समय की बर्बादी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्य भी श्री अनिल विज से सहमत नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I again say that the House is supreme, Chief Minister is not supreme.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय ..... (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, Hon'ble Member has casted personal aspersion against the Minister. He should apologize to her.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : सर, मैंने एक रिस्पॉंसिबल स्टेटमैंट दी। श्री विज मुझे कह रहे हैं कि आपको ए.बी.सी. नहीं आती और माजरा जी ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। ए.बी.सी. तो मैं अनिल विज को सिखा कर रहूँगी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जब तक विज साहब सदन में कान पकड़ कर माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं आज बैठने वाली नहीं हूं। (शोर एवं व्यवधान) जब तक इन्होंने कान पकड़ कर माफी नहीं मांगी तब तक हम सदन को नहीं चलने देंगे। रामपाल माजरा जी यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विपक्ष के साथी भी उनकी स्पोर्ट में खड़े हो रहे हैं। I am not only a lady minister, but a responsible minister also, making the responsible statement on the floor of the House. But the Opposition Leaders are also supporting Mr. Vij (Noise & Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I beg to move that Shri Anil Vij be called to the well of the House and be reprimanded by the House for this dishonorable remarks, for his irresponsible remarks. If he is not ready to apologize he should be called to the well of the House and be reprimanded by the House.

Mr. Speaker : Mr. Vij you must withdraw your remarks.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जो मैंने कहा ठीक कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I move that he should be physically produced in the well of the House just now and be reprimanded by the House. (Interruption)

श्री सतपाल : स्पीकर सर, विज साहब अपनी आदत से मजबूर हैं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से नारेबाजी - महिला का अपमान नहीं सहेंगे - नहीं सहेंगे)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर.....

Mr. Speaker : No, Mr. Vij you have to be reprimanded. (Interruption) I will name him.

Shri Randeep Singh Surjewala : No Sir, I have requested that he should be produced in the well of the House. I have already moved a motion and he should be reprimanded (Noise & Interruption)

Mr. Speaker : Alright, on this issue I will go for the sense of the House. Parliamentary Affairs Minister may bring a resolution.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I have already moved a resolution. (Noise & Interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, जो माननीय साथी की स्पोर्ट करते हैं वे नारियों के विरोधी हैं।

Mr Speaker : Then, he should withdraw his remarks. (Noise & Interruption)

Smt. Kiran Chaudhary : Hon'ble Speaker Sir, the resolution has already been moved and you being the Head of this august House, must make sure that the resolution which have been moved should be carried forward.

Mr. Speaker : Yes, I will and I am going through the provision.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, Leader of the House has also expressed his serious concern about the irresponsible and objectionable remarks passed against an Hon'ble Member and a Senior Minister by Leader

of the Bharatiya Janata Party who is a many times member himself Shri Anil Vij and I again request to you on behalf of the Leader of the House to take a sense of the House and direct Shri Anil Vij to apologize. The people who pass such disparaging remarks about Hon'ble Ministers that also a lady minister who is a Seasoned Advocate of the High Court herself, they are not only condemnable but they are also completely unbecoming of a member of the Legislative Assembly. Any person passing such remarks must be reprimanded by the House and has no place to continue to participate in proceedings of the House.

Mr. Speaker : First I have to take the sense of the House. Question is whether we should reprimand the member or not?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, अगर विज जी माननीय मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल के विरुद्ध कहे गये शब्दों के लिए रिग्रट फील करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हाउस को एक्सैप्टेबल होगा। He should regret over his remarks passed against the Hon'ble Minister.

Mr. Speaker : Mr. Vij, it will be gracious if you withdraw your remarks.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं दोबारा से फिर कहना चाहता हूँ कि जिस परिपेक्ष्य में मैंने ये शब्द माननीया सदस्या के लिए कहे थे, यदि उस मुद्दे को क्लीयर कर दिया जाये तो सदन में सब कुछ साफ हो जायेगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर अभी तो मुझे बोलने दीजिये, बाद में इस विषय पर बात कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैंने तो यह कहा था कि हाउस सुप्रीम होता है, मुख्यमंत्री सुप्रीम नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान) जबकि माननीया श्रीमती गीता भुक्कल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुप्रीम होता है, हाउस सुप्रीम नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी ने हाउस का अपमान किया है वे माफी मांगे। (शोर एवं व्यवधान) यदि वे अपने इस कंडक्ट के लिए हाउस से माफी मांगेंगी तो मैं भी अपने शब्द वापस ले लूंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं फिर से कहता हूँ कि House is supreme, C.M. is not supreme. (Noise & Interruption)

Mr. Speaker : You have also passed uncharitable remarks against the Hon'ble Minister who is also a lady member.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, . . . (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You first talk about your remarks.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, सदस्य विज जी सदन में तोड़-मरोड़कर गलत स्टेटमैंट दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जो बातें अभी विज साहब ने सदन में कही हैं, उस परिपेक्ष्य में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त माननीय मंत्री जी और विज साहब के बीच इस तरह की बातें हुई हैं, उस वक्त मैं सदन में मौजूद नहीं था। अब

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
जैसे ही मैंने सदन मे प्रवेश किया तो मुझे पूरे वाक्या का पता चला है। अगर हमारी माननीय मंत्री जी ने ऐसी बात कही है तो ऑन न फ्लोर ऑफ द हाउस मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ तथा इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि House is supreme of everything. (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री अनिल विज : ठीक है, सर। अब तो बात ही खत्म हो गई है। अतः अब आप मुझे बोलने दीजिये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, either you receive reprimand or withdraw your remarks. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं या नहीं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, बात यह थी कि . . . (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Alright, I have decided to reprimand you. (Noise & Interruption)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, he should feel regret and he should also apologize for his remarks now (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यदि मुझे बोलने दिया जायेगा तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) सर, मुद्दा यह था कि . . . (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr Vij, either you receive reprimand or withdraw your remarks. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मुद्दा यह है कि. . . (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Alright, I have decided to reprimand you. Mr. Vij, stand up in your seat. I will reprimand you.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, . . . (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, before he deliver his speech, he should be directed to feel regret otherwise he should not be allowed to speak.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, . . . (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Either you receive reprimand or withdraw your remarks passed for the Hon'ble Lady Minister. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप बोलने देंगे तभी तो मैं अपनी बात रख सकूँगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अपनी बात रखिये?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मुद्दा यह था कि . . . (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No Speech, you can only regret. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : अच्छा जी, नमस्ते।

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That Shri Anil Vij, MLA for his uncharitable remarks passed against the Hon'ble Education Minister, Smt. Geeta Bhukkal Matanhail be reprimanded.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Shri Anil Vij, MLA for his uncharitable remarks passed against the Hon'ble Education Minister, Smt. Geeta Bhukkal Matanhail be reprimanded.

Mr. Speaker : Question is—

> That Shri Anil Vij, MLA for his uncharitable remarks passed against the Hon'ble Education Minister, Smt. Geeta Bhukkal Matanhail be reprimanded.

The motion was carried.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : मैडम कविता जी, विज साहब ने एक लेडी मिनिस्टर के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और आप श्री अध्यक्ष जी द्वारा इस संबंध में एक्शन लेने संबंधी राय के जवाब में "नो" कहती हैं? आपसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नही थी? क्या आप ऐसे अभद्र व्यवहार का समर्थन करती हैं?

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, . . . (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Shri Anil Vij, MLA is reprimanded for his conduct and uncharitable remarks against the Hon'ble Minister. He may stand up in his seat and receive his reprimand.

(At this stage, Shri Anil Vij, MLA left the House.)

विशेषाधिकार समिति को मामला निर्दिष्ट करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Shri Anil Vij, MLA has been reprimanded but he has left the House before receiving his reprimand. Since, it is a contempt of the House to leave the House like this instead of receiving his reprimand, I refer this matter to the Privileges Committee. This matter be placed before the Privilege Committee for taking action against this particular Member as per the Order of the Speaker.

(At this stage, Shri Ani Vij, MLA came back to the House.)

Shri Anil Vij : Speaker Sir,.....

Mr. Speaker : No, you can't come back. If you have to come back, then receive the reprimand.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर,. . . (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You can't come back. I have condemned you. And If you will come, you have to receive the reprimand.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं सदन से वाक आउट तो करने नहीं गया था? जहां तक गलती या शब्द वापस लेने की बात है तो मैं किसी भी सूरत में इस मुद्दे पर अपनी गलती नहीं मानूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You can't come back. I have condemned you. And If you will come, you have to receive the reprimand. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप गलती मनवाना चाहते हैं जो मैं किसी भी सूरत मे नहीं मानूंगा. . . (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : This is a mockery of the House.

Mr. Speaker : Mr. Vij, don't make a mockery of it. You will not be allowed to sit in the House. You are making a mockery of it. Everything is taken so lightly by you.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं वाक आउट तो करके नहीं गया था. . . (शोर एवं व्यवधान)

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, he is making a mockery.

Mr. Speaker : If you want to come back, stand up in your seat and receive the reprimand here otherwise you are insulting the whole House.

श्री धर्म सिंह छोकर : स्पीकर सर, विज साहब के खिलाफ एक्शन लिया जाये।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं... (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, अब जबकि विज जी अपने शब्द वापस ले रहे हैं और माफी मांग रहे हैं तो अब तो इस बात को छोड़ दीजिये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No. he has been reprimanded. I have already the passed orders for his reprimand. I have condemned his conduct and the matter has been referred to the Privileges Committees.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, विज साहब ने माफी मांग ली है।

Mr. Speaker : Even he has apologized, but he has already been condemned and reprimanded.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगांव) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर हाऊस में गरमा-गरमी हुई, मैं समझता हूँ कि उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, जो हुआ उसको अनहोनी समझे, मेरा निवेदन है कि अनिल विज जी ने अपनी बात वापस ली, अपने कहे गये शब्द वापिस ले लिये (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, यह अनहोनी नहीं है। ये सारी बातें नोईंगली होती हैं। यह की हुई होनी है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगांव) : स्पीकर सर, मैं भी सदन में मौजूद था । एक विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई कि हाऊस सुप्रीम है या मुख्यमंत्री सुप्रीम है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : When the Leader of the House has himself stated that the House is supreme, then we will not discuss this issue more.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगांव) : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है उसके बाद विज साहब .....

Mr. Speaker : Even after to that Mr. Vij did not rise in his seat to receive the reprimand.

सदस्य का निलम्बन

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। You did not allow me to speak. मैंने जब कहा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ तो आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया।

Mr. Speaker : Mr. Vij, even if you have taken back your words, it doesn't matter now.

Shri Anil Vij : Sir, you didn't allow me to speak.

श्री अध्यक्ष : पार्लियामैंट अफेयर मिनिस्टर आप अपना मोशन लाईये।

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjwala) : Sir, I beg to move—

> That Shri Anil Vij, MLA, who after his reprimand and condemnation, entered into the House again, be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of a member of this august House, his grossly disorderly conduct in the House and defying the orders of the Chair for the remainder of the day's proceedings.

Mr Speaker : Motion moved—

> That Shri Anil Vij, MLA, who after his reprimand and condemnation, entered into the House again, be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of a member of this august House, his grossly disorderly conduct in the House and defying the orders of the Chair for the remainder of the day's proceedings.

Mr. Speaker: Question is—

> That Shri Anil Vij, MLA, who after his reprimand and condemnation, entered into the House again, be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of a member of this august House, his grossly disorderly conduct in the House and defying the orders of the Chair for the remainder of the day's proceedings.

The motion was carried.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker : You don't speak. You have been suspended. Please leave the House. प्लीज आप बाहर जाईये।

(इस समय श्री अनिल विज, एमएलए सदन से बाहर चले गये।)

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

Chief Minister : Speaker Sir, I want to make an announcement. हरियाणा सरकार पहली बार चने की प्रिक्योरमैंट करने जा रही है। आज चना चरखी दादरी मंडी में 2750 रुपये से लेकर 2800 रुपये तक बिक रहा है। लेकिन हमने एम.एस.पी. फिक्स किया है और इसकी नैफेड से हमें इजाजल मिल गई है। हरियाणा सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदकर नैफेड को देगी। **(इस समय हाऊस में मेजें थपथपाई गई)**

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, सदन का आधा घंटा इस बात पर लग गया कि सदन सुप्रीम है या नहीं। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि सदन सुप्रीम है। इसके बाद यह बात आई कि विधान सभा के सत्र के दौरान लोक हित में माननीय मुख्यमंत्री या सरकार जो भी घोषणाएं करते हैं, वह सदन से बाहर नहीं होनी चाहिए। सर, सदन में बजट के माध्यम से हर विभाग का पैसा स्वीकृत किया जाता है। उस पैसे को कार्यान्वित करने के लिए सरकार, मुख्यमंत्री या उसके मंत्री कहीं भी पब्लिक मीटिंग में उस पैसे को खर्च करने के लिए घोषणा कर सकते हैं। इनका यह कहना ठीक नहीं है कि सारा कार्य सदन के माध्यम से हो। सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बजट सत्र में जब भी कोई विकास के कार्य के लिए पैसा अलॉट होता है, चाहे उसमें पब्लिक का कोई मुद्दा है या कोई डिमाण्ड आ जाती है तो उस बजट के माध्यम से उन सारी घोषणाओं को कार्यान्वित किया जाता है। इस तरह की बातें करके ही सदन का आधा घण्टा खराब कर दिया।

डॉ. विशन लाल सैनी : स्पीकर सर, जैसे कि सरकार विचार कर रही है कि प्रदेश में एक लाख से ज्यादा जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको नियमित किया जायेगा, इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। सर, लेकिन मेरा कहना है कि कच्चे कर्मचारियों में जो एस.सी.बी.सी. कैटेगरी का कोटा है, उस अनुपात का भी सरकार ध्यान रखे। सर, एस.सी. बी.सी. कैटेगरी का बैकलॉग जो खाली है उसको भी भरने का सरकार ध्यान रखे।

श्री अध्यक्ष : श्री परमेन्द्र सिंह ढुल।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने गांवों और शहरों के स्कूलों में एजुसैट का कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम लगाया गया है। एक बड़ी वास्तविक समस्या यह आ रही है कि स्कूलों के बिजली के कनेक्शन इसलिए काट दिये गये हैं क्योंकि उनके बिजली के बिल नहीं भरे गए हैं। इसके लिए स्कूलों के पास पर्याप्त फंड नहीं होते। मेरे जिले के काफी ऐसे स्कूल हैं जिनके बिजली के बिल न भरने की वजह से बिजली के कनेक्शन काट दिये गये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन स्कूलों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध करवाये जायें जिससे वे बिजली के बिल समय पर भर सकें और बिजली के कनेक्शन कटने से बच जायें और सरकार की स्कूलों में कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम लगाने की योजना है, उससे वह पूरी हो सके। मेरे पास दो स्कूलों के नौटिस हैं जिनके कनेक्शन नॉन पेमैंट की वजह से कट चुके हैं।

प्रो. संपत सिंह : स्पीकर सर, मैं भी अपने दो सुझाव इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो सर, जैसे आई.टी. का जमाना आ गया है। इसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में स्टैंडर्ड ऑफ एजूकेशन बढ़ा है, काफी सारी इंस्टीच्यूशंज आ गई हैं जिनकी वजह से यह स्टैंडर्ड बढ़ा है। कई बार हम देखते हैं कि मैनुअल फाइल वाला जो सिस्टम है, काफी पुराने समय से वही सिस्टम चला आ रहा है। एक फाइल नीचे से जाकर मंत्री जी के दफ्तर में आ गई, उस फाइल को पहले रिसीट क्लर्क रिसीट करेगा उसके बाद मंत्री महोदय के पास वह फाइल पहुंचने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि वह फाइल दफ्तर में रिसीट क्लर्क के पास जाएगी उसके बाद वह फाइल Deputy Superintendent, Superintendent, Under Secretary, Special Secretary and

[प्रो. सम्पत सिंह]

Financial Commissioner etc. के पास जाएगी। इसमें इतने चैनल बन गए हैं कि उनसे निकलते हुए यदि उस फाइल को फोलो न किया जाए तो उस फाइल के पहुंचते पहुंचते एक महीना लग जाता है। मेरा सुझाव है कि एक तो इस बारे में सिंगल फाइल सिस्टम फोलो किया जाए, क्योंकि चैनल जितने कम होंगे उतनी ही वर्किंग इम्प्रूव होगी और एफीशिएंसी बढ़ेगी। कई बार तो सिर्फ मंत्री जी या कमिश्नर के पास सिग्नेचर के लिए भी फाइल आनी होती है तो भी वह पहले डिस्पैच क्लर्क के पास आती है फिर ये फाइल को मंत्री जी के पास भेजते हैं फिर वापसी में वह फाइल फिर क्लर्क के पास आती है फिर जब वह फाइल एफ.सी. के पास जाती है और वह भी एफ.सी. के डिस्पैच क्लर्क के थ्रू जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के समय में इस प्रोसैस को सरल किया जाना अति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव इरीगेशन डिपार्टमैंट के बारे में है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं और वे इरीगेशन मिनिस्टर भी हैं। इनके अधिकारियों ने इस बात को माना है कि जो ब्रिजेज बनते हैं उनमें एक नॉर्म है कि उनके बीच में एक किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन जो कंसौलिडेटेड पाथ हैं और उनमें एक किलोमीटर की दूरी न हो तो उसके लिए रिलैक्सेशन मिलती है और उस रिलैक्सेशन के प्रौसेस के लंबे होने की वजह से उसमें एक एक साल का समय लग जाता है, क्योंकि वह फाइल मुख्यमंत्री जी तक जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें डेलीगेशन ऑफ पॉवर्ज होनी चाहिए। जहां कंसौलिडेटेड पाथ की बात हो और वहां पुल बनाना ही हो तो ऐसे मामलों में रिलैक्सेशन की पावर्ज डेलीगेट करके उसको अलाऊ कर दिया जाए और इसका लैवल एफ.सी. या ई.आई.सी. तक कर दिया जाए। जब कंसौलिडेटेड पाथ की बात हो वहां तो बना दिया जाए, यदि खेत के रास्ते में बनाने की बात हो तो न बनाएं लेकिन यदि नहर रास्ते में आ रही है। खाले आ रहे हैं तो रिलैक्सेशन के इतने लम्बे प्रोसैस से न निकलना पड़े। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन इस वजह से लोगों को बड़ी भारी प्रॉब्लम पेश आ रही है। गांव के लोगों के लिए और जमीदारों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बारे में दि दैन इरीगेशन सैक्रेटरी से जो कि अब मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं, से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने इस बात को माना है। मैं रिक्वैस्ट करता हूं कि मेरे इस सुझाव पर अवश्य गौर करें।

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनंदन

Industries Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I would like to inform the House that Sardar Kuljeet Singh Nagra and Sardar Amrinder Singh Raja, MLAs of Punjab Legislative Assembly are present in the Speaker Gallery. I welcome them on behalf of the House.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I also welcome them in this Assembly.

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया (बावल अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने एस.सीज. के बैकलॉग को पूरा करने के लिए बहुत काम किया है लेकिन पिछले दिनों एस.सीज. के 372 पद निकाले गए थे और उनमें भर्ती कर ली गई लेकिन उसमें से 25 बच्चे किसी वजह से नौकरी ज्वॉइन नहीं कर सके, जिस वजह से 19 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। वे बच्चे ऐजूकेशन मिनिस्टर से भी मिले और हाईकोर्ट में भी गए। माननीय हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया, उसके बावजूद भी उन 19 बच्चों को नौकरी में ज्वॉइन नहीं करवाया गया। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में बैकलॉग कैसे पूरा होगा ?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister will examine that. (interruption) Hon'ble Minister is making a statement.

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : सर, इस मामले को हमने आलरेडी ऐग्जामिन किया है और जो वेटिंग लिस्ट कुछ लोगों के ज्वॉइन न करने की वजह से क्लीयर नहीं हुई थी, उसके बारे में हमने मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल ले ली है और उस आदेश की अनुपालना कर ली जाएगी।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और बजट भाषण में सरकार द्वारा यह कहा गया है कि बी.पी.एल. और एस.सी. और बी.सी. कैटेगरी के गरीब लोगों को सरकार द्वारा 100-100 गज के प्लॉट दिये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इन लोगों को जो प्लॉट दिए हैं उनका यह नहीं पता कि वे वास्तव में जमीन पर दिए हैं या सिर्फ कागजों में ही दिए गये हैं। लोग उन प्लॉट्स का कब्जा लेने के लिए और रजिस्ट्रियां लेने के लिए डी.सी. और तहसीलदार के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन न तो उनको उन प्लाट्स की रजिस्ट्रियां मिली हैं और न ही कब्जे मिले हैं। कई बार मैं भी कई गाँवों के लोगों के साथ डी.सी. के पास गया हूं और डी.सी. साहब से यह कहा कि इन लोगों को आप उन प्लाट्स की रजिस्ट्रियां दिलवायें और कब्जे दिलवायें।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्य को उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि तीन लाख 84 हजार लोगों को सरकार ने फिजीकल पोजैशन दे दिया है। इसके बारे में पूरा डाटा सदन के पटल पर रख दिया है। आदरणीय साथी उस प्रश्न के जवाब का अवलोकन करेंगे तो इनको सारा पता चल जायेगा। फिर भी अगर इनको कोई शंका है तो हमें बतायें हम इनकी शंका को जरूर दूर करेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि संबंधित अधिकारी उस पर नजर नहीं रखते। लोगों को उन प्लॉट्स के कब्जे नहीं मिले हैं और वे तहसीलदार के चक्कर काटते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कह तो दिया कि इसका हल हो जायेगा। आपने अपनी बात रख तो दी और आप क्या कहना चाहते हैं ?

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY

श्री रामकुमार राजौरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे दुकानदारों के खोखे और दुकानें अगर आग में जल जाते हैं तो उनको मुआवजे के रूप में पांच लाख रूपये देने की घोषणा की है। तीन नवम्बर, 2013 को नेशनल हाईवे नं. 8 पर खेड़ा बॉर्डर के पास रात को चार दुकानें जलकर राख हो गई। उन दुकानदारों ने इस बारे में मुआवजे के लिए सरकार को एप्लीकेशंज दी और पटवारी और तहसीलदार द्वारा उस जगह का सर्वे भी किया गया। उस मुआवजे की फाईल डी.सी. और तहसीलदार के बीच में पिछले चार महीनों से घूम रही है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : राजौरिया जी, आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है। दुकानदारों को कम्पनसेशन देने के बारे में गोहाना रैली में जिस नई नीति की घोषणा की थी वह घोषणा हमने जनवरी, 2014 से लागू की है जबकि माननीय सदस्य पिछले साल की बात कह रहे हैं। अभी तो हम ऐसे दुकानदारों को कम्पनसेशन देने के लिए असैस करवा रहे हैं।

सरकारी संकल्प

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप अच्छे सुझाव देकर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कल हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने एक सुझाव दिया था। जिस प्रकार से सारे हाउस ने एस.वाई.एल. नहर और हांसी-बुटाना नहर के बारे में एक रेजोलूशन पास करके केन्द्र को भेजा था उसी प्रकार से स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट के बारे में भी सदन में एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजा जाना चाहिए ताकि स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य अरोड़ा जी को बताना चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट से भी बैटर चीफ मिनिस्टर्ज ग्रुप ने एग्रीकल्चर प्रोडैक्शन के बारे में एक रिपोर्ट भारत सरकार को इम्पलीमैंटेशन के लिए भेजी थी। इस वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष मैं था। इस वर्किंग ग्रुप में पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री सदस्य थे। Working Group on Sustainable Growth of Agriculture जोकि किसान की स्थाई आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री जी द्वारा बनाया गया था, उस रिपोर्ट में हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे। उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट हमने केन्द्र को सब्मिट की थी और उस कमेटी के कुछ सुझाव इम्पलीमेंट भी हो गये हैं। पिछली सरकार के समय

में जब किसान कोआप्रेटिव बैंक से पहली बार लोन लेते थे तो उनको 11 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता था। जबकि हमने उस लोन को किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दिलाने का काम किया है और यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू की गई है। यहां तक कि नेशनलाइज्ड बैंकों ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है। इसी प्रकार से बहुत सारे सुझाव उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में हमने दिए थे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की जहां तक बात है, स्वामीनाथन जी भी उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट से एग्रीड थे कि किसान की स्थाई आमदनी तब हो सकती है जब उसकी फसल के लिए सारे देश में एक फार्मूला लागू किया जाए। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि एक किसान की फसल की जितनी लागत आती है उसकी लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जमा करके किसान को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट के बाद की यह वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है जोकि उस रिपोर्ट से ज्यादा बैटर है। इसलिए मैं अरोड़ा जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर सदन में कोई प्रस्ताव लाना है तो वह वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर लाया जाए जो रिपोर्ट मेरी अध्यक्षता में भारत सरकार को सब्मिट की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये इस बात को मानें कि हमारे वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट से बैटर है जबकि हमारा यह वर्किंग ग्रुप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बाद बना था।

श्री कृष्णलाल पंवार (इसराना, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, ये उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, क्या इनके पास स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है? हमारे साथी प्रस्ताव पास करेंगें, इनको अपोज करना हो तो कर लेंगें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि हाउस ने अपनी बात कही इसलिए अब आप हमारी बात सुन लें उसके बाद मंत्री जी अपनी बात कह लें। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के लिए उनकी अध्यक्षता में जो वर्किंग ग्रुप बना था उसकी रिपोर्ट में स्वामीनाथन रिपोर्ट से बैटर सुझाव हैं। हम चाहेंगे कि उस रिपोर्ट पर ही ये प्रस्ताव लाएं ताकि उस पर अमल किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने एक और बात कही कि हमारे टाइम में 11 परसैंट पर को-आपरेटिव बैंकों का लोन दिया जाता था तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज तो न कोई को-ऑपरेटिव बैंक का लोन लेता है और न वापिस देता है। को-आपरेशन मिनिस्टर जी यहां बैठे हैं इनसे पूछ लिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है। मैंने ऋण के बारे में कहा है कि जो शोर्ट टर्म लोन हैं उनके ऊपर इनके समय से दुगुने-तिगुने लोन दिए जा रहे हैं। ये पता करके देख लें।

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे महकमे की बात आई है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि को-ऑपरेटिव बैंकों से लोन दिए जा रहे हैं। हर तरह के लोन हम किसानों को दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) को-ऑपरेटिव बैंक धड़ाधड़ लोन दे रहे हैं और किसानों को कोई समस्या नहीं है। इनके टाइम में जो लोन लेता था वह खेत में छुप जाया करता था और उसके पीछे को-ऑपरेटिव बैंक की जीप लगी रहती थी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने यह काम बंद कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो छोटे छोटे सुझाव हैं। पहला सुझाव मेरा यह है कि गोहाना रैली में मुख्यमंत्री महोदय ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की बात कही थी। ठेकेदारी प्रथा में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। किसी ठेकेदार को 25 स्वीपर भर्ती करने के लिए दिए जाते हैं तो वह 10 स्वीपर भी नहीं लगाता है। चाहे तो किसी भी म्युनिसिपल कमेटी में चैक करवा कर देख लिया जाए। सफाई कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती और ऊपर से ठेकेदार अपनी कमीशन भी काटता है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ठेकेदारी प्रथा को तुरंत बंद कर दिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब ने बिल्कुल वाजिब बात कही है। हमारी घोषणा थी और उस घोषणा के बाद हमने लागू किया है कि जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनका सीधा चैक कारपोरेशन वाले देंगे। सफाई कर्मचारियों को पहले 5458 रुपये मिलते थे लेकिन अब 8100 रुपये का चैक मिल रहा है। ठेकेदारी प्रथा हम बंद करने जा रहे हैं लेकिन जिन्होंने 31 मार्च तक का ठेका लिया हुआ था वह पीरियड कम्पलीट होने के बाद हम इसका कोई स्थाई प्रबंध करेंगे ताकि ठेकेदारी प्रथा बंद हो और उनको कम से कम 8100 रुपये मिलें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक नए स्थाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं होती तब तक नगरपालिका या डी.सी. इनको स्वयं लगाए परंतु बीच की ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने 13 हजार सफाई कर्मचारी शहरों में लगाने के लिए भी प्रस्ताव पास किया है और उनका चयन बकायदा पूरी प्रक्रिया एडॉप्ट करके किया जाएगा और उनको ठेकेदारी प्रथा पर नहीं लगाया जाएगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती तब तक ठेकेदारों को बीच में से निकालकर नगर पालिका या डी.सी. स्वयं सफाई कर्मचारी रखें। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से गैस्ट टीचर्स जंत्र-मंत्र पर धरने पर बैठे थे।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप बिल पर बोलें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जंत्र मंत्र पर जो गैस्ट टीचर्स धरने पर बैठे थे उनको मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं जाकर जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन तुड़वाया था। आज हाउस चल रहा है और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय कोई ऐसी नीति लेकर आएं जिससे उनको फायदा हो। हम विपक्ष की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि हम इसमें उनका पूरा सहयोग देंगे।

13.00 बजे **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अरोड़ा साहब ने कृषि को लेकर चिंता जाहिर की है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप बनाया था जो कृषि के विकास के लिए, कृषि को ज्यादा फायदेमंद

बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करे। उसके बारे में मैं प्रस्ताव लेकर आऊं उससे पहले मैं सदन में बताना चाहूंगा कि जब से दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में और माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार तथा हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई है तब से अभूतपूर्व कार्य कृषि, किसान और गरीबों के विकास के लिए हमने किए हैं। इस दौरान किसानों को उनकी फसल का अधिकतम न्यनतम मूल्य दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1999 से 2004 तक जब केन्द्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार विपक्ष के पांच सांसदों के समर्थन से चल रही थी, उस दौरान पांच साल में गेहूं का समर्थन मूल्य मात्र 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। उस दौरान किसान त्राहि-त्राहि कर रहे थे। इन लोगों ने किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि यू.पी.ए. की सरकार आने के बाद 9 साल में गेहूं का समर्थन मूल्य 540 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1380 रुपये प्रति क्विंटल तक हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से धाहे चने, चावल या गन्ने के समर्थन मूल्य की बात हो, हर जिंस का हमने सर्वाधिक भाव दिया है जिसको लेकर पूरे देश में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की चर्चा की जाती है कि हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक भाव है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि इस दौरान डीजल के भाव कितने प्रतिशत बढ़े हैं?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की सरकार के समय में 32 बार डीजल के रेट बढ़े थे। यह रिकार्ड की बात है। इसी तरह से उस समय कैरोसीन के तेल का भाव दो रुपये से बढ़ाकर दस रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। इसी तरह से उस समय 7 बार यूरिया और 7 बार डी.ए.पी. खाद के रेट बढ़ाये गये और विपक्ष के साथी उस सरकार का समर्थन कर रहे थे। क्या इस तरह से विपक्ष के साथी किसानों के पक्षधर हैं? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जब अरोड़ा जी बोल रहे थे उस समय मैं चुप बैठा था। मेरा इनसे सादर अनुरोध है क्योंकि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, अब ये बैठे-बैठे रनिंग कमेंट्री न करें। इससे कोई लाभ नहीं है। हमारी केन्द्र की सरकार ने किसानों के 72 हजार करोड़ रुपये के कर्जे देश के इतिहास में पहली बार माफ किए हैं। इसी तरह से हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए। इसके अतिरिक्त किसानों को फायदा देने के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए एक नया कंपनसेशन कानून यू.पी.ए. की सरकार ने बनाया है, जिसके तहत किसानों को मार्केट भाव पर मुआवजा व प्रोजैक्ट्स में ऑनरशिप भी दी जायेगी । इस तरह का कानून यू.पी.ए. की सरकार पहली बार लेकर आई है और हरियाणा की भूमि अधिग्रहण नीति को पूरे देश में ट्रांसलेट किया गया है जिसके तहत किसानों को बाजार भाव पर भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा मिलेगा। इस तरह से हमने किसानों के विकास के लिए एक नई इबारत लिखी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसा अरोड़ा साहब ने पहली बार सहमति जताते हुए कहा है कि यह सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे और केन्द्रीय सरकार को निवेदन करे कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो किसानों की भलाई के लिए वर्किंग ग्रुप है उसकी रिपोर्ट को जल्द से जल्द भारत सरकार सम्पूर्ण क्रियान्वयन करवाये।

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister may move his motion.

Shri Randeep Singh Sujewala : Sir, I beg to move—

> That this House resolves to send the Report, made by the Working Group on Agriculture under the Chairmanship of Shri Bhupinder Singh Hooda, Chief Minister, Haryana, to the Government of India to accept it and implement the same in toto for the welfare of the farmers of entire India.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House resolves to send the Report, made by the Working Group on Agriculture under the Chairmanship of Shri Bhupinder Singh Hooda, Chief Minister, Haryana, to the Government of India to accept it and implement the same in toto for the welfare of the farmers of entire India.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ यदि स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को भी जोड़ दिया जाये तो अच्छा होगा क्योंकि इन दोनों के जो-जो बेहतर सुझाव होंगे, वे ले लिये जायें।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो रिजैक्ट हो चुकी है। वह नहीं जोड़ी जा सकती। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, किसान स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। हुड्डा साहब की अध्यक्षता में जो वर्किंग ग्रुप बना हुआ है उसकी मांग नहीं कर रहे। यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी साथ में जोड़ दिया जायेगा तो किसानों को फायदा होगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, किसान वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन है। हमने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी कंसीडर किया गया था।

Mr. Speaker : Question is—

> That this House resolves to send the Report, made by the Working Group on Agriculture under the Chairmanship of Shri Bhupinder Singh Hooda, Chief Minister, Haryana, to the Government of India to accept it and implement the same in toto for the welfare of the farmers of entire India.

The resolution was carried unanimously.

This resolution will be sent to the Central Government.

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Question is—

That Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. दि हरियाणा एप्रोप्रियेशन (संख्या 2) बिल, 2014

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

3. दि हरियाणा राइट टू सर्विस बिल, 2014

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Right to Service Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Right to Service Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Right to Service Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Right to Service Bill be taken into consideration at once.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, हमें इस बात की खुशी है कि सरकार राईट-टू-सर्विस बिल लेकर आई है। अभी मेरे साथी श्री राम पाल माजरा जी ने भी बताया था कि हरियाणा में कोई अधिकारी रिटायर नहीं होता है। रिटायर होने के बाद उनको कहीं न कहीं दूसरे ऊंचे पद पर बिठा दिया जाता है। इस बिल के अंदर भी यह कहा गया है कि एक मुख्य आयुक्त होगा और चार आयुक्त होंगे। जो मुख्य आयुक्त होगा वह भारत सरकार के सचिव या हरियाणा के मुख्य सचिव के स्तर का होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव है कि जो पर्सन्स रिटायर हो जाते हैं मैं नहीं समझता कि उनकी कोई जिम्मेवारी होती है और चाहे किसी का काम हो या न हो वे इसके लिए ज्यादा पेन नहीं लेते। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसमें रिटायर्ड पर्सन को अध्यक्ष और सदस्य न लगाया जाये बल्कि उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये जो सर्विस में हों ताकि उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जा सके।

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं रिटायर्ड या सर्विस की बात तो नहीं करूँगा लेकिन जो डिफाइन किया गया है वह ठीक नहीं है कि चीफ सैक्रेट्री लेवल का रिटायर्ड अधिकारी उसमें चेयरमैन होगा और भारत सरकार में ज्वाइंट सैक्रेट्री और हरियाणा सरकार

में विधायुक्त एवं सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य बनेंगे और वे भी कम से कम 2 बनेंगे। स्पीकर सर, मैं चाहता हूँ कि वे चाहे किसी भी फील्ड से हों, वे ब्यूरोक्रैट्स भी हो सकते हैं और वे आई.एफ.एस. भी हो सकते हैं, वे इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। हमारे प्रदेश में एक से बढ़ कर एक इंटैलीजैंट आदमी उपलब्ध हैं। हम यूनिवर्सिटीज में भी वाईस-चांसलर लगाते हैं या और भी कई संस्थाएं हैं जैसे यू.पी.एस.सी. या एच.पी.एस.सी. है उनमें इस तरह की क्वालिफिकेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है। उसमें यह तो है कि इतने लोग सर्विस से होंगे लेकिन यह नहीं है कि फलां सर्विस से होंगे। हमारे हरियाणा में एच.पी.एस.सी. के सदस्य के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें भी यह लिखा हुआ है कि आधे से ज्यादा सर्विस से नहीं होंगे। उसमें यह क्लॉज है कि आप सर्विस से ले सकते हैं लेकिन आधे से ज्यादा सर्विस से नहीं होंगे। वही बात यहाँ पर आ गई है। राईट-टू-सर्विस एक बहुत अच्छी चीज है और मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और सरकार को बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से राईट-टू-इन्फोर्मेशन के माध्यम से आदमी को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है और उसी की वजह से आज के दिन लोग करप्शन के केसिज में फंसते जा रहे हैं। पहले तो कोई कुछ बताता ही नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है लेकिन आजकल तो फाइलों की नोटिंग तक मांग ली जाती हैं और उसके बाद आदमी केस भी कर सकता है और उसको जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह भी दूर हो सकती है। आज राईट-टू-इन्फोर्मेशन का टैरर है और यही वजह है कि हर आदमी अपने काम के प्रति जवाबदेह है और जवाबदेही की वजह से उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है तथा उसके खिलाफ किसी ऐजेन्सी को लिखा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसको डिफाइन न करो बल्कि खुला छोड़ दो। अगर चीफ सैक्रेट्री इसके लायक हैं तो उसको भले ही बना दें लेकिन इसके लिए पाबंदी न लगाओ कि चीफ सैक्रेट्री लेवल का ही अधिकारी होना चाहिए। इस बात में कोई ऐतराज नहीं है कि आप 2 सदस्य बनाते हो या 3 सदस्य लगाते हो, वह तो लगा सकते हैं। जिस प्रकार से यू.पी.एस.सी. और एच.पी.एस.सी. में रखा हुआ है तथा दूसरी स्टेटों में रखा गया है उसी प्रकार से इसको ओपन रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह भी जरूरी नहीं है कि इन पदों पर नियुक्त होने वाले हमेशा ही अच्छे लोग हों। यह भी हो सकता है कि कई बार जिन अधिकारियों से लोग तंग हों और उन्हीं को इन पदों पर काम करने का मौका दे दिया जाये । उसमें सब कुछ ठीक नहीं होता। मान लीजिए राईट-टू-इन्फोर्मेशन कमीशन में जो हमारे सभी कमिश्नर हैं अगर वे नॉन ब्यूरोक्रैट्स हैं and they are working better. ऐसी बात नहीं है कि वे काम नहीं कर रहे हैं, वे भी काम कर रहे हैं और मैं हरियाणा स्टेट के आई.ए.एस. काडर की तारीफ करता हूँ कि वे बहुत इंटैलीजैंट हैं और इसी तरह से जो इंजीनियर्स हैं वे भी इंटैलीजैंट हैं।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आपने अपनी बात को जलेबी की तरह बना दिया है, इसमें आपका सुझाव क्या है आप वह बताईये ?

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि राईट-टू-सर्विस के लिए किसी क्वालिफिकेशन की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि रूल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसमें सभी लेवल के लोग आयें। सर्विसिज अगर उसको एफ.सी. लेवल पर अच्छी नहीं मिली है तो वहाँ आ जाये, चाहे मिनिस्टर लेवल पर, चाहे सी.एम. लेवल पर आ

[प्रो. सम्पत सिंह]

जाये। जब रूल्ज बनाए जायें तो इन सभी बातों का उसमें ध्यान रखा जाये तथा नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को इसके दायरे में लाया जाये। राज्यपाल महोदय को इससे बाहर रखा जाये। आज के दिन अधिकारियों का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है लेकिन मैं अपनी स्टेट के अधिकारियों की इंटैलीजैंस को सैल्यूट करता हूँ और मैं सरकार को ऐप्रीशियेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि सरकार इतना बढ़िया बिल लेकर आई है जिससे काम में सुधार आएगा, लोगों की समस्याएं खत्म होंगी, आज जिस किस्म की शिकायतें रहती हैं वह शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। जैसे अगर आज हम गांव में जाएंगे तो यह कह देंगे कि आपका एक 132 के.वी. का सब स्टेशन लगा दिया तो उनमें से कोई एक आदमी क्या जवाब देगा कि मैं आपसे छः बार मिल लिया लेकिन मेरा खम्भा तो अब तक हटा नहीं। सर, ये समस्या ही दूर हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़ा काम हो गया लेकिन छोटे काम रह रहे हैं। अगर यह राईट-टू-सर्विस वाला रूल आ जाएगा तो इसके बाद छोटे काम भी नहीं रहेंगे। मैं इसके लिए ऐप्रिशियेट करता हूं कि उनका यह कार्य ऐप्रिशियेबल है।

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : स्पीकर सर, राईट-टू-सर्विस कमीशन के फॉरमेशन पर विशेष तौर से यह लिखा हुआ है कि राईट-टू-सर्विस कमीशन में केवल रिटायर चीफ सैक्रेटरी लेवल के व्यक्ति और तीन-चार रिटायर्ड आई.ए.एस. लिए जाएंगे। बजाय रिटायर्ड के आप उनको लो जो सर्विंग है क्योंकि 65 साल की अवधि होने के बाद उनका उम्र के हिसाब से फिर किसी काम में कोई इन्ट्रस्ट नहीं रहता। इसलिए राईट-टू-सर्विस कमीशन में जो रिटायर चीफ सैक्रेटरी लेवल के व्यक्ति और तीन-चार रिटायर्ड आई.ए.एस. को चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन बनाने की बात की है वह ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से गौ कमीशन बना था उसके चेयरमैन इस्तीफा दे गये। वाईस-चेयरमैन भी इस्तीफा दे गये। फिर किसान आयोग बना उसका भी बहुत प्रचार हुआ कि इस आयोग में किसानों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो कमीशन किसानों के हित में बनाया गया था उस कमीशन के आज तक तो यहां पर कोई सुझाव आए नहीं और सरकार जनता को राईट-टू-सर्विस देने की बात करती है। सर, यह लगता है कि जो ये चार आई.ए.एस. अधिकारी रिटायर होने जा रहे हैं सरकार इनको री-एप्वाईंटमेंट करने की सोच रही है। जैसे मैंने ये बताया था कि दो दर्जन आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी हरियाणा प्रदेश में री-एमप्लोईड हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हरियाणा में कोई ऑफिसर रिटायर होता ही नहीं। सो दैट पता नहीं ये रिटायरमेंट की शर्त क्यों लगा रखी है कि इस पद पर रिटायर्ड अधिकारी ही लगेगा। सर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कमीशन को फंक्शनल करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए जिसका काम करने में कोई इन्ट्रस्ट हो और यह लगता हो कि उसके अन्दर काम करने का जज्बा है ना कि उन व्यक्तियों को जिन्हें पहले ही आजमाया हुआ है। जब वह इन-सर्विस थे तब तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं और जब रिटायर होते हैं तो यहां कमीशन में लग जाते हैं। सर, जो री-एम्प्लॉईमैंट की बात है, यह देश प्रदेश के हित में नहीं है।

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak) : Hon'ble Speaker Sir, it is really praiseworthy that the Government has come with this legislation. With all the provisions, with the same powers and with the same posts, which have been made therein, many States even the State of Bihar, Delhi and

Punjab, have also passed this legislation and they all are working satisfactorily. How they can doubt that the Chief Secretary after his retirement will not perform the duties who has certainly a long experience of 30 years of service? From where they are drawing the presumption? To appoint a new person, you have also to train him about the establishment that how the establishment is being placed. That's why this is no way to make again an ambiguity.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, बत्तरा जी हमारी बात को क्यों टोक रहे हैं? वे अपनी बात करें।

श्री भारत भूषण बत्तरा : सर, मैंनें इनको आपको कहां टोका है मैंने तो इनको टोका ही नहीं। इन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं मैंने कहीं भी इनको नहीं टोका। मैंने कहा है कि 15 स्टेटों के अन्दर ऑलरेडी राईट-टू-सर्विस एक्ट का मोशन आ चुका है और उसके अन्दर सेम पावर, सेम प्रोविजन सब कुछ हैं then why are you objecting it? इधर से इसकी तारीफ कर रहे हैं उधर से उसको क्रेटीसाईज कर रहे हैं। इसलिए हम इसको स्पोर्ट करते हैं। What is said by the Hon'ble member is not tenable and I, therefore, support this legislation.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

(प्रो. सम्पत सिंह द्वारा)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है कि मैंने किसी रिटायरी ऑफिसर्ज का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। मैंने यह कहा था कि रिटायरी ऑफिसर्ज को ओपन छोड़ दें। आप उनको चाहे लगा दें लेकिन यह ओपन रहे। अगर आई.ए.एस. ऑफिसर्स योग्य हैं तो उनको लगाएं, कोई और योग्य है तो उसको लगाएं। सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि इस सिस्टम को बिल्कुल बंद ना करें। मैंने विरोध किसी का नहीं किया। जो बत्तरा जी कह रहे हैं ये बात बिल्कुल असत्य है। मैंने किसी का बिल्कुल भी कोई विरोध नहीं किया। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इसको ओपन छोड़ दें।

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, delivery of services to citizens is an extremely important and engaging subject for the whole country more so for the State of Haryana. स्पीकर सर, अरोड़ा साहब सदन के सभापति भी रहे हैं, मंत्री मंडल में भी रहे हैं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, हमें उनसे जरूर उम्मीद थी कि ये कुछ न कुछ अच्छा सुझाव देंगे। उनके दल के बाकी लोगों से तो चाहे उम्मीद न हो। Sir, Delivery of citizen's services cannot be a matter of personal direct right. I wish, Arora Sahib would have given suggestions

[Shri Randeep Singh Surjewala]

on what services are to be included. Of course, the Government has already identified. But I wish he had given suggestions on which are those core services that will help the common man in effective delivery of services by the Government. I wish he had given suggestions on ensuring as to how to make bureaucracy, more accountable, not to Government alone but to masters of the Government who are really the common man. I wish he had given suggestions on the mannerism, on the methodology, as also on the professes of such effective delivery of services to the common man. I sincerely wish, Sir, that Arora Sahib and his party and other friends of this House, Members of the BJP have already walked out, they have gone away. Three members of their party had stayed here to give suggestions in order to ensure that the entire Government more so the entire bureaucracy, the cutting edge, the bottom-line services that you mentioned many times in your certain questions that you asked the Ministers that how to effectively deliver those services. But I must regretfully say that the only centre of discussion on a Bill of such historical importance which the Congress Government led by Ch. Bhupinder Singh Hooda has decided to bring before this august House has been on selection of one officer or the other. I think the object of the Bill is much larger than individuals who will be engaged and that should be the motto, the prism, the direction and the manner in which you should be looking at the Bill. I sincerely hope that you will, at this stage, may commend the government, commend the Chief Minister for bringing such a historical piece of legislation. I also want to clarify, Sir, that even a serving officer is eligible to be appointed, as our Hon'ble Member, a senior former senior Minister and a very senior colleague, Prof. Sampat Singh had suggested.

With these words, I request the Government that the Bill be passed.

Smt. Sumita Singh (Karnal) : Sir, I have a doubt and I want to clear it.

Mr. Speaker : Alright.

Smt. Sumita Singh : Sir, according to this Bill, any violation of the time-limit in providing the services will be treated as a grievance. I just want to know what is the time-limit and who is going to fix the time-limit? क्या पहले से ही हर डिपार्टमैंट में हर काम का टाईम लिमिट है या फिर इसे अभी फिक्स किया जायेगा? All these things should also be cleared नहीं तो अथॉरिटी ऑफिसर्ज तो कुछ भी टाईम लिमिट कह देंगे?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I agree with my learned friend. The attempt through this Bill which has been the part of UPA's road map strategy and which has been very very dear to the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi ji, and Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji as also to our Hon'ble Chief Minister, has been to give a statutory right to the

common man to ensure delivery of services. My learned friend may please read sub-clause 2 of Section 5 that is about the time limit that she is referring to. I think it is that it will be notified for each of a few hundreds of services that will be brought.

Mr. Speaker : That has already been provided in Clause (3).

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, in Section 5(2) we will be notifying each service in the Rules. For example, how to take a ration card or a caste certificate. The Government will notify each service in the rules. That caste certificate has to be delivered say within a period of 14 days from the date of receipt of application and that will come in the Government rules and if it is not done, the officers would be held accountable and a fine upto Rs.5000 can be imposed upon him and a provision of first and second revision, finally an appeal to the Commission is *suo moto* power of taking notice of the Commission, all has been provided.

Mr. Speaker : Whether rules will be framed by the Commission?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, Rules will now be notified by the Government and I will tell you that why the time period for all those services have not been specified here. There is a reason for it. My learned friend may note it. There are number of services. If I have to take a Caste Certificate viz-a-viz a ration card viz-a-viz a driving licence viz-a-viz a heavy vehicle licence, period would have to be different for each of these services. That is why for each service we will notify the period of delivery of that service within the specified period. That is why Section 5(2) does not mention it. It will be notified against each service in the rules.

Smt. Sumita Singh : Thank you, Sir.

Mr Speaker : Question is—

That the Haryana Right to Service Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 23

Mr. Speaker : Question is -

That Clauses 2 to 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is -

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

Clause 1

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

4. दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमैनिटीज एंड इनफ्रॉस्ट्रक्चर डैफिशियंट म्युनिसिपल एरियॉज स्पैशल प्रोविजंज अमैंडमैंड बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will introduce the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2014 and move the motion for its consideration.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा (श्रीमती सावित्री जिंदल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2014 को प्रस्तुत करती हूँ ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ -

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr Speaker : Motion moved—

That the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रो० संपत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी अमैंडमैंट बिल लेकर आये हैं यह बहुत ही बढ़िया बिल है। हरियाणा सरकार ने 875 कालोनियों को नियमित कर दिया है, क्योंकि पहले इस पर 25.09.2013 तक का नियम लागू था, तब तक की जो कंडीशन पूरी कर रही थी, कालोनी 50 प्रतिशत भाग तक बसी हुई थी, या और जो भी कंडीशन थी, अब वो भी शामिल होंगी जो 01.01.2014 तक कंडीशन पूरी करेंगी। यह विकासोन्मुख बिल है। स्पीकर सर, आज के समय में शहरों में आबादी बढ़ती गई और कॉलोनियाँ बनती गई लेकिन उन कालोनियों में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी, लोग नरकीय जीवन जी रहे थे। उनके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ कि उन कालोनियों में सड़क का प्रोविजन हो जायेगा, सीवरेज का प्रबंध हो जायेगा, पानी का प्रबंध हो जायेगा और बिजली का भी प्रबंध हो जायेगा ताकि वे लोग भी कल को कह सकें कि हम भी शहर के अंदर रहते हैं। सरकार अच्छा खाना और सारी सुख-सुविधाएँ दे रही है। यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि फंड की कमी नहीं है लेकिन जो फंक्शनल लोग हैं, वर्किंग क्लास हैं, उनकी कमी है। खासकर टैक्निकल स्टाफ की कमी है। एरिया बढ़ गया है, कॉरपोरेशन्ज बन गई है, कमेटियाँ बन गई हैं। स्पीकर सर, सरकार ने 875 कॉलोनियों को नियमित किया है, उनको मिलकर देखा जाये तो कई शहर बन जाते हैं और अब 01.01.2014 जैसे ही लागू होगा तो स्वाभाविक है कि उन कॉलोनियों में और भी कालोनियाँ शामिल हो जायेंगी, तो इनका एरिया और भी बढ़ जाएगा। इनकी पहले से ही अच्छी खासी संख्या है इसमें और एरिया बढ़ने से सरकार को और अधिक सुविधाएँ प्रोवाईड करवानी पड़ेंगी। दूसरा इन्हीं कारपोरेशन्ज में हमारे बहुत पुराने शहर बसे हुए हैं। एक दो शहरों में मानते हैं कि नया सिस्टम आ गया है। धीरे-धीरे सभी शहरों में आयेगा। लेकिन आज तो जो चल रहा है उसी से हमें काम चलाना है। सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की आती है। खासकर बरसात के दिनों में बारिश का पानी निकलने का कोई सिस्टम नहीं है, सारा पानी सीवरेज के द्वारा जायेगा अगर सीवर लाइन की सफाई नहीं होगी तो वह पानी बैक मारेगा जिससे सारी सड़कें और गलियाँ पानी से भर जाती है। जिससे लोगों के घरों में पानी चला जाता है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए कोई ईधर से भागता है, कोई उधर से भागता है तथा कोई किसी को आवाज लगाता है। विभाग के पास उचित स्टॉफ न होने की वजह से सारा काम गड़बड़ा जाता है। सी.एल.पी. की मीटिंग में यह जिक्र आया था

[प्रो० सम्पत सिंह]

और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना था और उनसे यह आग्रह किया गया था कि जब तक नियमित स्टॉफ नहीं आता आपके रिटायरी टैक्नीकल स्टॉफ हैं या जो प्राईवेट अनुभवी कर्मचारी हैं, तब तक उनको आप कांट्रैक्ट बेस पर नियुक्त कर सकते हैं। आज के दिन सीवरेज की समस्या से दिक्कतें आ रही हैं। टैक्नीकल स्टॉफ ही सीवरेज प्रणाली व्यवस्था को ठीक ढंग से कर सकते हैं। इसी तरह से इलैक्ट्रिसिटी के कुछ ही जे.ई. कारपोरेशंज में होंगे। सिविल वालों को इलैक्ट्रिसिटी का काम दे दिया जाता है, लेकिन वे काम नहीं कर पाते। पूरे शहर में सुविधा देने के लिए इलैक्ट्रिसिटी का, पब्लिक हैल्थ का, सिविल का, पी.डब्लू.डी. का अलग-अलग स्टॉफ चाहिए। सर, नम्बर एक तो चाहे आप सारा स्टॉफ कांट्रैक्ट बेस पर रखें लेकिन इसका प्रॉपर इंतजाम किया जाना चाहिए। नम्बर दो, सर हमारे सीवर बंद हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि हम में और हमारे समाज में भी कमी है। जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो एक महीने तक अपना थूक अपने मुँह में रखते हैं। भारत में आते ही एयरपोर्ट पर थूकना शुरू कर देते हैं। सर, हमारे अन्दर सिविक सैंस की कमी है। धीरे-धीरे जागरूकता आ रही है। नये बच्चे आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है। हमारी सोच बदलती जा रही है। जैसे कि माननीय मंत्री को पता है कि उनके शहर के सैनी मोहल्ले के सीवरेज में रजाईयां मिली, जैसे कि वह रजाईयां रखने का कोई स्टोर हो। इस तरह लोग कई चीजें सीवरज में डाल देते हैं। सीवरज से चीजें निकालने के लिए हरियाणा प्रदेश में सुपर सकर मशीन केवल 7 हैं। सर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी म्यूनिस्पिल कारपोरेशंज में और बड़े शहरों में भी सुपर सकर मशीन होनी चाहिए। अन्य मशीनों की संख्या भी सरकार को दो या तीन गुणा करनी पड़ेगी। हरियाणा प्रदेश के अन्दर नई मशीनें खरीदे कई साल हो गए हैं। इन मशीनों की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे पास हर रोज सीवरेज बंद होने की ही शिकायतें आती है। मेरे हल्के के चार वार्ड शहर के अन्दर आते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट बनाकर मैंने सरकार को भेजा हुआ है तथा गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से 16 करोड़ रुपये आया हुआ है लेकिन उसमें से एक भी पैसा टैक्नीकल स्टॉफ की कमी की वजह से खर्च नहीं हुआ है।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जितनी भी सुपर सकर मशीन हैं उनसे हमारा काम अच्छा चल रहा है। जहां पर जरूरत होती है हम इन मशीनों को भेज देते हैं। ये मशीनें हर जगह कामयाब नहीं हो सकती। ये मशीने नाम की सुपर सकर मशीन है but it can only be used in certain areas where it is accessible नहीं तो बाकी टैक्नॉलोजी या दूसरी मशीनों से सफाई की जाती है। केवल सुपर सकर मशीन होने से ही सफाई होती है यह कहना सही नहीं है।

प्रो. संपत सिंह : स्पीकर सर, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं यह कह रहा हूँ कि जहां पर इन मशीनों की जरूरत है, उनकी संख्या बढ़ाई जाये। मैं यह नहीं कहता कि आप हर शहर, हर वार्ड में यह मशीन लगा दें। मैं मानता हूँ कि ये मशीनें महँगी भी आती हैं और हर जगह काम भी नहीं करती। लेकिन और मशीनें खरीदने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा दिक्कत सीवरेज व्यवस्था से है।

श्री अध्यक्ष : संपत सिंह जी, अब आप वाइंड अप करें।

प्रो. संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में जो शहर के मैंटीनैंस का ओ. एण्ड एम. विंग है उसको फाइनैंस डिपार्टमैंट में भी शक की नजर से देखा जाता है कि और ये सोचते हैं कि उसे यदि बजट दिया तो वह बेकार जाएगा। मेरा यह मानना है कि ओ.एण्ड एम. को दिया हुआ बजट बेकार नहीं जाएगा और सरकार के जो असेट्स हैं उनको वह इम्प्रूव करेगा। मेरी मांग है कि ओ. एण्ड एम. को ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए और पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को भी ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, सरकार एक बहुत ही अच्छा बिल सदन में लेकर आई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। इस बिल के बारे में मेरा सुझाव भी है कि इस बिल में कुछ ऐडीशन भी की जाए। इस बिल में कहा गया है कि जिन कालोनीज में 50 परसैंट से ऊपर की कंस्ट्रक्शन होगी उनको इसमें लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, काफी जो कालोनीज और बस्तियां 50-60 साल से भी ज्यादा पुरानी बसी हुई हैं और उनमें 100 परसैंट नहीं बल्कि 200 परसैंट कंस्ट्रक्शन हुई है। ऐसी बस्तियां और कालोनीज हैं जो कि शामलात जगह पर बहुत ही पुरानी बसी हुई हैं और उनमें बहुत ही गरीब और दलित समाज के लोग रहते हैं। करनाल में डेहा बस्ती और बाल्मीकि बस्ती भी ऐसी बसी हुई हैं, ये सुविधायें उन बस्तियों में भी दी जाएं। मेरा सुझाव है कि उन बस्तियों को इसके अंदर जरूर ऐड करना चाहिए। जिनको सरकार वहां से हटा नहीं सकती है और जो वहां पर गरीब और दलित समाज के लोग वहां रहते हैं उनके मकानों को हम वहां से डैमोलिश भी नहीं कर सकते हैं उनको भी इसमें ऐड कर उनको बेसिक अमैनिटीज और फैसिलिटीज वहां पर जरूर दी जानी चाहिए। मेरे विचार से इस तरह की बस्तियां और कालोनियां पूरे हरियाणा के हर शहर में होंगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, everybody will be given a chance.

श्री प्रदीप चौधरी (कालका) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से यह विधान सभा बनी है तब से लेकर अब तक मैं इस सदन में कालका शहर के सीवरेज का मामला उठाता रहा हूं। गांधी चौक से रेलवे रोड तक अस्पताल के बीच में बहुत से गंदगी के ढेर लगे हैं। रेलवे रोड पर जो शौचालय बने हैं वह 25-30 साल पुराने बने हुए हैं। अब उनकी हालत दयनीय है और उनमें दरवाजे भी नहीं हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister has noted your suggestion. (interruption)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, I would clarify on the floor of the House. माननीय सदस्य यदि मेरे पास इस समस्या के बारे में एक बार भी आए हों तो बताएं। ये बताएंगे तभी तो काम होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, ये लगभग अवैध कालोनियां हैं जिनको वैध कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये कालोनियां बसती हैं तब अधिकारी

[श्रीमती सावित्री जिंदल]

इस बारे में कोई ध्यान क्यों नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि इन कालोनियों को बसाने के पीछे कोई न कोई लोग होते हैं और बाद में वे तो बेचकर चले जाते हैं और दूसरे लोग छोटे मोटे मकान बना लेते हैं और वे फंस जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की अन्प्लैंड ग्रोथ न हो। पीछे जो इस तरह की ग्रोथ हुई हैं उनको अब सरकार रैगुलर करने लग रही है।

Mr. Speaker : This is a good suggestion. We should make some provisions. This is a very good suggestion. Why should we allow the mushroomy growth in these slums?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मुश्तरका खेतों में कालोनियां कटती हैं और मुश्तरका कालोनाइजर्स जो कालोनियां काटते हैं उनमें वे उनकी गलियां भी बेच जाते हैं। इसमें जो बिल्ट एरिया 50 परसैंट देखा जाता है उसके साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या वहां पर इस प्रकार की गलियां हैं जहां फायर बिग्रेड जा सकती हो और वहां से कोई बड़ी मशीन भी निकल सकती है कि नहीं?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, this must be incorporated. It is a very good suggestion that has come.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक बजट एलोकेशन की बात है या डिवलपमैंट की बात है, इसके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया है या सरकार बजट एलोकेट करने जा रही है। स्पीकर सर, पहले भी इस प्रकार की कालोनियां काटी गई हैं और उनमें सीवरेज डाला गया है। मैं कैथल शहर की बात बताता हूं। वहां पर एक ठेकेदार ने सीवरेज के नाले को साफ करने के लिए दो मजदूरों को एम्पोज किया। वे मजदूर स्कील्ड मजदूर नहीं थे और वे सीवरेज नाले में डूबकर मर गये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस काम के लिए स्कील्ड लेबर भी विभाग के पास होनी चाहिए। इस तरह की कालोनियों में जब सीवर लाईन डाली जाती है तो उसके लैवल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि कई सीवर लाईनों का लैवल ठीक न होने के कारण वे ज्यादातर बन्द ही पड़ी रहती हैं। इसलिए इस प्रकार की कालोनिज को बनाने से पहले सारी फैसीलिटीज देकर ही कालोनी बनाने की इजाजत दी जाए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीवर लाईन तो लैवल देखकर ही डाली जाती हैं बगैर लैवल के तो सीवर लाईन डाली ही नहीं जा सकती। अगर इस प्रकार की कोई लाईन माननीय सदस्य के नोटिस में है तो वे इस बारे में मुझे लिखकर दें उस पर तुरन्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैंने मंत्री महोदय को कल ही एक काम के लिए लिखकर भेजा था और वह काम कल ही हो गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इससे पहले कभी लिखकर भेजा हो तो बतायें। ऐसे माननीय सदस्य मुझ से गलत बात नहीं कर सकते।

श्री रामपाल माजरा : सर, इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, जैसा अभी माजरा जी ने बताया कि जब कालोनियां काटी जाती हैं तो उसके बाद क्या दिक्कते आती हैं। मैं इसके बारे में सदन को एक सुझाव देना चाहूंगा। जब कोई कालोनी पास की जाती है तो उस कालोनी के लिए सड़क और पार्क की जगह भी छोड़ी जाती है। जब कोई कालोनी काटी जाती है तो वह उस कोलानाइजर के नाम ही काटी जाती है। बाद में क्या होता है कि जब कालोनी सरकार द्वारा एप्रूव हो जाती है तो जो पार्क की जगह कोलोनाइजर के नाम होती है वह उस पार्क की जगह को बेच देता है। कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। कालोनी के लिए 60 फीट का रोड छोड़ा गया था और बाद में उस कोलोनाइजर ने वहां पर दुकानें काट दी और अब सिर्फ 40 फीट का ही रोड बच गया है। जब भी कोई कालोनी काटी जाती है तो उस कालोनी की सड़कें और पार्क जब छोड़े जाते हैं तो वह जगह नगरपालिका के नाम होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज बड़े कंस्ट्रक्टिव सुजैशंज आये हैं, बड़े अच्छे सुजैशंज आये हैं। This is how, the Assembly should function with healthy proposals and suggestions.

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : स्पीकर सर, यह सरकार का बहुत अच्छा कदम है और सभी माननीय सदस्यों ने इस कदम को सराहा है और बड़े अच्छे सुझाव भी दिए हैं। अब सरकार ने 1.1.2014 से अनएथोराइज्ड कालोनीज को एथोराइज्ड करने के लिए प्रोविजन किया है। इसमें क्या वाईलेशन होती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या शहरों के अन्दर होती है। म्युनिस्पिल बिल्डिंग बाई लॉज वर्ष 1982 में बनाये गये थे और उसके बाद उन बाईलॉज को रिव्यू नहीं किया गया है। वहीं 150 प्रतिशत इन्होंने एफ.ए.आर. (Floor Area Ratio) रखा हुआ है। एक गरीब आदमी जो 100 गज का प्लॉट लेता है और उस पर वह मकान बनाता है। उसके बाद उसका बेटा होता है या और परिवार बढ़ता है तो वह उस मकान पर कोई कंसट्रक्शन नहीं कर सकता। इस प्रकार से सारे के सारे मकान अनएथोराइज्ड बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो कॉमर्शियल स्पेसिस होते हैं उनका बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाता है और कॉमर्शिएल स्पेस पर भी कॉमर्शिएल बिल्डिंग बन जाती हैं। म्युनिस्पिल एक्ट के हिसाब से दो या अढ़ाई मंजिल से ज्यादा बिल्डिंग वह बना नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा बिल्डिंग पास नहीं होती है। आजकल जमीन की बहुत ज्यादा कीमत हो गई है इसलिए किसी भी हालत में यह फिजिब्ल नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि राजधानी दिल्ली में और हरियाणा में भी आजकल जो मकान बन रहे हैं वे म्युनिस्पिल रूल की वायलेशन के हिसाब से ही बन रहे हैं। इस लिए सरकार द्वारा इस एफ.ए.आर. (Floor Area Ratio) का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने यह प्वायंट पिछले सैशन में भी उठाया था कि जिस प्रकार से इन कालोनिज को वन टाईम में रेगूलराईज किया है। इसी प्रकार one time within permissible limit एफ.ए.आर. बढ़ाकर जो बिल्डिंगज नार्म्स के मुताबिक नहीं बनी हैं उनको रेगूलर किया जाए। इससे लोगों को सहूलियत होगी और सुविधाएं भी मिलेंगी। इस बात से जहां लोगों के मकान के नक्शे पास होंगे वहीं सरकार को रेवन्यू भी आयेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में उन्होंने बतौर सदस्य भी यही प्वांयट इस सदन में रखे थे और अपनी स्पीच के साथ उन्होंने एफ.ए.आर. बढ़ाने

[श्री भारत भूषण बतरा]

के लिए डिमांड रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अनअथोराइज्ड बिल्डिंग्ज को आप रैगुलेराइज करने के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन जरूर दें। वन टाइम रिलैक्सेशन आप अनअथोराइज्ड कालोनीज को दे रहे हैं परंतु अनअथोराइज्ड कालोनीज में भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अनअथोराइज्ड कालोनीज में सारे मकान नक्शे के मुताबिक नहीं बने हुए हैं। सरकार उनसे पैसे लेकर उनको रैगुलेराइज कर देगी। शहरों में जो अनअथोराइज्ड बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं और वे पैसे देने के लिए भी तैयार हैं उसके बावजूद भी आप उनको रैगुलर करने के लिए तैयार नहीं है। मैं मंत्री जी से सविनय प्रार्थना करूंगा कि सभी कारपोरेशंज इसमें अटके हुए हैं और सभी म्युनिसिपल्ज कमेटियां इसमें अटकी हुई हैं इसलिए कोई पॉलिसी बनाकर या कमेटी बनाकर इसकी स्टडी करें और एफ.ए.आर. बढ़ाया जाए, जैसे डी.डी.ए. एफ.ए.आर. बढ़ाता है, हुडा एफ.ए.आर. बढ़ाता है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि दिल्ली में लोगों की डिमांड आने पर एक-एक मंजिल और बिल्डिंग के लिए पास कर दी जाती है, 4-4 मंजिला बिल्डिंग पास कर दी जाती है और कमर्शियल बिल्डिंग 4-4 मंजिल तक पास कर दी जाती है। यह जनहित का मुद्दा है और इससे लोगों को फायदा होगा कि आप वन टाइम पॉलिसी बनाकर वन टाइम रिलैक्सेशन देकर लोगों की समस्या का समाधान करें। इससे सरकार को रिवैन्यू भी आएगा। दूसरा जो अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंज खड़ी हुई हैं उसको रैगुलर करने के लिए भी स्टैप उठाएं जाएं। जैसे माजरा जी ने ठीक कहा कि आपने कालोनीज रैगुलेराइज तो कर दी लेकिन इस माफिया को रोकना भी तो जरूरी है इसलिए इस बारे में भी कारगर कदम उठाने चाहिएं। गरीब आदमी का 100 गज का था 75 गज का मकान होता है और 12 फुट की गली टोटल रखते हैं। सरकार के ऊपर बोझ होता है कि सरकार उसको बिजली दे, सरकार उसको पानी दे और सरकार उसको सीवरेज की सुविधा दे। हम लोगों की मजबूरी होती है कि हमें लोगों को व्यवस्था देनी होती है और सुविधा देनी होती है इसलिए हम आगे न बढ़े और वन टाइम पोलिसी जरूर बनाएं। हमारा 40 या 50 परसैंट एरिया शहरी एरिया है इससे सभी शहर वालों को फायदा होगा।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका) : अध्यक्ष महोदय, फिरोजपुर झिरका हल्के के दो गांव गियासिणया खास और ठेकड़ी ऐसे गांव हैं जो फिरोजपुर झिरका नगरपालिका के पास बसते हैं लेकिन ये दोनों गांव न पंचायत में लगते हैं और न ही ये दोनों गांव नगर पालिका में लगते हैं। मेरा सुझाव है कि इन दोनों गांवों को नगर पालिका में शामिल किया जाए क्योंकि इन दोनों गांवों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है । इन दोनों गांवों को विकास में भागीदारी दी जाए।

श्री नरेन्द्र सांगवान (घरौंडा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के तीन गांवों फूसगढ़, कम्बोपुरा और दाहाजागीर में पहले पंचायतें थी लेकिन अब वे नगर निगम में हैं। कम्बोपुरा और दयाजागीर में पहले बिजली की लाइनें शहर से जुड़ी हुई थी लेकिन नगर निगम बनने के बाद वे उससे वंचित रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, आप बिल पर नहीं बोल रहे हैं । This is not on Bill. You are making a demand. I will not allow you to speak beyond this Bill because so many Bills have to be passed. Give your suggestions on this only.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है कि जो कालोनियां काटी गई हैं उसमें गलियां और पार्क नगर पालिका के नाम होने चाहिएं नहीं तो कालोनाइजर्स उन जमीनों को बेच जाते हैं। यह बहुत जरूरी चीज है।

श्री अध्यक्ष : इसमें गलियों की विडथ को भी डिसाइड करना चाहिए। So many things are to be looked into while regularization of the colonies.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कालोनियों को रैगुलर करते हुए यह चीज तो डालते हैं परंतु यह चीज भी डाल देनी चाहिए कि जो कालोनियां एप्रूव करने जा रहे हैं उसमें जो गलियां और पार्क होंगें वे नगर पालिका या निगर निगम के नाम होने चाहिएं।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, करनाल में अभी भी जो पार्क था वहां फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। This is very important. इसलिए यह बात ठीक है कि पार्क नगरपालिका या नगर निगम के नाम होने चाहिएं।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने और बाकी के सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं सरकार उनके सुझावों से सहमत है लेकिन इसके लिए प्रोपर अमैंडमैंट लेकर आनी पड़ेगी। मंत्री जी के लिए इस समय इमीजिएट अमैंडमैंट लाना सम्भव नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय आप देख भी सकते हैं कि जो Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) बिल है उसकी एक छोटी सी अमैंडमैंट हम लेकर आए हैं इसलिए बाकी के प्रोवीजन बाद में लेकर आने पड़ेंगें। मैं इस सदन को सरकार की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार यह अमैंडमैंट अवश्य करेगी।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें सुझाव है कि इसमें जो अर्धन एरियाज के अंदर वायलेशंज हैं उनको भी रैगुलर करने के बारे में इसमें क्लॉज डाल दी जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, यह एक लार्जर ईशू है।

श्री भारत भूषण बत्तरा : सर, लार्जर ईशू तो है लेकिन इस बारे में हाउस में पहले डिस्कशन हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वास्त किया था कि इसका समाधान करके एफ.ए.आर. बढ़ायेंगे और मंत्री महोदया जी ने भी इस बारे में अपना वक्तव्य दिया था। मंत्री महोदय चाहें तो हाउस की प्रोसीडिंग्ज निकलवाकर देख सकते हैं। (विघ्न)

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें उन कालोनीज और बस्तियों को भी जोड़ा जाये जिनमें 200 प्रतिशत कंस्ट्रक्शन हो रखी है। They should be included for these amenities.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I would like to inform the House that in the meanwhile, I have checked the original Bill that has been passed. Since this is only an amendment to that Bill, that has a conditionality that wherever these services are provided then all common spaces including parks will vest in Municipal Councils, Committees or Corporations. It already is there Sir.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will move that the Bill be passed.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमति सावित्री जिन्दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करती हूँ-

कि विधेयक को पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

5. दि-पंजाब न्यू कैपिटल (पैराफैरी) कंट्रोल हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

6. दि हरियाणा डिवैलपमैंट एंड रेगुलाईजेशन ऑफ अर्बन एरिया अमैंडमैंट बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2014 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जो बिल लेकर आये हैं, ये सो बिल्डर्स होते हैं जो कालोनियां काटते हैं या फ्लैट्स बनाते हैं उनको जो दिक्कतें आती हैं इसलिए उसकी अवधि को चार साल से एक साल बढ़ाकर पांच साल करने जा रहे हैं। सर, पता नहीं यह सरकार केवल बिल्डर का ही ख्याल क्यों रखती है। मेरा पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर और सरकार से अनुरोध है कि अपने हरियाणा प्रदेश में हर शहर के अंदर हज़ारों बच्चे बेरोजगार होने की वजह से आज प्रापर्टी डीलरी का काम करते हैं। जिस प्रकार से यहां पर कालोनियों को मान्यता दी गई है, उससे छोटी-छोटी कालोनियां एक एकड़ में, दो एकड़ में, चार एकड़ में और पांच एकड़ में काटते हैं, बड़े बिल्डर्ज़ की वजह से उनको बहुत सी दिक्कतें आती हैं जैसे कभी तो उनकी रजिस्ट्रियां बैन हो जाती हैं, कभी जो उनके ऊपर एक-दो मकान बने होते हैं उनको टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग वाले जाकर तोड़ आते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बिल्डर्ज का ध्यान रखने के बजाय जो नौजवान छोटी-छोटी कालोनियां काटकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनका ध्यान रखे। इसके लिए सरकार को कोई ऐसी नीति लेकर आनी चाहिए जिससे उनका फायदा हो उनके ऊपर शर्तें लगायें, उनकी लाईसैंस फीस कम करे जिससे उनको रोजगार मिले। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक नगर परिषद् के अंदर पांच एकड़ में भी उनको कालोनी काटने की छूट हो जो एक नगर परिषद् के अंदर 55 एकड़ की सीमा है। इसके तहत तो सिवाय बड़े बिल्डर के कोई और कालोनी नहीं कटेगी। हमारे शहरों के अंदर जो बच्चे बेरोजगार हैं और जो पांच-सात मिलकर कालोनी काटना चाहते हैं सरकार उनको लाईसैंस देने का काम करे। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपने प्रदेश के बेरोजगार बच्चों का ध्यान रखे न कि बड़े-बड़े बिल्डर्ज के हित में काम करे।

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि जो बड़े कालोनाईजर्स सैंकड़ों एकड़ में कालोनियां काटते हैं उसमें कुछ रास्ते होते हैं जिनकी मालिक या तो उनकी म्युनिसिपल कमेटी होती है या फिर ग्राम पंचायत होती है। ये रास्ते आम तौर पर 33 फुट के होते हैं। कालोनियों का पैसा तो कालोनी को डिवैल्प करके कालोनाईजर लेकर चला जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इससे म्युनिसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत को क्या मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत के जिस रास्ते को कालोनाईजर ने अपनी कालोनी के लिए

[श्री राम पाल माजरा]

यूज़ किया म्युनिसिपल कमेटी की ज़मीन का मार्किट रेट सम्बंधित म्युनिसिपल कमेटी को मिले और इसी प्रकार से ग्राम पंचायत की ज़मीन का मार्किट रेट सम्बंधित ग्राम पंचायत को मिले। इस बिल में यह प्रावधान भी जोड़ लिया जाये।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, जो यह अमैंडमैंट है यह केवल मात्र चार साल की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष करने की है। इसके साथ ही मैं माननीय अरोड़ा जी का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि पांचवें वर्ष में उनकी लाईसैंस फीस भी 25 परसैंट बढ़ेगी। इसमें उनको किसी भी प्रकार का कोई कंसैशन नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा यह इसलिए किया जा रहा है ताकि प्लांड डिवैल्पमैंट हो। इसके अलावा जहां तक मेरे दोनों आदरणीय साथियों के सुझाव हैं जो इन्होंने नीतिगत अमैंडमैंट की चर्चा की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लो कॉस्ट हाऊसिंग की एक पॉलिसी टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट आलरेडी लेकर आया है ताकि प्रदेश का जो साधारण व्यक्ति है उसको सारे अर्बन सैक्टर्ज में मकान के लिए जायज़ रेट्स की एक निर्धारित सीमा से ऊपर भुगतान न करना पड़े। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके अलावा भी अगर मेरे किसी साथी का कोई सुझाव है वे उसे लिखकर मुझे भेज दें, we will certainly consider.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

7. इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर (अमैंडमैंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Education Minister will introduce Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Gita Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Gita Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी में जो यह यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

8. दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Gita Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल प्रस्तुत किया गया है इसमें प्रावधान किया गया है कि इसका कैम्पस खोलने के लिए नगर निगम में 3 एकड़ जमीन 30 वर्ष के लिए पट्टे पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से नगर पालिका में कैम्पस खोलने के लिए 4 एकड़ जमीन 30 साल के लिए पट्टे पर होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 एकड़ जमीन 30 वर्ष के लिए पट्टे पर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। सर, इससे पहले जितने भी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल सदन में आये हम उस समय भी यह माँग करते रहे हैं कि इनमें सरकार का हस्तक्षेप रहना चाहिए जिससे फीस रेगुलेशन बनी रहे। ये प्राईवेट यूनिवर्सिटीज मुंह मांगी फीस वसूलती हैं। चाहे कोई मैडिकल करे या लॉ करे सबके ऊपर भारी फीस का बोझ डाल दिया जाता है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी से अगर कोई लॉ करता है तो 3 साल की 30 लाख रुपये फीस है और अगर आपको 5 साल की लॉ करनी है तो 50 लाख रुपये फीस हो गई। इसलिए फीस रेगुलेशन में हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात इस बिल में कही है कि आप कैम्पस विदेश में भी खोल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे शिक्षा में कोई गुणवत्ता आने वाली नहीं है। इसमें जिनके लिए यह अधिनियम लेकर आये हैं और जिन यूनिवर्सिटीज के नाम हैं जैसे सोनीपत में अशोका विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में अलफला विश्वविद्यालय तथा गुड़गांव में बी.एम.एल.

[श्री राम पाल माजरा]

मुंजाल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जो प्रस्ताव प्रतिपादित किया गया है, इन प्राईवेट यूनिवर्सिटीज की एक बहुत लम्बी लिस्ट है। यह बात तो ठीक है कि प्राईवेट यूनिवर्सिटीज होनी चाहिएं ताकि शिक्षा का विस्तार हो, लेकिन गुणवत्ता उसमें भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक हो गया है कि परीक्षा देने के बाद जिसकी इन यूनिवर्सिटी में सिफारिश हो या पैसा हो तो वह जितने चाहे नम्बर लगवा सकता है। जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है या महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक है उनमें इतने नम्बर नहीं आते। इनकी तो डिटेल मार्कशीट भी मिल जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इन प्राईवेट यूनिवर्सिटीज पर सरकार का चैक एण्ड कंट्रोल तो होना ही चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रह सके और फीस को भी रेगुलेट किया जा सके।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि सरकार इन प्राईवेट यूनिवर्सिटीज की फीस स्वयं निर्धारित करे ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी उसमें दाखिला ले सकें। जो गरीब का बच्चा है वह उसमें ऐडमीशन नहीं ले सकता है क्योंकि उन्होंने 50 लाख रुपये, 60 लाख रुपये के लगभग फीस रखी हुई है। सरकार को इनमें फीस तय करनी चाहिए कि कोई भी प्राईवेट कॉलेज इससे ऊपर फीस नहीं लेगा अगर इसमें किसी की कोई कम्पलेंट मिली तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्पीकर सर, जब तक गरीब का बच्चा पढ़ाई में ऐडमीशन नहीं ले सकता तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो संशोधन हो रहा है इसमें सरकार फीस जरूर तय करे ताकि गरीब का बच्चा उसमें पढ़ सके नहीं तो बाहर के पैसे वाले लोग उनमें एडमीशन लेंगे। स्पीकर सर, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें यह संशोधन जरूर करना चाहिए। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस बात को जरूर कलैरीफाई करें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के पैटर्न और उनके अवार्ड सिस्टम के ऊपर जो बात कही है वह बिल्कुल ठीक कही है कि जैसे जब बच्चों के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या जो यूनिवर्सिटी ऐफिलियेटिड हैं उनमें बच्चों के नम्बर कम आते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बच्चों के नम्बर ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि वहां तो सब कुछ पैसे के बल पर होता है। इससे हमारे बच्चे ऐडमीशन लेने से वंचित रह जाते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों का ऐडमीशन हो जाता है तो इसके बारे में it is a serious thing which has been raised. मंत्री जी इसका कोई न कोई निदान जरूर करें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंज भी आई हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अभी हम कुछ प्राईवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। उसमें सरकार ने हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने की पूरी कोशिश की है। उसमें सैंट्रल यूनिवर्सिटी है, 14 प्राईवेट यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट में 12 यूनिवर्सिटीज हैं, 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 95 कॉलेजिज हैं और रीजनल सैंटर से कन्वरटिड इन्टू यूनिवर्सिटीज हैं। सरकार की हायर एजुकेशन में पूरी तरह से यह कोशिश रही है कि हरियाणा एजुकेशन का हब बने जिसकी वजह से आज हरियाणा एजुकेशन में

नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में हैं। नेशनल ऐवरेज तकरीबन 19 प्वाईंट है जबकि हमारा ग्रोस एन्रोलमेंट रेशो 27 प्रतिशत के करीब है। हमारा सन् 2020 तक तकरीबन 30 प्रतिशत का टारगेट है। सर, हम सन् 2006 में सरकार के फंड्स के साथ-साथ, सरकार की यूनिवर्सिटीज के साथ-साथ प्राईवेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट लेकर आए हैं जिसके बाद हमने तकरीबन 14 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं और उसके बाद आज हम 3 और यूनिवर्सिटीज अशोका यूनिवर्सिटी, एलफला यूनिवर्सिटी और बी.एम.एल. मुन्जाल यूनियर्सिटी इस अनुसूची में 15, 16 और 17 नम्बर पर एड कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि एजूकेशन के क्षेत्र में सरकार और प्राईवेट दोनों मिलकर ही एज ए पार्टनर अगर वह बेहतरीन शिक्षा देते हैं तो उससे और ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरी बात कही गई ऑफ कैम्पस की और ऑफ श्योर कैम्पस की। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से हमारी ये प्राईवेट यूनिवर्सिटीज आई हैं, उस समय से हमारा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था Prof. Yashpal Vs. State of Chattisgarh जिसमें ऑफ कैम्पस या ऑफश्योर कैम्पस तथा स्टडी सेंटर हम नहीं खोल रहे थे लेकिन हम इसमें यूनिवर्सिटी का केवल एक कैम्पस स्टेट में अलाऊ कर रहे हैं और ऑफ श्योर कैम्पस यू.जी.सी. की और उस कण्ट्री की जहां पर वह खुलना है उसकी परमीशन लेने के बाद खोलने की बात कही गई है। एक हमारे साथी ने यह कहा कि जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है, जो उन्होंने बिल्कुल टीक कहा है लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जोकि क्वालिटी एजूकेशन दे रही है और साथ में फीस भी ज्यादा लेती हैं। हमने प्राईवेट यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की है और प्रावधान भी किया है। एक हमारे साथी ने यह कहा कि हरियाणा के गरीब बच्चों के ऐडमीशन नहीं होते। जहां तक गरीब बच्चों के ऐडमीशन की बात है उसके लिए मैं यह इन्श्योर करूंगी कि हायर एजुकेशन सिस्टम में हमने पूरी तरह से कोशिश भी की है कि चाहे स्कूल एजूकेशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज एजूकेशन हो, पैसे की कमी की वजह से कोई बच्चा घर नहीं रहेगा। हम गरीब बच्चों को स्टाईफण्ड, स्कॉलरशिप सब कुछ दे रहे हैं। लड़कियों को फ्री एजूकेशन दे रहे हैं उनसे कोई ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं और बसिज में भी उनको फ्री सफर अलाऊ कर रहे हैं अर्थात् उनका कोई किराया नहीं लिया जाएगा। फौजी साहब ने जो बात कही उनके जवाब में मैं बताना चाहूंगी कि इस समय जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं इनमें भी गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि इन प्राईवेट यूनिवर्सिटीज में हमारे हरियाणा डॉमीसाईल बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट रिजर्व हैं। इसमें 25 प्रतिशत में हमारे 1/5 बच्चों को 100 प्रतिशत फीस रिफंड की सुविधा है और 2/5 बच्चों को 50 प्रतिशत की और 2/5 बच्चों को 25 प्रतिशत फीस में हम कन्सैशन देते हैं। सर, जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट है उसके प्रावधान में ऑलरेडी लिखा भी है और मैं भी कहना चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट इन्सटीच्यूशन के साथ-साथ हम हरियाणा को एजूकेशन का हब बनाना चाहते हैं जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। जैसे हम राजीव गांधी एजूकेशन सिटी लेकर आए, उससे हम हरियाणा को वर्ल्ड लैवल पर लाना चाहते हैं। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि जो अमैंडमैंट बिल लेकर आये हैं सभी इसको ध्वनिमत से पास करवाने में अपना सहयोग दें। इसके साथ मैं माननीय सदस्यों को यह भी आश्वासन देना चाहती हूँ कि जैसाकि उनके सुझावों का अभी तक सहयोग लिया जाता रहा है, भविष्य में भी हम उनका सहयोग अवश्य लेते रहेंगे।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 9

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

9. दि हरियाणा म्यूनिसिपल स्ट्रीट वैंडर्स (प्रोटैक्शन ऑफ लिवलीहुड एण्ड रैगूलेशन ऑफ वैंडिंग) बिल, 2014

Mr. Deputy Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will introduce the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : आदरणीय महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) विधेयक, 2014 को प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ -

कि हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill be taken into consideration at once.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : डिप्टी स्पीकर सर, अभी जो हमारी शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत किया है उसके अन्दर गली में सामान बेचने वालों के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात की गई है। गरीब लोगों को पुलिस वालों से या फिर अन्य अधिकारियों से किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश न आये, यह इस बिल द्वारा प्रयास किया गया है। शहरों में जो लोग अपनी रेहड़ियों पर सामान बेचते हैं, यदि किसी की दुकान के आगे भी अपनी रेहड़ी खड़ा कर देते हैं तो भी उसके लिए उन्हें दुकानदार को पैसे देने पड़ते हैं। यहीं नहीं इन रेहड़ी वालों से दुकानदार डेली बेसिज पर भी पैसे ले लेते हैं। इसी तरह इनसे नगरपालिका तथा ट्रैफिक पुलिस वाले भी पैसे ऐंठ लेते हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा अनुरोध है कि जहां भी नगरपालिका की जगह होती है वहां पर रेहड़ी मार्किट का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए ताकि ये रेहड़ी वाले वहां पर अपना सामान बेचकर अपनी आजीविका कमा सकें। दूसरा अब बिल के माध्यम से जो इन गरीब लोगों की रजिस्ट्रेशन करने की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि इससे इनको पहले से भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि यदि किसी के पास रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं होगा तो उसको पकड़ लिया जायेगा। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस बिल पर पुनर्विचार कर लिया जाये।

श्रीमती सावित्री जिंदल : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आदरणीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि जहां-जहां नगरपालिकायें कार्यरत हैं वहां पर रेहड़ी मार्किट का प्रबन्ध किया जायेगा। सरकार की हर संभव कोशिश है कि गरीब रेहड़ी वालों को कोई भी दिक्कत न आये।

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 37

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 37 stand part of the Bill.

The motion was carried.

1 and 2 Schedule

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That 1 and 2 Schedule be the 1 and 2 Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will move that the Bill be passed.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ -

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

10. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन अमैंडमैंट बिल, 2014

Mr. Deputy Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ -

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री भारत भूषण बत्रा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने इस अमैंडमेंट के माध्यम से यह बताया है कि शेड्यूल्ड रोड ऐक्ट को शहरों के अंदर भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। शहरों में ऑलरेडी जो बिल्डिंग्ज बनी हुई है, वे पहले ही काफी ज्यादा एरिया में बनी हुई है। हमारी जो म्यूनिसिपल लिमिट है उसके अन्दर से भी हमारे हाईवे जा रहे हैं, सड़कें भी जा रही हैं। उस लिमिट को अलग करें और जो कारपोरेशन की जो ऐक्सटेंडिड

[श्री भारत भूषण बत्रा]

लिमिट है, उसको अलग करें। क्योंकि इसमें नक्शे के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी इस बारे में भी बताने का कष्ट करें। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब शैडयूल्ड ऐक्ट के बारे में क्लीयर कर देंगे क्योंकि पहले शैड्यूल्ड रोड ऐक्ट में ऐसा होता था कि any area falling within the municipal area or within the abadi of the village will not fall under the Punjab Scheduled Road Act, 1953. अब हम म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनने के बाद उस ऐक्ट के हिसाब से जो एरिया बाहर होता था उस एरिया को अंदर ला रहे हैं तो उस एरिया को अंदर लाने के बाद क्या होगा। जो सिटी के वार्ड का पुराना एरिया है वहाँ से भी सड़कें जा रही हैं तथा हर शहर के अंदर से भी सड़कें जा रही हैं। इसलिए इन एरियाज में जो बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं क्या उनके ऊपर भी वही नार्म्स एप्लीकेबल होंगे? उस एरिया में जिन लोगों की जो बिल्डिंग्ज पहले से बनी हुई हैं वे तो ठीक हैं, परन्तु इस नये ऐक्ट के नॉर्म्स के हिसाब से नई बिल्डिंग्ज तो नहीं बना पायेंगे। उदाहरण के तौर पर मेरे पास 500 गज की बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग 20 साल पहले बनाई थी लेकिन अगर मैं आज बनाता हूँ तो आप शैड्यूल्ड रोड ऐक्ट एप्लीकेबल कर दोगे। उस पुरानी बिल्डिंग्ज को तो आप ऐक्ट के हिसाब से डीम टू हैव बीन वैलिड कर दोगे लेकिन जिन लोगों की पुरानी बिल्डिंग बनी हुई हैं उनकी जगह अगर दोबारा से नई बिल्डिंग बनायेंगे तो थोड़ी दिक्कत आयेगी। इस बारे में मंत्री जी स्पष्ट करें।

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I have asked the department and I am making a statement that the scheduled road restrictions will not be applicable within the municipal area. Only on the controlled area will be applicable.

श्री भारत भूषण बत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ पर सड़कें भी बन रही हैं, क्या वहाँ पर बिल्डिंग्ज बनेंगी या नहीं बनेंगी?

Shri Randeep Singh Surjewala : I will clarify the issue. I respect what Batra Sahib is saying. Yes, it can be a contentious issue and it is a debatable issue. I as the Minister will assure that we will examine the issue and see whatever needful is to be done to ensure that people are not inconvenienced, we will try to do that. If there is any statutory amendment required, we will also examine that.

श्रीमती सावित्री जिंदल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बत्रा जी के सवाल के जवाब में मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पर अनअथॉराईज्ड कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हम एक कमेटी बनायेंगे और कमेटी बनाकर एफ.ए.आर. बढ़ाने के लिए हम जल्दी ही कोशिश करेंगे।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 8

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will move that the Bill be passed.

शहरी, स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

11. पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्या-व्यवसायी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members now, the Health Minister will introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

कर्नल रघुबीर सिंह (बाढ़ड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे एम.बी.बी.एस. करते हैं लेकिन एक ही डिग्री और एक ही अवधि होने के बावजूद इनके वेतनों में काफी अन्तर है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि इनकी बेसिक पे और ए.सी.पी., एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों के बराबर कर देनी चाहिए।

डॉ. बिशन लाल सैनी (रादौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो बिल में अमैंडमैंट लेकर आये हैं, वह बहुत बढ़िया है। हम उसका स्वागत करते हैं। इससे बी.ए.एम.एस. और जी.ए.एम.एस. डॉक्टर हैं उनको बहुत लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो बी.ए.एम.एस. और जी.ए.एम.एस. कोर्सिज़ हैं यह इंटीग्रेटिड कोर्स है। इसमें आयुर्वेदिक मेडीसिन के साथ-साथ एलोपैथिक मेडीसिन भी पढ़ाई जाती है और छोटी-मोटी सर्जरी भी सिखाई जाती है। मेरा मंत्री जी को एक सुझाव है कि इसमें दो शब्द और जोड़ दिये जायें। स्पीकर सर, आपकी इजाजत हो तो मैं बिल की क्लॉज पढ देता हूँ क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि—

"Practitioners of Indian Medicine having qualifications mentioned in the Second Schedule or the Third Schedule or the Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970(Central Act 48 of 1970) and registered in Part 1 of the

Register of Indian System of Medicine shall be eligible to practice the Indian Medicine and modern system of medicine".

जो माईनर सर्जरी है इसके साथ गाईनॉक्लोजी एण्ड आब्सटैट्रीशिन शब्द भी जोड़ दिये जाये। यह मेरा मंत्री जी से सुझाव भी है और रिक्वैस्ट भी है। आज के टाईम में बी.ए.एम.एस.के कोर्स में लड़कों की बजाय लड़कियाँ ज्यादा कोर्स कर रही हैं अगर पिछले सालों का रिकार्ड उठाया जाए तो लड़कियों की संख्या 75 परसैंट है और लड़कों की संख्या 25 परसैंट है इसलिए ये जरूरी है कि गाइनी एंड औब्सटेट्रीशियन का जो वर्ड है, वह इसमें सब्स्टीच्यूट किया जाए, यह मेरी मंत्री जी से गुजारिश है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 10

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Health Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

12. दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2014

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उद्देश्य यही होगा कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए फलों एवं सब्जियों के उत्पादकों से विकास शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा। एच.आर.डी.एफ. का जो मामला है, एच.आर.डी.एफ. पूरे प्रदेश की मंडियों से इकट्ठा होता है। पूरे प्रदेश की जो मंडियां बहुत ज्यादा पैसा देती हैं उन मंडियों में बहुत सी जगह या उस इलाके में विकास शुल्क नहीं लगता। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार आने वाले समय में एच.आर.डी.एफ. को समाप्त करके सारे प्रदेश का विकास करवाएगी ? यह ठीक है कि फल एवं सब्जियों पर से तो आपने टैक्स हटा दिया है और इससे भी आपने एक प्रकार से एफ.डी.आई. को बुलावा और बढ़ावा ही दिया है। इससे इस फील्ड में बड़े-बड़े धराने आएंगे और किसानों के उत्पाद को भीधे ले जाएंगे। ऐसी स्थिति बिहार में भी हुई है और वहां जो रिजल्ट आए हैं वह बहुत बढ़िया नहीं आए हैं। किसान के हित में नहीं आए

हैं। बाद में किसानों से उनकी जीन्स लेने वाला भी कोई नहीं होता है। एफ.डी.आई.के रूप में बड़ी-बड़ी कंपनियां कीमतें अपने आप तय करती हैं। अगर यह इतना ही बढ़िया था तो राहुल गांधी के कहने के बाद ही आपको इस बारे में 9 वर्षों के बाद होश क्यों आया है? पहले यह फैसला क्यों नहीं किया गया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से मेरे साथी श्री राम पाल माजरा जी, किसान के पक्षधर हर कदम का विरोध करना अपना अधिकार मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष एक सीधा सा प्रश्न रखता हूं कि यदि फल एवं सब्जियों से टैक्स हटेगा तो उसका किसान को फायदा होगा या बड़े घरानों को फायदा होगा? किसी भी साधारण आदमी से या अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से भी यह प्रश्न पूछा जाए तो वह जवाब देगा कि मेहनतकश किसान को फायदा होगा जो पेट और पीठ को इकट्ठा करके फल और सब्जियां पैदा करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मार्किट फीस और एच.आर.डी.एफ. किसान पर लगते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से मेरे दोनों आदरणीय मित्र उम्र में मेरे से बड़े हैं लेकिन ये दोनों ही बात सुनने के आदी नहीं हैं। ये केवल मात्र छींटाकशी करना, टिप्पणी करना जानते हैं और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। इनको सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने यह कहा है कि अगर सब्जी और फल से टैक्स हटेगा, अगर किसान को सबसे बेहतरीन कीमतों पर अपनी सब्जी और फल बेचने की इजाजत होगी तो उससे किसान की आय में इजाफा होगा। उससे किसान को लाभ होगा या नुक्सान होगा। हमारे व्यापारी साथी खासतौर से पंजाबी समुदाय के जो पाकिस्तान से आये थे जिनका हरियाणा के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ज्यादातर सब्जी और फलों की मण्डियों का संचालन पंजाबी समुदाय के लोग ही करते हैं। इसके लिए माननीय मेरे मित्रों को और पूरे हरियाणा के लोगों को फख्र है कि उन लोगों को भी इससे लाभ होगा। उनको टैक्स से राहत मिलेगी। श्री राहुल गान्धी जी ने इसके लिए पहल की और मैं श्री रामपाल माजरा साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने श्री राहुल गान्धी जी को इस बात का श्रेय दिया है। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि इससे पहले क्यों नहीं किया गया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्री राहुल गान्धी जी ने, श्रीमती सोनिया गान्धी जी ने और डॉ. मनमोहन सिंह जी ने इस बात के लिए पहल की है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा देश का पहला प्रान्त हैं जिसने इस पहल को स्वीकारते हुए इस सारे टैक्स को माफ किया है। इससे लगभग 40-50 करोड़ रुपये की रेवेन्यू की हानि होगी। परन्तु लोगों को सुविधा देने के लिए राजस्व जरूरी नहीं है। हमारे व्यापारियों को और सब्जी और फल उगाने वाले किसानों को इससे फायदा होगा। यह अत्यन्त जरूरी है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

13. दि हरियाणा (अबॉलिशन ऑफ डिस्टिंकशन ऑफ पे.स्केल बिटविन टैक्निकल एंड नॉन टक्निकल पोस्ट्स) बिल, 2014

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-Technical Posts) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to introduce the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-Technical Posts) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-Technical Posts) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-Technical Posts) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-Technical Posts) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 3 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 11

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

14. दि हरियाणा क्लीनिकल एस्टेब्लीशमैंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) बिल, 2014

Mr. Deputy Speaker : Now, the Health Minister will introduce the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 3 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Deputy Speaker]

Clauses 2 to 49

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 49 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Health Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अनुसार डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट्स के लिए बनाई जाएंगी और उनकी कोई कम्पलेंट होगी तो स्टेट अथोरिटी के पास सुनवाई होगी। जो पुराने क्लीनिक बहुत समय से चल रहे हैं उन्हें भी प्रोवीजिनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो क्लीनिक बहुत समय से चल रहे हैं उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से वे सरकारी अस्पतालों से ज्यादा विश्वसनीय हो गए हैं। ऐसा लगता है कि इससे अथॉरिटी निरकुंश हो जाएगी क्योंकि इसमें कई जगह लिखा हुआ है कि वे लाइसैंस भी कैंसिल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल भी कर सकते

हैं। नए क्लीनिक खोलने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी और उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इसमें कैंसिल करवाने के नाम पर और बनाने के नाम पर डिस्ट्रिक्ट अथोरिटी अपनी मनमर्जी करेगी, ऐसी बू आ रही है इसलिए इन पर कोई चैक एण्ड बैलेंस किया जाए। जो क्लीनिक पहले से चल रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए न कहा जाए तो ठीक होगा।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(At this stage, Hon'ble Speaker occupied the Chair.)

---

15. दि हरियाणा अर्बन डिवैलपमैंट अथारिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2014 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

16. दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैंशन ऑफ डिस्क्वालीफिकेशन) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2014 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg

to introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2014

Sir, I also beg to move—

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. के भर्त्सना के मामले को टालना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Sh. Abhay Singh Chautala, MLA had made casteist remarks (Jaati Soochak Shabad) against Shri Jaiveer Balmiki, CPS in the House on 24th August, 2012. the matter was deferred for the present Session. Since he is not present in the House, the matter of reprimand of Shri Abhey Singh Chautala, MLA is deferred till the next Session of Haryana Vidhan Sabha.

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am highly thankful to all of you for extending cooperation to me for the smooth conduct of the proceedings of the House. I am also thankful to all press representatives, Government officers and officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned sine die.

*14.43 Hrs. **(The Sabha then *adjourned sine die.)**

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

2300—HV.S.—H.G.P., Chd.